# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 09] चौदहवीं विधान सभा के नवें सत्र का चौथा दिवस [संख्या: 04

**गुरुवार,**
**26 अक्टूबर 2017**

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)**

**(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री अध्यक्ष:** नमस्कार, नमस्कार। आज भी चलेगा। बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ आराम से। प्रद्युम्न सिंह जी को यहां बैठाओ तब जानूं मैं। प्रद्युम्न सिंह जी और नारायण सिंह जी को यहां बैठाओ तब जानूं मैं। अब धरना पूरा हुआ, नारायण सिंह जी और बैठे हैं।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री नन्दकिशोर महरिया।

### प्रदेश में किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना

**55. श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वादों के अनुसार प्रदेश में फसल खरीद नहीं होने व अन्य मांगों को लेकर सीकर सहित प्रदेश के कई जिलों में हुए किसान आंदोलन के पश्चात 13 सितम्बर, 2017 को जयपुर में हुई वार्ता के दौरान किसान प्रतिनिधि मण्डल द्वारा क्या क्या मांगें सरकार के समक्ष रखी गई? उक्त में से क्या-क्या मांगें सरकार द्वारा स्वीकार की गईं? स्वीकृत मांगें कब से लागू कर दी जाएगी?

(2) क्या उक्त वार्ता के दौरान किसानों की कर्ज माफी के लिये एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो उक्त कमेटी में किन-किन सदस्यों को शामिल किया गया व कमेटी द्वारा क्या सिफारिश की

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

गई? उक्त कमेटी को कितने दिनों में सिफरिश देनी थी? सिफारिशों को कब तक लागू किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के किसानों की संपूर्ण उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या समर्थन मूल्य पर खरीद होने वाली फसलों में मोंठ, मूंग, मेहंदी, चौला, ग्वार, जीरा, बाजरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, ग्वारपाठा व अरण्डी को शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीद होने वाली फसलों में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

**कृषि मंत्री** (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) किसान प्रतिनिधिमण्डल द्वारा ज्ञापन में रखी गयी मांगें परिशिष्ट 'अ' पर व राज्य सरकार द्वारा वार्ता के दौरान लिये गये निर्णय का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी की मांग के संदर्भ में लिये जाने वाले निर्णय के लिये एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया। इस क्रम में मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 10.10.2017 की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। कमेटी स्तर पर सभी संबंधित बिन्दुओं पर विचारण/विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।

(3) किसानों की समस्त फसलों की संपूर्ण उपज की समर्थन मूल्य पर खरीद किये जाने का प्रावधान नहीं है।

जिन फसलों का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है उनकी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रानुसार समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(4) न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मूंग एवं बाजरा फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि में सम्मिलित किया हुआ है, जबकि अन्य कृषि उपज एवं वनोपजों यथा मेहंदी, चौला, ग्वार, जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, ग्वारपाठा, अरण्डी आदि को शामिल करने हेतु

(कृषि मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.10.2014, दिनांक 22.04.2015 एवं पुन: दिनांक 04.07.2017 द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। (परिशिष्ट 'द' (1), (2), (3))

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष:** पूरक प्रश्न।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड़ एक में जो जवाब माननीय मंत्रीजी ने दिया है और कह रहे हैं कि समझौता पत्र साथ में लगा हुआ है, उन्होंने समझौता पत्र भी मेरे को भेजा है। इसमें किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की जाये पहला पाइंट था, वह बिलकुल ब्लेंक है, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यह किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे या नहीं करेंगे, इसका जवाब तक नहीं दिया इन्होंने। यह बात कर रहे हैं किसान की संपूर्ण कर्ज माफी की।

जो दूसरा खण्ड है, उसमें इन्होंने कहा है कि कमेटी का गठन किया गया है। मैं पूछ रहा हूं कि इतने स्टेटों में, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, कहीं कमेटियां नहीं बनी, आपको इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? कर्ज माफी करनी है तो हां या ना में जवाब दें। आपने सुराज संकल्प यात्रा में खुद कहा था कि सभी फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी और आज आप खण्ड तीन में जवाब दे रहे हैं कि किसानों की समस्त फसलों की संपूर्ण उपज का समर्थन मूल्य पर खरीद किये जाने का प्रावधान ही नहीं है। हद कर दी, मतलब, प्रावधान ही नहीं है। ...(व्यवधान)... आप बैठिए, आपसे नहीं पूछ रहा। मंत्रीजी सक्षम है। आप बैठिए।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गलत बात कही है। यह घोषणा पत्र मेरे पास में है। यह हमारा घोषणा पत्र मेरे पास में है और इस घोषणा पत्र में आप जो शब्द बोल रहे हैं, वह गलत बोल रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, घोषणा पत्र मेरे पास में है।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): आपके मंत्री सक्षम नहीं है क्या?

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): है।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): तो बैठ जाओ।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): लेकिन आपने जो गलत जवाब दिया, आपने जो गलत बात उठाई है मैंने उसके लिये कहा है आपको।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): या तो मंत्री को हटा दें या आप हट जायें।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप असत्य भाषण नहीं करें सदन में।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): मैं कह रहा हूं या तो मंत्री हट जाएं या आप हट जाएं।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है। आप गलत उद्धरण मत दो।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): ...(व्यवधान)... आपने नहीं लिखा, समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे?

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): संपूर्ण का नहीं लिखा। आप क्यों बोल रहे हैं जबरदस्ती। इसमें समस्त नहीं है। आप समस्त शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वह गलत है।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): आप बैठो, आप बैठो, आगे भी आपकी डिटेल आ रही है।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न आपका हो गया तो मैं जवाब दिलवाऊं?

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, खण्ड चार में मैंने यह पूछा है कि आपने सुराज संकल्प यात्रा में समर्थन मूल्य से खरीद वाली फसलों में मोठ, मूंग, मेहंदी, चौला, ग्वार, जीरा, बाजरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, ग्वारपाठा व अरण्डी को शामिल करने की घोषणा की थी, अब तक उनको इन्होंने शामिल नहीं किया है। केन्द्र में भी भाजपा की सरकार है, यहां भी सरकार भाजपा की है, इनके बीच में जो प्रेमपत्र चल रहे हैं, उनकी हालत भी यह है कि सरकार बनने के 11 महीने बाद इन्होंने पहली बार भारत सरकार को लिखा। दूसरी बार उसके एक साल बाद लिखा और तीसरी बार उसके दो साल बाद लिखा। चार साल में सिर्फ तीन पत्र लिखे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न कीजिए, प्रश्न कीजिए।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

समर्थन मूल्य की खरीद में इनको कब तक शामिल कर लिया जायेगा? चार साल तो गुजर गये, एक साल और बचा है, किस तारीख तक इनको समर्थन मूल्य में शामिल कर लेंगे? मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्री महोदय।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि किसान संघों के द्वारा जो ज्ञापन दिये गये हैं उनमें संपूर्ण कर्ज माफी की मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी ज्ञापन देना कोई बाइबिल, गीता नहीं होती, उनकी मांग होती है और सरकार सभी पहलुओं पर विचार करती है और जितने भी उनके सुझाव थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 57 ऐसे विषय थे जो उन्होंने मांग पत्र के माध्यम से, भारतीय किसान संघ के द्वारा, किसान महासभा पंचायत के द्वारा और अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा, तीनों संगठनों के द्वारा, इनके अलावा अन्य संगठन उनमें 57 मांगे थीं और 57 मांगों पर चरणबद्ध तरीके से, एक-एक बिन्दु पर पहली बार, कांग्रेस के शासन का इतिहास यह बता दें कि एक दिन भी किसान संगठनों के साथ बैठकर इन्होंने चिंता व्यक्त की है।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है जो यह बात कह रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे प्रश्न की बात कर रहा हूं। मुझे मेरे प्रश्न का जवाब चाहिये, समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे?

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): जो आप कहोगे वह मैं बोलूंगा क्या? सुन लो, आपने बोल दिया, मैं बोल रहा हूं सुनिए आप।

**श्री अध्यक्ष:** महरिया साहब, जवाब सुन लीजिए।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, महरिया जी तो कल यहां वैल में बैठे हुए थे, आज बाहर कैसे निकल गये। ...(व्यवधान)...

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): आपका यही व्यवहार रहा तो आज फिर बैठना पड़ेगा।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष का बहुत आभारी हूं कि किसानों के मुद्दे पर यह भी सुनना चाह रहे हैं और हम भी सुनना चाह रहे हैं, सबका मकसद एक ही है। मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा, बहुत सारे विषय थे जिनमें पहला उनका कर्ज माफी का था, जिसके बारे में मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा ईमानदारी से आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने आगे बढ़कर यह कहा है कि निश्चित रूप से राजस्थान में पहली बार हम किसानों के कर्जे माफ करने के लिये पूरी तैयारी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों ने 11 सदस्यीय एक हाई पावर कमेटी बनाई। कमेटी की बैठक हुई और बैठक में जिन राज्यों ने, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कांग्रेस शासित पंजाब हो, इन राज्यों को स्टडी किया और सबकी स्टडी करने पर पाया गया कि सभी ने अलग-अलग तरीके से किया है और यूपी में जिस प्रकार हुआ कि इस तारीख तक जितने भी ओवर-ड्यूज लोन थे, उनको माफ करने के बारे में जल्दबाजी में फैसला हुआ और उसके कारण से कई लोगों के दस रुपये, कई के सौ रुपये, कई के पांच सौ रुपये, हजार रुपया माफ हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस पुनरावृत्ति को नहीं दोहराना चाहते। हमारा पूरा प्रयास हुआ है कि हम लोगों ने इस पर कोशिश करके, आज ही हमारी टीम ...

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): मेरा पूरक प्रश्न समर्थन मूल्य के बारे में है, यह कर्जे की बात कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): अभी समर्थन मूल्य पर आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक टीम बनाकर कर्नाटक भी भेजी है और वहां की स्टडी हम कर रहे हैं। हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि स्टडी की जरूरत क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूरत इसलिए है कि राजस्थान में लगभग 75 परसेंट किसान हैं, उनके हितों की रक्षा करना हमारी सरकार का दायित्व है और हम यह चाहते हैं कि वहां की जो ऋण माफी की योजना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि 1995 में भी ऋण माफी हुई थी। 2008 में ऋण माफी हुई है। उस ऋण माफी के अंतर्गत देखें, 1990 में लगभग 6 हजार करोड़ रुपए के ऋण माफ हुए हैं, लेकिन बैंकों ने उस पर

(श्री प्रभू लाल सैनी)

बहुत कमेंट्स किए। बैंकों ने कमेंट्स करके यह कहा कि इस प्रकार की जो ऋण माफी है, उन्होंने ट्रमिनोलोजी के शब्दों में कहा और मोरल हजार्ड की संज्ञा दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि हमारा लेन-देन का अनुशासन बना रहे। हमारे उन किसानों, जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं, जिनका काफी नुकसान हुआ है, उन्हें पैसा भी मिले। इस एक अच्छी प्रक्रिया को करके देश में एक अच्छा उदाहरण राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री और हमारी सरकार देना चाहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को आज भी स्वीकार करते हैं कि मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर 50 हजार रुपए तक के ऐसे ओवरड्यूज स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर या हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि जिन किसानों ने पैसा चुकाया हो, उनका क्या दोष हो गया? इसलिए इन सारे विषयों को, अध्यक्ष महोदय, यह कोई वाद-विवाद का विषय नहीं है। ईमानदारी से राजस्थान की सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्योंही रिपोर्ट प्राप्त होगी, माननीय मुख्य मंत्री के निर्देश पर हम आगे उस पर कार्यवाही करेंगे।

जहां तक एम.एस.पी. की बात की। माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.एस.पी. का निर्धारण चाहे इनकी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, यहां किसी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से किसी भी क्रॉप का कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालते हैं। यहाँ से हम अलग तरह से सर्वे करके यूनिवर्सिटी भेजते हैं। उसमें सब कुछ जोड़ते हैं। जमीन किराया तक भी देने की बात करते हैं। किराया भी दो, बीज का पैसा दो, खाद का पैसा, सबको पैसा दो। सब जोड़ने के बाद जो भी रेट आती है, उसमें बेनिफिट जोड़कर भेजते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की परिस्थिति अलग है। यदि हम गुजरात और महाराष्ट्र से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इसलिए अलग है क्योंकि 61 प्रतिशत एरिड और सेमी एरिड क्षेत्र है। हमारे किसानों को वर्षा पर आधारित रहना पड़ता है और वर्षा पर आधारित होने के कारण किसानों को एक बार नहीं, दो-दो बार भी फसल की बुआई करनी पड़ती है। इसलिए कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन करके हमने भारत सरकार को तीन बार पत्र लिखे हैं और आप जो पूछना चाह रहे हैं, आपने कुछ ऐसी क्रोप्स जो कि मेडिसिन

(श्री प्रभू लाल सैनी)

क्राप्स हैं या जो इसमें सम्मिलित नहीं हुई हैं, उनके बारे में अपने मूल प्रश्न में इनको बताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मूंग और बाजरे के बारे में कहा तो उन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार ने जोड़ा है लेकिन वनोपज यानी वन में पैदा होने वाली फसलें जैसे मेहँदी, चौला, जीरा ग्वार, धनिया, लहसुन, ईसबग़ोल, ग्वारपाठा, अरंडी, इनमें कुछ क्रोप्स तो पैरिशेबल आइटम हैं, जो कि जल्दी खराब होने वाले हैं। इनकी एम.एस.पी. निर्धारित करने के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ नियम बने हुए हैं। नियम के माध्यम से वे ये बताना चाहते हैं कि ऐसी फसलें समर्थन मूल्य में आएंगी, जो फसलें पूरे देश में उपयोग में ली जाती हैं, कृषक हित के लिए उपयोगी होंगी और जिनकी सेल्फ लाइफ लंबी होगी और पोषण की दृष्टि से, फूड सिक्योरिटी के हिसाब से उस फसल को क्रय करने का काम इसके अंतर्गत होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी लोग बोलते हैं एम.एस.पी., एम.एस.पी.। Minimum Support Price फूड सिक्योरिटी से जोड़ा गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट है, एफ.सी.आई. के माध्यम से होता है, वह एम.एस.पी. होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो राजस्थान में प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, वह पी.एस.एस. स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है, जो Price Support Scheme है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारें अपने प्रस्ताव भेजकर इसकी अनुमति प्राप्त करती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकृति के बाद यह कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों बिंदुओं को समाहित करते हुए सारे प्रस्ताव तीन बार हमारी सरकार द्वारा मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर हम लोगों ने भारत सरकार को भिजवाए हैं। अभी हमें उनका जो स्पष्ट जवाब मिला है, उसमें उन्होंने कहा है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी फसलें है, पैरिशेबल हों, जो खराब होने वाली फसलें हैं, आप इंटरवेंशन ऑफ मार्केट में जाइए। इसमें आपको अनुमति नहीं होगी। और तीसरा, पूरे देश में उपयोग आने वाला ऐसा खाद्यान्न, दलहन और तिलहन, उनको प्रोक्योरमेंट के आधार पर इस पी.एस.एस. के माध्यम से अनुमति लेने के लिए हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। जैसे सहकारिता विभाग से जानकारी मिली है, राजस्थान प्रदेश में अभी भी लगभग 191 पी.एस.एस. के सेंटर हमने प्रोक्योरमेंट के लिए खोल रखे हैं

(श्री प्रभू लाल सैनी)

और मैं समझता हूं कि बहुत सारे सेंटर्स पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब तक मूंग पर लगभग 1 लाख 35 हजार 741 क्विंटल का प्रोक्योरमेंट किया जा चुका है। हमने मूँगफली के 40 सेंटर खोले हैं, जिसमें बहुत कम है, क्योंकि मूँगफली की आवक बढ़ने लगी है जो कि 1420 क्विंटल के लगभग है। उड़द के 36 सेंटरों पर 72 हजार 69 का प्रोक्योरमेंट हुआ है एवं सोयाबीन का 17 हजार क्विंटल के लगभग प्रोक्योरमेंट हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जहां तक एवरेज क्वालिटी का सवाल आता है, उस सवाल के आधार पर भी राजस्थान की सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार करके अधिकारी लगा रखे हैं। कृषि विभाग के भी लग रहे हैं, सहकारिता विभाग के भी लग रहे हैं और राजफैड के भी लग रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान को इसका लाभ मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, सबसे बड़ी मांग सभी किसान संगठनों की, चाहे भारतीय किसान संघ हो, चाहे अन्य संगठन हो। उन्होंने एक बात कही कि एम.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट को सरकार क्यों नहीं लागू करना चाहती? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान पहला प्रदेश है, जिसने एम.एस.स्वामीनाथन रिपोर्ट पर 85 परसेंट के लगभग काम पूरे किए हैं।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): आपने जवाब में 80 परसेंट लिखा है। यह सर्वथा गोलमोल है। अब आप 85 परसेंट बोल रहे हैं। क्या रात-रात में 5 परसेंट बढ़ गया? मंत्रीजी, इस तरह की गोलमोल बात सदन में न कहे तो अच्छा है। थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। 80 से 85 परसेंट रात-रात में हो गया। ऐसा आप रात में क्या करते हैं कि एक रात में 5 परसेंट बढ़ जाए? मेरा प्रश्न था..

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): आप बैठिए। बीच में उठते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** मदन जी, कृपया बैठें।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): मेरा प्रश्न था कि इन फ़सलों को

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

समर्थन मूल्य में कब शामिल करेंगे? वह तारीख बताइए। मंत्रीजी, आपने जवाब दिया है कि ये पैरिशेबल हैं। ग्वार कब से पैरिशेबल हो गई? ग्वार बीस साल खराब नहीं होती।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शायद मेरी बात को समझ नहीं पाए हैं।

**श्री अध्यक्ष:** आप समझा दो।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): किसी भी क्रोप को सम्मिलित करने के लिए जैसा कि मैंने विस्तृत बताया कि राज्य सरकार का काम किसी भी क्रोप को एम.एस.पी., पी.एस.एस. में जोड़ने का नहीं है, यह भारत सरकार का काम है।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): सुराज संकल्प पत्र में क्यों कहा कि हम जोड़ देंगे?

**श्री अध्यक्ष:** माननीय विधायक, आप बार-बार डिस्टर्ब मत कीजिए। आप पूरा सुन लीजिए।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उस नोर्म्स में आता तो पिछली सरकारें 70 वर्षों में जोड़ चुकी होतीं। एक दिन भी चिंता नहीं हुई और आज चिंता हो रही है। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ऐसी क्रोप जिनके तीन मापदंड हों, उनको ही इस समर्थन मूल्य में, पी.एस.एस. में जोड़ने का प्रावधान है, बाकी फसलें जोड़ने का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्रीजी, प्रिसिंपल सैक्रेटरी, एग्रीकल्चर और मेरे द्वारा तीन बार जस्टिफाई करके भारत सरकार को भेजा गया है। इसलिए आज मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपको यह कह दूं कि हम ये फसलें कब जोड़ देंगे? लेकिन हमारा प्रयास जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं और सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो कृषि मूल्य लागत आयोग, भारत सरकार बना हुआ है, उसके नोर्म्स पूरे देश के लिए एक होते हैं, वह किसी राज्य के लिए अलग से नहीं होता है। हम इसके आधार पर काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो प्रश्न था, आपने संगठनों के बारे में

(श्री प्रभू लाल सैनी)

जो बात पूछी थी, उसमें और भी बहुत सारी बातें थीं। मैं उनके बारे में भी निवेदन कर लूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने समर्थन मूल्य पर चार क्रोप जिनके लिए भारत सरकार ने क्रय केंद्र खोले। मंडी शुल्क पहली बार राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी ने माफ किया है। लगभग सौ करोड़ रुपए की लागत का मंडी शुल्क हमने किसान के हित में फ्री किया है। समर्थन मूल्य पर खरीदने वाली तिलहन और दलहन की हमारी चार क्रोप मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूँगफली को भी समर्थन मूल्य पर छोड़ने का काम पहली बार हमारी सरकार ने किया है।

इन्होंने किसान संघों की बात की है कि आपको ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। कौन-कौनसे ज्ञापन पर आपने काम किया है? निवेदन करूंगा कि भारत सरकार पशु विक्रय, 2017 कानून लेकर आई थी। उसके बारे में हमारी सरकार की तरफ से रिपोर्ट भी की है और हमने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें भी स्थगन जारी कर दिया गया है। तीन साल से छोटे बछड़ों के बारे में भी उन्होंने मांग रखी थी। उसमें भी गुलाबचंद जी भाई साहब, गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। कमेटी का पूरा फैसला हम लोग केबिनेट में भेजेंगे। इन्होंने पांच वर्षों में एक-दो बार मीटिंग की होगी। यह कमेटी पहले से बनी आ रही है। यह 2012 से है, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार ने सबकी सुनी। सारे किसान संगठनों से बात करके इसमें हम कार्यवाही कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यह भी था कि किसानों की समस्त फसलों का उपज..

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब प्लीज दिलवा दें। मेरा सिर्फ छोटा-सा सवाल है कि समर्थन मूल्य में इन फसलों को किस तारीख तक शामिल कर लेंगे?

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आग्रह करना चाहूंगा, मेरा जब जवाब हो मस्तिष्क को एप्लाई करें। मैंने कहा, भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर करेंगे। अनुमति नहीं होगी ...(व्यवधान)... लागू नहीं करेंगे।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि जब घोषणा पत्र घोषित किया तो इनको नोलेज नहीं थी कि यह फ़सलें शामिल हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इन्होंने सिर्फ वोट लेने के लिए घोषणा कर दी। इसका मतलब स्पष्ट है। आप तारीख नहीं दे ...(व्यवधान)...

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष:** मदन जी, मैं आपको नाम लेकर पुकारूंगा ...(व्यवधान)... नो, आप बैठिए ...(व्यवधान)...आपको नाम लेकर पुकारूंगा। आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मंत्रीजी है। ...(व्यवधान)...मंत्रीजी हैं, जवाब देने दीजिए। आपको अधिकार नहीं है। बार-बार खड़े होकर डिस्टर्ब मत कीजिए। ...(व्यवधान)...

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का, कब जुड़ेगा। मैंने कहा, तीन बार हमने भारत सरकार के ध्यान में, प्रसंज्ञान में लिया है और हम कोशिश करेंगे ...(व्यवधान)... कोशिश करके कैसे राजस्थान के किसान का भला हो सकता है, वह करने की हम कार्यवाही करेंगे ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, एडिशनल कहना चाहूंगा, राजस्थान की सरकार, आप लोग जिस प्रकार कह रहे हैं कि कर्जा मांफी हो, किसानों की समस्याओं पर सरकार गंभीर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि तीन साल में, यदि हम देखें तो राजस्थान में 2013 से 2017 तक एग्रीकल्चर, बिजली और को-ऑपरेटिव, आप आश्चर्य करेंगे कि 38729 करोड़ रुपये की सब्सिडी तीनों विभागों के माध्यम से, 10 हजार, 10 करोड़ यूनिट्स को सरकार की तरफ से हम लोगों ने उपलब्ध कराया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, हमारी सरकार केन्द्र में बनी, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने। राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कोशिश करके आपदा राहत के अंतर्गत, इनकी जब सरकार थी, पांच वर्षों में 1779 करोड़ रुपये इनकी सरकार ने दिये हैं और 7047 करोड़ रुपये आपदा राहत के अंतर्गत हमारी सरकार ने किसानों

(श्री प्रभू लाल सैनी)
के हित में दिए। ...(व्यवधान)...इसलिए किसानों की हितैषी यह सरकार है। ...(व्यवधान)...

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): मंत्रीजी आप इतना ...(व्यवधान)...

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): इन्होंने किसानों के हित में कभी काम नहीं किया और आज इस तरह की बात ये सदन में करना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): यह इतना घबराहट में क्यों जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)... मेरी तो सरकार नहीं थी पिछली बार। सरकार कांग्रेस की थी, मेरी नहीं  थी ...(व्यवधान)...

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ...(व्यवधान)...

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): यह क्यों इस तरह के जवाब दे रहे हैं? ...(व्यवधान)...

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): फसल बीमा में, प्रावधान में जो अनुदान के रूप से 10 से 12-15 परसेंट सब्सिडी मिलती थी, उस पर भी ...(व्यवधान)...आपके प्रीमियम का पैसा लगता था, उसको भी कम करके राजस्थान में डेढ़ और दो प्रतिशत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इनकी सरकारों ने नहीं किया है ...(व्यवधान)... मैं आंकड़े निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक इनकी सरकार के वक्त में ...(व्यवधान)... 2008 से 2012 तक इनकी सरकार ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान के हितैषी होने का दावा करने वाले फसल बीमा योजना के अंतर्गत पांच वर्षों में 2014 करोड़ रुपये का प्रीमियम इन्होंने दिया। किसानों को 1855 करोड़ रुपये ही मात्र दिए। ...(व्यवधान)...

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): बीमा कम्पनियों को दिया आपने ...(व्यवधान)...  किसान को नहीं दिया। ...(व्यवधान)... 11 बीमा कम्पनियों को आठ हजार करोड़ का लाभ आपने पहुंचाया है ...(व्यवधान)...

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): लूटने का काम किया है ...(व्यवधान)... किसान को लाभ नहीं दिया है। आपकी सरकार की झोली ...(व्यवधान)... बीमा कम्पनियों की झोली भरी है ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष:** पूरक प्रश्न नम्बर एक। ...(व्यवधान)... बस हो गए आपके। दो तीन हो गए ...(व्यवधान)...

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): मेरा दूसरा पूरक क्वेश्चन ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष:** श्री राजकुमार शर्मा।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): दूसरा पूरक क्वेश्चन ...(व्यवधान)... राजकुमार जी एक मिनट।

**श्री अध्यक्ष:** हो गया आपका ...(व्यवधान)... राजकुमार शर्मा।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): दूसरा पूरक क्वेश्चन है किसानों का सम्पूर्ण कर्जा मांफ करेंगे या नहीं करेंगे? यस या नो में जवाब दीजिए। ...(व्यवधान)..

**श्री अध्यक्ष:** नन्दकिशोर महरिया के जवाब देने की जरूरत नहीं है ...(व्यवधान)... राजकुमार शर्मा को पुकारा है मैंने।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मंत्रीजी ने बीमा कम्पनियों को लाभ पहुंचाया, उसके लिए जब सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने मेज को थपथपाया तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब आप क्षेत्र में जाओगे, तब किसान आपकी मेज अपने आप थपथपा देंगे। दूसरी चीज मैं यह कहना चाह रहा हूं ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष:** सवाल कीजिए।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): किसान की सम्पूर्ण कर्ज माफी का मामला है उस पर हां या ना में जवाब चाहिए। आप विद्वान हो, आपका मस्तिष्क ज्यादा काम करता है इसलिए हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम तो इतना पूछना चाहते हैं कि सम्पूर्ण कर्ज माफी आपकी सरकार करेगी या नहीं करेगी? इसके अलावा हमें कुछ नहीं पूछना आपसे। ...(व्यवधान)...

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष:** जवाब आपको जो जँचे, वह ही दीजिए। ...(व्यवधान)...

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): मुझे उतना बोलना है जितना मैं बोलूंगा ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष:** आप तो धरना दे रहे हो, बैठ जाओ ...(व्यवधान)... पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहे हो। नहीं नहीं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ...(व्यवधान)... सीट पर जाओ अगर आपको बोलना है तो ...(व्यवधान)...

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे राज्य का जिक्र करना चाहूंगा, जो कर्नाटक है ...(व्यवधान)... कर्नाटक कांग्रेस शासित है। इन्होंने जून, 2017 को कर्जा माफी की घोषणा की, क्या नोर्म्स लगाए, सिर्फ को-ऑपरेटिव ऋण ही माफ करेंगे, अन्य नहीं करेंगे ...(व्यवधान)... सिर्फ फसली ऋण माफ करेंगे और 50 हजार तक का करेंगे। किसान को एक बैंक का ही देंगे। लोंग टर्म और शोर्ट टर्म कोई माफ नहीं करेंगे, यह इनकी सरकार ने किया ...(व्यवधान)... मैं कहना चाहूंगा, जिन सरकारों ने कर्ज माफी किया है ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष:** आप जवाब दे दीजिए ...(व्यवधान)...

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): इन सारी विषयों पर हमारी एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है ...(व्यवधान)... हाई पावर कमेटी के माध्यम से जो भी राज्यों की समीक्षात्मक, परीक्षणात्मक रिपोर्ट आएगी, उसी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्री किसानों के हित में फैसला लेगी। ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष:** श्री घनश्याम तिवाडी, पूरक प्रश्न। ...(व्यवधान)... नो, नो, घनश्याम तिवाडी ...(व्यवधान)... जवाब तो वह चाहेंगे जो देंगे ...(व्यवधान)... न तो आप रख सकते हैं इनके मुंह में जवाब, ना ही मैं रख सकता हूं। ...(व्यवधान)... जो सरकार चाहेगी वह जवाब देगी, वह आपको सुनना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... हां या ना नहीं देती, नहीं देती सरकार ...(व्यवधान)... हां या ना में सरकार जवाब नहीं दे, नहीं दे। आपके हिसाब से जवाब नहीं आएगा। नो, नो। ...(व्यवधान)...श्री घनश्याम तिवाड़ी

**(माननीय सदस्य डा. राजकुमार शर्मा, श्री मनोज कुमार व श्री नन्दकिशोर महरिया का सदन कूप में आगमन)**

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बटन इसलिए दबाया था कि मैंने आज का यह पूरा प्रश्न पत्र देखा।

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, इस बारे में कोई पूछना है? ...(व्यवधान)...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): इसका नहीं।

**श्री अध्यक्ष:** बस, तो विराजिए। पूरक प्रश्न द्रोपती ...(व्यवधान)... यहां से नहीं, सीट पर जाइये ...(व्यवधान)... द्रोपती।

**श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के अधिकांश किसान नरमे व कपास फसल की बिजाई करते हैं। नरमे की फसल की बिजाई से लेकर पकाई तक प्रति बीघा 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक खर्च आता है। ...(व्यवधान)... सरकार ने नरमे का समर्थन मूल्य निर्धारित कर रखा है 4250 रुपये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मांग करती हूं कि क्या किसानों के हित में नरमे की फसल का समर्थन मूल्य प्रति क्विण्टल 4250 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति क्विण्टल किया जाना चाहिए? यदि हां तो कब से लागू कर दिया जाएगा? मंत्रीजी जवाब दें।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नरमा की फसल के बारे में, एमएसपी को बढ़ाने की बात माननीय सदस्या ने कही है, भारत सरकार को हम लोग इसके लिए प्रस्ताव भेजेंगे। ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष:** अगला सवाल, श्रीमती शकुन्तला रावत। अगला सवाल, श्री मेवाराम जैन। ...(व्यवधान)...

## प्रश्न संख्या 56

श्रीमती शकुन्तला रावत।

**(बोलने के लिए खड़ी नहीं हुईं। कृपया आगे देखें)**

## प्रश्न संख्या 57

श्री मेवाराम जैन।

**(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए। कृपया आगे देखें)**

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें एक संशोधन ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष:** नो, नो, सवाल पूछा नहीं गया है, बिना पूछे जवाब नहीं दे सकते। सवाल नहीं पूछा गया है, बिना पूछे जवाब नहीं दे सकते। ...(व्यवधान)... श्री मेवाराम जैन। श्री मानसिंह किनसरिया। ...(व्यवधान)... मानसिंह जी किनसरिया, सवाल कीजिए।

## परबतसर में कराए गए पौधारोपण के कार्य

**58. श्री मानसिंह किनसरिया** (परबतसर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में कौन-कौनसी योजना में क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में विभाग द्वारा कितने पौधे लगाये गये व उनमें से कितने पौधे वर्तमान में जीवित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**वन एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर द्वारा विगत पांच वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।

(2) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर द्वारा विगत पांच वर्ष में कराये गये वृक्षारोपण कार्यों में रोपित पौधे एवं उनकी जीवित प्रतिशतता संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष:** पूरक प्रश्न। किनसरिया जी, पूरक प्रश्न।...(व्यवधान)...

**(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**श्री मानसिंह किनसरिया** (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, परबतसर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसी प्रजातियों के वृक्ष पाये जाते थे और वर्तमान में कौन-कौन सी प्रजातियों का पौधारोपण आप लोग तैयार कर रहे हैं? एक तो यह बताने का प्रयास करें।

दूसरा, जो आपने प्रतिशत बताया है वृक्षों के सर्वाइवल का, क्या वह प्रतिशत सही है? उसमें मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)...

**श्री गजेन्द्रसिंह** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): सुन नहीं रहा है। ...(व्यवधान)...

**श्री मानसिंह किनसरिया** (परबतसर): सुन नहीं रहा?

**श्री गजेन्द्रसिंह** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): थोड़ा जोर से बोलें।

**श्री मानसिंह किनसरिया** (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र में वृक्षों की कौन-कौन सी प्रजातियां पूर्व में पाई जाती थीं और वर्तमान में कौन-कौन सी प्रजातियां बची हुई हैं और वर्तमान में कौन-कौन सी प्रजातियों का वृक्षारोपण आप लोग तैयार कर रहे हैं? एक तो यह बताएं।

दूसरा, वृक्षों के सर्वाइवल की जो संख्या आपने बताई है, क्या वह सही है? यह आंकड़ा गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माण्डन से किनसरिया ग्राम तक नरेगा के तहत वृक्ष लगाये गये थे। उन वृक्षों में एक भी बचा हुआ नहीं है। उसका भी आप बतायें। फिर एक किसान सेवा संस्थान, आर.एफ.बी.पी. के कार्यक्रम में कार्य करवाया गया। क्या विभाग ने उस किसान सेवा संस्थान का मूल्यांकन करवाया है? यह किसान सेवा संस्थान ऐसा एन.जी.ओ. है, जो बार-बार नये नाम करते हुए ब्लैक लिस्ट हो जाता है और नई संस्था बना कर वापस अधिकारियों की मिलीभगत से कार्य ले लेता है। इसकी भी जांच करवाने के लिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे जांच करवायें और इस किसान सेवा संस्थान के गत पांच साल के जो कार्य किये गये हैं, उनका मूल्यांकन करवा कर उसमें इनको जो भी दण्डित किया जाना है, इसको कराया जाये।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गजेन्द्रसिंह** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले पाँच वर्ष में जो इनका परबतसर विधान सभा क्षेत्र है, उसमें 9.41 करोड़ रुपये का खर्चा प्लांटेशंस पर किया गया। कुल बजट 10.07 करोड़ रुपये था। 2017-2018 अभी बेलेंस रहा है। 267 साइट्स पर 8800 हैक्टेयर के अन्दर वृक्षारोपण किया गया है। पौधों के बारे में माननीय सदस्य ने जो बात की थी, मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि जो प्लांट्स हैं, अभी जो प्लांटेशन में हैं, उसके अन्दर सबसे ज्यादा अकेशिया टोर्टिलिस जो है, वह सबसे ज्यादा आपके यहां लगा है। उसके बाद में नीम है, अरडू है, सरेश है, खेजड़ी है, जो डेजर्ट के

(श्री गजेन्द्र सिंह)

प्लाण्ट्स हैं, रोहिड़ा है, पापड़ी है, अरडू, बबूल, शीशम और सिरस।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बोला कि पहले जो पौधे लगते थे, वे हमारे जो लाइव-स्टॉक हैं, भेड़-बकरियों के लिये, गायों के लिये, उनका जो चारा एक्युमुलेट किया जाता था, मैं आपके माध्यम से उनको यह बताना चाहूंगा कि मरुस्थल एरिया के अन्दर सर्वाइवल जिन पौधों की है, हमने यह 8-9 पौधे लिये हैं, परन्तु 80 प्रतिशत जो क्षेत्र है, वह अकेशिया टोर्टिलिस है, इजराइली बबूल, जो कि ट्राइड और टैस्टेड है, फास्ट ग्रोइंग है, उसके बुट्टे अपने जानवरों के काम आ जाते हैं।

दूसरा, माननीय सदस्य ने अपने किनसरिया गांव में जो सर्वाइवल रेट के बारे में बताया, मैंने एनेक्सचर के अन्दर, जो डिटेल्स में है, मैंने इनको आलरेडी दे दिया है कि इनके विधान सभा के 267 जो एरियाज हैं, उनके अन्दर कहां-कहां, क्या-क्या, कितना सर्वाइव हुआ है, उसके पश्चात भी स्पेशली किनसरिया की डिटेल निकालकर मैं आपको दे दूंगा।

माननीय सदस्य ने मांग की थी किसान सेवा संस्थान के बारे में, पिछले 5 साल के कार्य के बारे में, उसकी मैं पूरी जांच करके उनको अवगत कराऊंगा।

**श्री अध्यक्ष:** दूसरा पूरक प्रश्न।

**श्री मानसिंह किनसरिया** (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अरडू, सिरस और ये हमारे प्राकृतिक वृक्षों में से नहीं हैं। आज आप ये नई प्रजातियां ला रहे हैं। हमारी जो प्राकृतिक प्रजातियां हैं, वह डांसरिया, कैर, बबूल, कीकर, बैर, खेजड़ी, ये प्राकृतिक प्रजातियां हैं, जिनका अभी कहीं पर भी काम नहीं हो रहा है। इनसे पशुओं को, पक्षियों को और मनुष्यों को फल और दूसरे उत्पाद भी मिलते थे तो हमारा जो किनसरिया वन क्षेत्र है, वहां से ग्रामवासी हजारों टन बैर और दूसरे फल ले जाते थे, आज की तारीख में कम्पलीटली वह विलुप्त हो चुका है। मेरा आपसे निवेदन है कि इनके पॉकेट बनाकर अलग-अलग, डांसरिया के, बैर के, बबूल के, कीकर के जो क्षेत्र थे, वापस रिपीट किया जाये उन क्षेत्रों को, जिससे कि पूरी प्रकृति को उससे फायदा मिले। मेरा मंत्रीजी से यह

(श्री मानसिंह किनसरिया)

निवेदन है कि अरड़ू, सिरस के बजाय आप ये जो पूर्व में नेचुरल प्रजातियां थीं, इनको पुन: स्थापित करें। यह मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गजेन्द्रसिंह** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने सुझाव दिये। यह जो आपके शीशम है, अरड़ू है, ये जयपुर क्षेत्र और ईस्टर्न राजस्थान में ज्यादा उगाये जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में हम उनको नहीं उगा रहे हैं। सिरस एकदम पश्चिमी राजस्थान के उपयोग के लायक है। आपके जो प्लांटेशंस लगे हैं, आपके यहां जो वैरायटी के पेड़ लगे हैं, जहां आपका सर्वाइवल सही नहीं है, और जो पेड़ खराब हो गये हैं, वहां पर पुन: प्लांटेशन करवा कर आपके सुझाव के अनुसार जिन पौधों का आपने वर्णन किया, वह लगाने का हम काम करेंगे।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

**श्री अध्यक्ष:** पूरक प्रश्न, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि आप एक बजट देते हैं, उसके बाद में उसके मूल्यांकन की एक पद्धति बनायें। मतलब, जैसे आपने परबतसर के लिये बोला कि 10 करोड़ रुपये का बजट बनाया और वे 10 करोड़ रुपये खर्च हुए, उसके एवज में कितने वृक्ष लगे और वे वृक्ष जीवित हैं क्या? इसके लिये मूल्यांकन की कोई कमेटी बनायें। जब तक आप मूल्यांकन की, या तो जिला लेवल पर कोई विधायकों की कमेटी बनायें, वह आपके वृक्षारोपण का, पौधारोपण का मूल्यांकन करे। नहीं तो पैसा फिजूल जाता है, एक बात।

दूसरा यह जो फोरेस्ट में अंग्रेजी बबूल, जिसके कारण जमीन भी खारी होती है और बाकी वृक्ष उपजते नहीं हैं, इसलिये अंग्रेजी बबूल को कम करने की भी कोई न कोई स्कीम बनाओ।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गजेन्द्रसिंह** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम

(श्री गजेन्द्र सिंह)

ज्यादा इजरायली बबूल लगा रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र के लिये सही है। यह विलायती बबूल जो है, जिसका एक तरह से रोग फैल गया है, उसको हम हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अलग-अलग जो बजट दिये जाते हैं, प्लांटेशंस, जो पौधों का, कितने हैक्टेयर में क्या लगना है और वह पैसा खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी डिपार्टमेंट के पास पूरी डिटेल है, आपके क्षेत्र की डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** श्री शंकर सिंह रावत, दूसरा पूरक प्रश्न।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान की जन कल्याणकारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्य और गरीबों के लिये हमेशा राहत का काम किया है, मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय से कि वन क्षेत्र के अन्दर बसे हुए लोग हैं, उनका भी सर्वे करवाकर, जन कल्याण के लिये पट्टे दिये जाने की योजना है?

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

**श्री अध्यक्ष:** गला थक जाएगा, बैठ जाइये।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): उनके वन में बसे होने के कारण कहीं पर भी मकान नहीं बन पा रहे हैं और न ही कोई उनकी आबादी का विस्तार हो पा रहा है, न राजस्व ग्राम घोषित किये जा रहे हैं। माननीय मंत्रीजी से मेरा प्रश्न यही है कि आप सर्वे करवाकर उन वन क्षेत्र में बसे हुए लोगों को राहत दिलाने के लिये कार्य कराएं। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** जितना समझ में आए, उतना जवाब दे दीजिये।

**श्री गजेन्द्रसिंह** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला तो यह परबतसर से रिलेटेड नहीं है और दूसरा यह प्रश्न प्लांटेशन से रिलेटेड नहीं है तो यह जो पूछ रहे हैं, इस प्रश्न के दायरे से बाहर पूछ रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** तीसरा पूरक प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, परबतसर विधान सभा क्षेत्र में कई

(श्री रामलाल शर्मा)

खातेदारी भूमियां इस प्रकार की है कि जिनके ऊपर वन विभाग का नोट लगा हुआ है और लगभग 50 साल से वह कब्जा-काश्त करते आ रहे हैं। यदि अब वह बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो भी आपका वन विभाग का नोट उनको कनेक्शन नहीं लेने देता या फिर वह लोड बढ़ाना चाहते हैं तो भी वह लोड नहीं बढ़ा सकते। क्या ऐसे प्रकरणों के लिए कोई विशेष कमेटी बनाकर या कोई अभियान चलाकर, जिनके ऊपर वन विभाग के नोट लगे हुए हैं और लगभग 50 वर्षों से कब्जा-काश्त करते हुए किसान आ रहे हैं तो इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखते हैं?

**श्री गजेन्द्रसिंह** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एज पर फोरेस्ट एक्ट, 1980, उसके बाद में अक्टूबर, 1980 से जब यह एक्ट आया, उसके पश्चात् कोई भी अतिक्रमण के अंदर कोई परमिशन नहीं मिलेगी। यह बहुत स्ट्रोंग एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर रूलिंग है। यदि 1980 से पहले कोई एफ.आई.आर. दर्ज है या गवर्नमेंट स्कीम के अंदर कोई भी यह हमारे जो नागरिक आते हैं उसके अंदर जरूर शिथिलता प्रदान की जाती है। उसको ऑन फेस इवैल्यूएट किया जाता है। इसके अलावा हमारे कानून के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं है कि अतिक्रमण के अंदर उनको बिजली का कनेक्शन हो या पानी का कनेक्शन हो। उसका कोई प्रावधान नहीं है।

**श्री अध्यक्ष:** अगला प्रश्न, श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा।

## नागौर जिले में फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय राशि

**59. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में वर्तमान में नहरी पानी से संबंधित चल रही विभिन्न योजनाओं तथा उनके फेज की सितम्बर, 2017 तक की कार्य प्रगति की रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजनाओं में से कौन-कौन सी योजनाओं में कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया गया तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कम्पनी व जिम्मेदारों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

(3) क्या यह सही है कि नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना के 10वें पैकेज में 40 करोड़ रुपये का कार्य फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम हेतु स्वीकृत हुआ है? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति के कार्यादेश कब हुए एवं अब तक क्या-क्या कार्य व कितनी-कितनी राशि उक्त कार्यक्रम में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**श्री अध्यक्ष:** मंत्री महोदय। जवाब दे दीजिए आराम से।

**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री** (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) नागौर लिफ्ट परियोजना के माध्यम से नागौर जिले को इंदिरा गांधी नहर का जल उपलब्ध कराने की परियोजना निम्नानुसार दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है:-

(अ) नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना के प्रथम चरण की मूल योजना एवं संशोधित योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमश: माह अगस्त, 2006 एवं अप्रैल, 2016 में राशि रुपये 761.01 करोड़ एवं 1194.26 करोड़ की जारी हुई थी। परियोजना के प्रथम चरण में नागौर, खींवसर, मेड़ता एवं डेगाना तहसील के 494 गांव एवं 5 कस्बों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(ब) नागौर लिफ्ट कैनाल की द्वितीय चरण की परियोजना में नागौर जिले के 7 कस्बों एवं 986 ग्रामों हेतु दिनांक 24.08.2012 को राशि रुपये 2938.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी।

परियोजना के उक्त दोनों चरणों की माह सितम्बर, 2017 तक की प्रगति का वांछित विवरण परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

(2) नागौर लिफ्ट कैनाल वृहत् पेयजल परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में सम्मिलित विभिन्न पैकेजों के कार्य संबंधित अनुबंधक फर्मों द्वारा धीमी गति से करने एवं तय समय सीमा में पूर्ण नहीं करने पर विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार फर्मों की क्षतिपूर्ति राशि रोक ली गयी है। वांछित पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। नागौर लिफ्ट कैनाल की द्वितीय चरण की उक्त स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के 10वें पैकेज हेतु विभागीय तकनीकी समिति की 637वीं बैठक दिनांक 07.04.2016 द्वारा राशि रुपये 43.00 करोड़ की संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी थी।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गैर सरकारी संगठन श्री परमात्मा चन्द भण्डारी चैरिटेबल ट्रस्ट (लीड पार्टनर), जोधपुर स्टूडेंट्स रिलीफ सोसायटी, जयपुर एवं जयपुर सेवा फाउण्डेशन, जयपुर के जोइंट वेंचर को दिनांक 19.09.2016 को राशि रुपये 40.09 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया। उक्त कार्यादेश के तहत अब तक सम्पादित किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट- 'ब' में निहित है।

उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत माह सितम्बर, 2017 तक रुपये 38.48 लाख की राशि व्यय हुई है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष:** पूरक प्रश्न नम्बर एक।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के प्रथम चरण में ए, बी, सी, डी यह चार काम थे। ए और बी का काम तो 80 परसेंट पूरा हुआ है लेकिन सी में अभी तक मूंडवा में जो पम्पसैट है और जो स्टाक टांके हैं वह अभी तक तैयार नहीं हुई है और इन्होंने लिखा है कि मूंडवा - कुचेरा को आंशिक रूप से पेयजल दे दिया, लेकिन यह तो टेम्प्रेरी व्यवस्था है। यह पी.एच.ई.डी. के द्वारा दी गयी है। मेन लिफ्ट योजना का काम अभी मंत्री महोदय ने भी देखा था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है और पानी तो आपने चालू करवा दिया लेकिन मेन लिफ्ट योजना का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ और 494 गांव जोड़ने हैं, मेड़ता के हैं, डेगाना के हैं, मूंडवा के हैं, खींवसर के हैं और मेरे एरिये के 151 गांव हैं। मूंडवा के जो अभी तक बिलकुल ही नहीं जोड़े गये हैं तो यह काम आप कब तक, एक कम्पनी तो भाग गयी, दूसरी कम्पनी काम नहीं कर रही है और 2006 से आज 11-12 वर्ष हो गये। जब दूसरा चरण आप नागौर में ला रहे हो तो पहले चरण का काम कब तक पूरा होगा, यह आप बताओ।

**श्री अध्यक्ष:** मंत्री महोदय।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो नागौर के प्रथम चरण के पैकेज प्रथम की बात की है तो मैं यह निवेदन कर दूं कि पैकेज प्रथम में नोखा, बीकानेर से

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

नागौर तक पेयजल परियोजना हेतु आधारभूत संरचना कार्यों का कार्यादेश 331 करोड़ रुपये का वर्ष 2007 में जारी किया गया था और जनवरी, 2012 में पूर्ण कर लिया गया है और राशि रुपये 351.93 करोड़ रुपये व्यय की गयी है। फर्स्ट, इसका प्रथम पैकेज का।

द्वितीय पैकेज, जिसका आपने जिक्र किया है, नागौर एवं बासनी गांव तथा नागौर एवं खींवसर क्षेत्र के 167 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्यादेश मई, 2011 में रुपये 156.88 करोड़ का जारी किया गया। कुल व्यय 128 करोड़ का हुआ एवं जून, 2016 में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस पैकेज के द्वारा नागौर तहसील के 79 गांव और खींवसर तहसील के 87 गांव, इस प्रकार 166 गांव एवं नागौर एवं बासनी कस्बे को नहरी पानी उपलब्ध करवा दिया गया है।

अब मेरा निवेदन है, जो आपने बताया, कि यह पुराने सिस्टम से पानी दिया जा रहा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी आबादी, ....(व्यवधान).... 16017 है। वर्तमान में 20 लाख लीटर प्रतिदिन की आपूर्ति पुराने सिस्टम से माह मई, 2016 से लगातार की जा रही है। नये सिस्टम ....(व्यवधान).... एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): मंत्री महोदय, मूंडवा का अर्ज किया है। वह प्रोग्राम मैडम को मालूम है। वह कब तक चालू करोगे?

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): वह मैं आपको बता रहा हूं।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): जो स्टाक-टांके हैं, जो पम्पसैट है, जो सप्लाई करेंगे वह काम कब तक पूरा होगा?

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं आपको कह रहा हूं न कि नये सिस्टम के तहत उन जलाशयों को पम्प हाउस से जोड़ने एवं पुराने वितरण सिस्टम से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है तथा माह दिसम्बर, 2017 तक नये सिस्टम से मूंडवा शहर को जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। दिसम्बर तक।

**श्री अध्यक्ष:** दूसरा पूरक प्रश्न, लाम्बा साहब, करेंगे दूसरा पूरक प्रश्न?

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि फ्लोरोसिस निवारण का जो हमने अभी डिपार्टमेंट खोल दिया, डिपार्टमेंट खोलकर बैठे हैं, आफिस खोल दिया है लेकिन आगे इसका काम कुछ किया नहीं है। खुले तो एक वर्ष हो गया मंत्री महोदय। आफिस खोला है, प्रोग्राम बने हैं लेकिन अभी तक पूरे एरिया में काम नहीं हुआ है इस फ्लोरोसिस नियंत्रण का। जब तक यह काम नहीं होगा, हमारे नागौर जिले का पानी हम लोगों को कैसे फिर पिलाएंगे? यह डिपार्टमेंट आ तो गया, बैठ गया, पगार ले रहा है लेकिन एक वर्ष तक इन्होंने कुछ काम नहीं किया फ्लोरोसिस वाले में, इसलिए इस कम्पनी को कहो, यह दो कम्पनियां हैं, एक जोधपुर की है और एक जयपुर की है कि यह जो मेन काम है जांच का, वह काम तो करो।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्री महोदय।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फ्लोरोसिस निराकरण कार्यक्रम जायका द्वारा वित्त पोषित है। इसके द्वारा फ्लोरोसिस बीमारी के परियोजना क्षेत्र में 986 गांव और 7 कस्बों का सर्वे किया जाकर एक विस्तृत डाटा-बेस तैयार किया जाना है। इसके अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि हॉस्पिटल संबंधी कार्य होंगे। जैसे- नागौर जिले में पांच चिकित्सालयों में फ्लोरोसिस की जांच हेतु प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। नागौर जिले की सभी आशा और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक दिवसीय आमूलीकरण किया जाएगा और जिले के सभी चिकित्सकों का आमूलीकरण, प्रशिक्षण दिया जाएगा।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): यही तो मैं कह रहा हूं, टाइम तो फिक्स करो। आफिस तो खोल ली उन्होंने लेकिन आगे काम नहीं बढ़ा रहे हैं। मंत्री महोदय, आफिस तो खोल ली, बैठ गये आकर, पगार ले रहे हैं लेकिन आगे काम नहीं बढ़ा रहे हैं इसका। आप इसका आगे काम बढ़ाओ। इसका टाइम फिक्स करो, टाइम। ....(व्यवधान)....

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि इनको 40 महीने की अवधि में पूर्ण करने का समय दिया गया है और इनको 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति की गयी, उसके अगेंस्ट में अभी तक 97 लाख रुपये का भुगतान किया है और 2 करोड़ 85 लाख रुपये खर्च किये हैं और यह कम्पनी को हमने पाबंद कर दिया है कि विदिन टाइम आप हर साल, जैसे 40 महीने का टाइम दिया है, यानी 40 करोड़ रुपये है तो हर साल 10 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए, आपको चाहे सामाजिक कार्य करने हों, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित कार्य करने हों और चाहे आपके स्कूल संबंधी कार्य करने हों, विदिन टाइम आप लोग पूरा करें, इसके लिए हमने उनको पाबंद कर दिया है।

**श्री अध्यक्ष:** श्री श्रीराम भींचर, पूरक प्रश्न।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**श्री श्रीराम भींचर** (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर लिफ्ट परियोजना, नागौर जिले को जो पानी पिलाना है, उसके लिये राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर रखी है कि हम 2018 तक, चुनाव के पहले-पहले जनता को पानी पिलायेंगे। लेकिन मुझे यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमारे मकराना, डेगाना और डीडवाना, तीनों तहसीलों के टेण्डर ही अब हुए हैं तो यह पानी आप अगले साल तक पहुंचा देंगे? इसका मंत्री महोदय जवाब दें।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्री महोदय।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने मकराना के लिये कहा है तो मकराना के लिये अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और 33 माह में इस काम को पूरा करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार आपने डेगाना के लिये कहा है और इसी प्रकार आपने डीडवाना के लिये कहा है तो इनकी भी अनुबन्ध करने के लिये कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवम्बर माह तक इनके साथ अनुबन्ध करके 33 महीने में यह काम भी पूरा करवा दिया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष:** हो गया, अब पूरक प्रश्न।

**श्री श्रीराम भींचर** (मकराना): नहीं, एक और। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा कर दी कि हम अगले साल तक नागौर जिले की सम्पूर्ण जनता को पानी पिलायेंगे और आप आज यह फरमा रहे हैं कि हम 33 महीने में आपको पानी पिलाएंगे तो मुख्य मंत्रीजी की बात को माने या आपकी बात को माने? कम से कम आप यह तो स्पष्ट करें।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं आपसे निवेदन करूं, आज फेज-2 के 10 पैकेज हैं, 10 में से 3 पैकेज हैं, जो ट्रांसमिशन एण्ड मेन पैकेज प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यह आधारभूत ढांचे के हैं। इन तीनों पैकेज के अंदर फर्स्ट पैकेज में 60 प्रतिशत काम हो गया, दूसरे पैकेज में 76 प्रतिशत काम हो गया, तीसरे में 71 प्रतिशत काम हो गया। रहा सवाल अध्यक्ष महोदय, परबतसर, मकराना, डीडवाना और डेगाना का, तो इनकी निविदा की कार्यवाही चल रही है। अब निविदा की कार्यवाही होने के बाद में फर्म को तीन साल का टाइम देना पड़ता है और वह टाइम होने के बाद ही, अगर टाइम नहीं हो और समय पर काम नहीं करे तो उनके ऊपर शास्ति भी लगायी जाती है, रिसिंड भी किया जाता है, पर इनका तो टैण्डर अभी होना है तो टैण्डर होने के बाद ही इसके ऊपर कार्यवाही होगी। यह तीनों पैकेज के जो मैंने आपसे निवेदन किया, इनके काम पूरे हो गये। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीनों पैकेज का काम पूरा मार्च तक हो जाएगा और मार्च के बाद में कुचामन, लाडनूं दोनों तहसीलों को पानी पहुंचा दिया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष:** श्री हनुमान बेनीवाल, पूरक प्रश्न नम्बर दो।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के माध्यम से जानना चाहूंगा कि आपने नागौर-खींवसर के 180 से ज्यादा गांवों के अंदर पानी पहुंचाने की बात की है। कई गांवों के अंदर तो पानी आ गया लेकिन रेवेन्यू विलेज की जो आबादी है, वह ढाणियों के अंदर बसती है और नागौर-खींवसर का ज्यादातर पार्ट ढाणियों के अंदर है। आप गांव के अंदर तो पानी का पाइंट लगा रहे हो, लेकिन ढाणियों के अंदर मैन आबादी है, उन ढाणियों के अंदर जब तक पानी नहीं जाएगा तो पानी पहुंचा हुआ कैसे मानें? हमारी तो ज्यादातर आबादी ढाणियों के अंदर रहती है तो नागौर-खींवसर की

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जो ढाणियां, आप बार-बार कह रहे हो कि इतने पैकेज हैं, इतने फेज हैं, लेकिन हमारे तो नागौर-खींवसर में ही अभी पानी पूरा नहीं पहुंचा तो नावां-डीडवाना पानी कब तक जाएगा? 2008 तक, फिर 2018 तक का और अब आप कह रहे हो 33 महीने, तो 33 महीने बाद तो आप रहोगे ही नहीं, कहां से पानी पहुंचा दोगे? आप बताओ हमें।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं और जब अक्टूबर, 2015 में नागौर प्रवास पर थीं, उस समय इन ढाणियों को जोड़ने हेतु एक पॉलिसी बनाने के लिये कहा था। उस पॉलिसी के तहत 100 से अधिक आबादी वाली सभी ढाणियां तथा पाइप लाइन अलाइनमेंट से 300 मीटर की दूरी पर 50 से 100 की आबादी वाली ढाणियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है और इस नीति के अनुरूप नागौर जिले में 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 1480 गांवों की 3,758 ढाणियां आती हैं। उनमें से प्रथम चरण के अन्तर्गत लगभग 1259 ढाणियों तथा द्वितीय चरण के अन्तर्गत 1730 ढाणियां, कुल 2,989 ढाणियां नीति अनुरूप लाभान्वित किये जाने की श्रेणी में आती हैं, तो इनके लिये इनमें से जायका पोषित द्वितीय चरण के पैकेज परबतसर, मकराना, डीडवाना एवं डेगाना के अन्तर्गत 1063 गांवों को सम्मिलित कर लिया है और क्लस्टर कार्यों के साथ ही ढाणियों को भी लाभान्वित किया जाएगा और फेज प्रथम के तीन पैकेज खींवसर, मूंडवा, कुचेरा, मेड़ता तथा फेज द्वितीय के लाडनूं, कुचामन, नीति अनुरूप आने वाली ढाणियों का सर्वेक्षण एवं पैकेज बनायें तो लगभग 84 लाख रुपये व्यय करने की सैद्धांतिक अनुमति वित्त विभाग द्वारा जारी कर दी गयी गयी है। इस कार्य हेतु टी.ओ.आर. बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। सर्वेक्षण उपरान्त डी.पी.आर. के प्रावधानों एवं बजट उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

**श्री अध्यक्ष:** किनसरियाजी, आप मिल लेना। इनसे मिल लेना। आप मिलकर कह देना। एक सवाल और आ रहा है, इसीलिये मैंने कहा। आप मिल लेना। अगला सवाल, श्री हमीरसिंह भायल।

## सिवाना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार की आपूर्ति

**60. श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वर्तमान में भवन विहीन कितने आगंनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं? यदि हां, तो उक्त समूहों द्वारा पोषाहार की आपूर्ति माह में कितनी बार की जाती है तथा कौन-कौनसे स्वयं सहायता समूह किस-किस केन्द्र को पोषाहार आपूर्ति कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में बाड़मेर जिले में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं?

(5) क्या यह सही है कि उक्त पद हेतु अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति भी की जा सकती है? यदि हां, तो उक्त पद के लिये निर्धारित अर्हता क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास** (श्रीमती अनिता भदेल): (1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अन्तर्गत 03 परियोजनाएं क्रमश: सिवाणा, सिणधरी एवं नोखडा संचालित है। परियोजना सिवाना में 106, परियोजना सिणधरी में 28 एवं परियोजना नोखडा में 10 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य भवनों में संचालित है, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य पंचायतीराज निकाय/स्थानीय निकाय/ राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की आपूर्ति स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्राप्त कर प्रत्येक

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

गुरुवार को लाभार्थियों को वितरित की जाती है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गठित स्वयं सहायता समूह का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में बाड़मेर जिले में बाल विकास परियोजना अधिकारी के 13 पद रिक्त हैं।

(5) जी हां। बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर अन्य विभागों से ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकेगा, जो तत्समान वेतनमान में कार्य कर रहे हों, किन्तु बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की सीमा तक अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति लिये जाने के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नहीं लगाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष:** पूरक प्रश्न नम्बर एक।

**श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, 106 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन चल रहे हैं तो मेरा आग्रह आपके माध्यम से मंत्री महोदय से होगा कि इसका पंचायतीराज से बजट शीघ्र स्वीकृत हो, चाहे डिपार्टमेंट से हो, जल्दी से भवन बनाये जायें। जब तक भवन नहीं बनाये जायेंगे तो इनका संचालन सही ढंग से नहीं होगा। यह अतिआवश्यक है। इसका मंत्री महोदय जवाब दें।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्री महोदय।

**श्रीमती अनिता भदेल** (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा 632 के अंगेंस्ट 701 आंगनबाड़ी भवनों को स्वीकृत किया गया है। यह आंगनबाड़ी भवन, जिनमें से चार पूरे हो चुके हैं और 575 प्रगतिरत हैं। जो शुरू नहीं हैं वह 122 हैं तो बाड़मेर में 701 भवन हमने स्वीकृत किये हैं और यदि अपन सिवाना की बात करें तो सिवाना में 41 भवन हमने स्वीकृत किये हैं, 36 प्रगतिरत हैं और जो शुरू ही नहीं हुए अभी तक, स्वीकृत होने के बावजूद भी, वह 5 हैं। इसके साथ ही सिणधरी में हमने स्वीकृत किये हैं 25 और प्रगतिरत सिर्फ 15 हैं। 10

(श्रीमती अनिता भदेल)

ऐसे हैं, जो अभी शुरू ही नहीं हुए हैं और 2 अभी-अभी शुरू हुए हैं। इसके अतिरिक्त नोखड़ा में 4 हमने स्वीकृत किये हैं और 4 में से 2 ही प्रगतिरत हैं। एक पूर्ण निर्मित हो गया, एक शुरू ही नहीं हुआ है। हमने स्वीकृतियां दी हैं, आपके विधान सभा क्षेत्र में हमने 70 भवनों की स्वीकृतियां दी हैं तो मेरा आग्रह है कि 70 भवनों की जमीन आबंटन कराने के बाद आपको स्वीकृति दी है, तो यह 14 भवन अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, जो आपकी विधान सभा क्षेत्र के हैं। उनको शुरू करायेंगे तो हम आगे की स्वीकृति, जैसे-जैसे हमें जमीन आबंटन होगी, वैसे-वैसे ही जारी करेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** दूसरा पूरक प्रश्न।

**श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, जो स्कूलें मर्ज हो गयी हैं, उन स्कूलों के भवन खाली पड़े हैं। उनमें अगर इनको संचालित कर दें तो भवन की देखरेख भी हो जाएगी और भवन का उपयोग भी हो जाएगा। इस पर मंत्रीजी विचार करें।

**श्रीमती अनिता भदेल** (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बाड़मेर में ऐसे भवन, जो अन्य सरकारी भवनों में संचालित हैं, स्कूलों में जो संचालित हो रहे हैं, वह 1055 हैं, जो अपन ने स्कूलों में संचालित किये हैं।

**(12.00 बजे)**

जहां भी अपन को स्कूल के भवन खाली मिले अपन ने उनमें हण्ड्रेड परसेंट शिफ्ट कर दिया लेकिन कई आंगनबाड़ी केन्द्र ऐसे हैं जो उस स्कूल के आसपास नहीं हैं, उनको सरकारी स्कूल का भवन मिलना संभव नहीं हो पा रहा है तो यदि अपन को जमीन आबंटित होती है तो नैक्स्ट टाइम में ये जो आपके 70 भवन हैं, यदि पूरे हो जाते हैं तो ...(व्यवधान)... नैक्स्ट को भी अपन आबंटित कर देंगे।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)**

**श्री अध्यक्ष:** विराजो। प्रश्न काल समाप्त। विराजिये, मंत्री महोदया। प्रश्नकाल समाप्त। शोकाभिव्यक्ति।

(श्री अध्यक्ष)

# शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

मानननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नानालाल बीरबाल एवं श्री मूलचन्द सामरिया के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

## नानालाल बीरबाल, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व राज्य मंत्री श्री नानालाल बीरबाल का जन्म वर्ष 1931 में उदयपुर जिले के कूरज ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री नानालाल बीरबाल पांचवीं तथा सातवीं विधान सभा में राजसमन्द निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। श्री बीरबाल फरवरी, 1981 से जुलाई, 1981 तक राज्य सरकार में खनिज विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा यातायात, आवासन, रोजगार एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री बीरबाल समाज के विभिन्न संगठनों से सम्बद्ध रहे। आप तेन्दू पत्ता सलाहकार समिति तथा पश्चिमी वृत्त वन मण्डल के सदस्य भी रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री बीरबाल देहात जिला कांग्रेस कमेटी, उदयपुर के सदस्य एवं संयोजक रहे।

श्री नानालाल बीरबाल का दिनांक 10 सितम्बर, 2017 को निधन हो गया।

## मूलचन्द सामरिया, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री मूलचन्द सामरिया का जन्म 5 सितम्बर, 1934 को दौसा में हुआ। आपने बी.कॉम. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री मूलचन्द सामरिया पांचवीं तथा छठी विधान सभा में दौसा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप पांचवीं विधान सभा में स्वतंत्र पार्टी तथा छठी विधान सभा में जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1972 से 1977 तक प्रतिपक्षी दल के उप नेता एवं सचिव रहे। आप स्वतंत्र पार्टी विधायक दल के मंत्री भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री सामरिया अपने सार्वजनिक जीवन में नगरपालिका, दौसा के सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री सामरिया ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। आप दलित वर्ग संघ, दौसा के मंत्री तथा दौसा समाजवादी मंच के अध्यक्ष रहे। आप डकोता खान सोप स्टोन मजदूर यूनियन, दौसा के उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री मूलचन्द सामरिया का दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री नानालाल बीरबाल एवं श्री मूलचन्द सामरिया को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

**(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)**

ओम शांति। ...(व्यवधान)...

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, भाषण एवं नारे)**

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री हीरा लाल दरांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल द्वारा मीणा जाति को एस.टी. का प्रमाण पत्र जारी करने में आनाकानी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री मनोज कुमार एवं एक अन्य सदस्य की ओर से प्रदेश में पूर्व में सरकार द्वारा कृषक परमार राजपूतों को दिया गया आरक्षण समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से कोटपूतली थाना क्षेत्र के निवासी प्रहलाद जाट की हत्या के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच एवं हत्यारों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हीरा लाल दरांगी, श्री मनोज कुमार एवं श्री हनुमान बेनीवाल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)**

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

## नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा) द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(2) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से उपखण्ड फतेहपुर में सरकारी महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रमेश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के उपखण्ड मण्डरायल व सपोटरा में सड़कों की खराब स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई में क्षतिग्रस्त सड़कों के स्थान पर नई सड़कें बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अजीत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोंक की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने एवं टोंक-लहन-पालड़ा रोड को माइनिंग रोड घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगोद की हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य की ओर से हाड़ौती क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज का लाभकारी समर्थन मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री गोरधन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद के मिडल स्तर तक के विद्यालयों को सैकण्डरी स्तर तक क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में रहने वाले बंगालियों को खातेदारी व अनुसूचित जाति वर्ग के प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चाकसू के कोटखावदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से स्वच्छ जलाशय का निर्माण ग्राम खेडला बुजुर्ग, तहसील महुवा के स्थान पर ग्राम खोहरामुल्ला, तहसील महुवा में कराये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)**

## पर्ची

आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 26 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

| क्र.सं. | नाम मा. विधायक | विषय |
|---|---|---|
| 1 | श्री शंकर सिंह | विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में सड़कों से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में। |
| 2 | श्री तरुण राय कागा | विधान सभा क्षेत्र चौहटन में फसल खराबे की गिरदावरी का सही मूल्यांकन कराये जाने के सम्बन्ध में। |
| 3 | श्री कैलाश चौधरी | विधान सभा क्षेत्र बायतू में पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय गिडा पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में। |
| 4 | श्री जयराम जाटव | विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण की ग्रामीण पेयजल योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में। |

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)**

यज्ञ कर रहे हैं। इनके अपने आपमें सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं और आहुतियां दे रहे हैं, इनको बधाई। श्री हीरा लाल दरांगी।

यह तो ऐसा है कि यह तो उचित, यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियां हैं जो आप भी दे रहे हो, आपको सद्बुद्धि आये, इसलिए दे रहे हो आप।

श्री हीरा लाल दरांगी। श्री मनोज कुमार।

# स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## कृषक परमार राजपूतों को प्राप्त आरक्षण की समाप्ति

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम प्रक्रिया 50 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण विषय है।

# व्यवस्था का प्रश्न

## सब-जुडिस मामलों पर चर्चा नियमों में अनुज्ञेय नहीं

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विषय उठाने की इजाजत आपसे चाही है और आपने बड़ी सहृदयता से इजाजत दी है। अध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला अभी न्यायिक विवेचना में है, माननीय उच्च न्यायालय में है। यह नियमों के नियम 119, जिसमें लोक हित के विषय पर चर्चा की बात कही गई है, इसके (viii) में लिखा है, 'वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायिक निर्णय के अंतर्गत हो'। यह सारा मामला आज की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय में है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आप उचित व्यवस्था फरमा दें।

**श्री अध्यक्ष:** विचाराधीन है कि नहीं न्यायालय में, आपसे यह पूछना चाहता हूं।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने न्यायालय में विचाराधीन की बात कही है, यह मेरी जानकारी में नहीं है। इनकी जानकारी में है तो यह तथ्यात्मक रिपोर्ट दे दें। अगर न्यायालय में है तो रिपोर्ट दे दें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय उद्धृत कर रहे हैं। वह रिट पिटिशन का नाम उद्धृत कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के द्वारा 5 जनवरी, 2017 को एक निर्णय दिया गया था। उसके अगेंस्ट में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। एसएलपी दायर हो चुकी है और रिप्लाई फाइल हो चुका है। मैटर सबजुडिस है।

**श्री अध्यक्ष:** न्यायालय में विचाराधीन है। आप नहीं बोलिए। ...(व्यवधान)... श्री हनुमान बेनीवाल। ...(व्यवधान)...

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कल जो इनका बिल आया है, यह बिल भी न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद भी यह यहां चर्चा कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अंकित नहीं हो ...(व्यवधान)...

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): 000

**श्री अध्यक्ष:** अंकित नहीं हो। न्यायालय में विचाराधीन है ...(व्यवधान)...

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): 000

**श्री अध्यक्ष:** सदन में चर्चा नहीं हो सकती ...(व्यवधान)... बहस नहीं ...(व्यवधान)...

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्री अध्यक्ष:** मैंने रुलिंग दे दी है। चर्चा नहीं होगी। आपका एक भी शब्द अंकित नहीं होगा। बैठ जाइए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्री अध्यक्ष:** अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)... अंकित नहीं हो ...(व्यवधान)...

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): 000

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्री अध्यक्ष:** आपंका अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)...

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): 000

**श्री अध्यक्ष:** अंकित नहीं हो रहा है। इनको चर्चा करने की इजाजत नहीं दी है

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): 000

**श्री अध्यक्ष:** नहीं होगा अंकित, इजाजत नहीं दी है। ...(व्यवधान)... वहां जाकर बोलिए। कंट्रोल तो करो ...(व्यवधान)... दूर, दूर ...(व्यवधान)...

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): 000

**श्री अध्यक्ष:** प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं ...(व्यवधान)...

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

**श्री अध्यक्ष:** तो आप बोलिए। इनको बैठा दीजिए। जो आपके पास हैं।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मैं थोड़े ही बैठाऊंगा।

**श्री अध्यक्ष:** आप बोलिए हनुमान जी बेनीवाल। सीट पर जाकर बोलिए। मैं नहीं सुन रहा हूं ...(व्यवधान)... मैं सुन ही नहीं रहा हूं, सीट पर जाकर के बोलिए

# स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## कोटपूतली थाना क्षेत्र के हत्या प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, जयपुर ग्रामीण के कोटपूतली थाना क्षेत्र के प्रहलाद जाट हत्याकांड की तरफ आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 30.06.2017 को बालौदजी गांव में प्रहलाद जाट की हत्या हुई, जिसका मामला 447/17 कोटपूतली थाने में दर्ज हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भी चिकित्सकों ने मौत का कारण हत्या माना है, जिसका विस्तृत विवरण रिपोर्ट के अंदर है।

अध्यक्ष महोदय, स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया। जाट समाज के साथ-साथ सर्व समाज के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए। पीड़ित पक्ष को संदेह है कि हत्यारों को बचाने के लिए कुछ नेताओं के प्रभाव में पुलिस हत्या को एक्सीडेंट का रूप देना चाह रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और गृह मंत्रीजी से मांग करूंगा कि हत्याकांड की जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित करवाकर की जाए। जो जांच पहले थानाधिकारी कर रहे थे, वह बाद में सीओ, गोविन्दगढ़ को दे दी। अब जो जांच हो रही है उससे परिवादी और पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं हैं। शासन का जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, अगर सरकार इस तरह से हत्या कांड को गंभीरता से नहीं लेगी।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अध्यक्ष महोदय, यह जाट समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस हत्याकांड से ना केवल कोटपूतली बल्कि पूरे राजस्थान के जाट समाज में रोष है। आप तत्काल प्रभाव से उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच प्रस्तावित करके हत्या करने वाले अभियुक्तों को सलाखों में डालें।

अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले के कैबिनेट मंत्री हेमसिंह जी भड़ाना ने भी एक पत्र आपको इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए दिया था। एक बहुत बड़ा आंदोलन 13 सितम्बर को कोटपूतली में हुआ था। हजारों की तादाद में लोगों ने थाने का घेराव किया था। वहां प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लोगों को आश्वस्त किया गया था कि 15 दिन के अंदर-अंदर हत्यारे गिरफ्त में होंगे, सलाखों के अंदर होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरी गृह मंत्रीजी से इतनी सी मांग है कि प्रहलाद जाट हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए। गृह मंत्री महोदय, राजस्थान के अंदर यह क्या हो रहा है? आपके मंत्री पिट रहे हैं। आपके विधायक पिट रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप कुछ न कुछ ऐसा मैसेज राजस्थान के अंदर दीजिए ताकि अच्छा संदेश जाए। जैसा मैसेज आपको कुछ दिनों पहले दिया था। मेरी मांग है कि इसकी जांच कराकर हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी हो।

**श्री अध्यक्ष:** गृह मंत्रीजी।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)**

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि प्रहलाद हत्या का एक मुकदमा 447/17, धारा 302 में दर्ज हुआ था। अभी तक पुलिस भी 302 ही मान रही है, कोई एक्सीडेंट नहीं मान रही है। एक व्यक्ति को हमने आइडेंटिफाई किया, हनुमान को, उसके पोलीग्राफिक टैस्ट के लिए हमने कोर्ट से इजाजत ली लेकिन उसके बाद भी उसने पोलीग्राफिक टैस्ट देने से मना कर दिया। हमने दुबारा सैशन कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाई है कि उसका पोलीग्राफिक टैस्ट हमें करने दिया जाए। अभी भी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। सीओ को दिया, सीओ के बाद भी हमने अभी एडिश्नल एस.पी. को जांच दी है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अगर आपके मन में यह लगता है कि उस एडिश्नल एस.पी. से भी जांच नहीं हो सकती तो आप जहां चाहोगे, जिस व्यक्ति से चाहोगे, हम उससे जांच कराने को तैयार हैं। हत्यारा, हत्यारा ही होगा। उसको बचाने का कोई सवाल नहीं है। आपके मन में जहां भी असंतोष है, आप मुझे बताइए। अगर उसकी तफ्तीश किसी ऊपर के अधिकारी को देनी है तो देकर के निश्चित रूप से जांच करेंगे। लगभग हम करीब हैं, लेकिन पोलीग्राफिक टैस्ट में जब तक नहीं होगा, क्लीयर नहीं हो रहा है। उससे हमने बहुत पूछताछ कर ली। लेकिन वह यह कहता है कि मैं उस समय शराब के नशे में था। मुझे कोई भी चीज याद नहीं है। प्रयत्न करने के बाद भी अभी उससे उगला नहीं पाए या उससे उस विषय को वैरीफाई नहीं कर पाए।

हम उस सी.डी. को भी वैरीफाई कर रहे हैं, जो उसके पास में धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था। उसमें यह प्रहलाद, स्वयं भी गया हुआ था। उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हमारा निशाना बना है या एक व्यक्ति पर जो हमारी निगाह ठहरी है, उसके पोलीग्राफिक टैस्ट के लिए हमने सैशन कोर्ट में फिर एप्लाई किया है। आप चाहेंगे जिस प्रकार की टीम बनाकर के जांच करने के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं।

श्री धीरज गुर्जर। श्री धीरज गुर्जर। (अनुपस्थित)

श्री नन्दकिशोर महरिया। श्री नन्दकिशोर महरिया। (अनुपस्थित)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे भी आपसे निवेदन करनी थी। एक बात आपसे निवेदन करनी थी।

**श्री अध्यक्ष:** फरमाइये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको निवेदन किया था वेश्म में भी आपके कि लगातार मेरे साथ, पता नहीं, क्या समस्या है, आज भी मेरा लॉटरी में 9 नम्बर पर क्वेश्चन लगा था, लॉटरी निकल गई थी और मेरा क्वेश्चन लग गया था। सामान्य प्रश्न था कि 13 नम्बर के बंगले पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ है, उस प्रश्न को हटा दिया गया। यह उचित नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष:** इसकी जांच करवा ली जाएगी। विराजिए।

श्री रमेश (अनुपस्थित)।

श्री हीरालाल (अनुपस्थित)। हीरालाल, 295, हीरालाल तीन हैं, तीनों ही एब्सेंट हैं। ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं। पढ़े हुए नहीं मान सकते।

श्री अजीत सिंह (अनुपस्थित)। श्री अजीत सिंह (अनुपस्थित)। ...(व्यवधान) ... नहीं, पढ़े हुए नहीं मान सकते। रिकार्ड पर वही जाएगा जो यहां पर बोला जाएगा।

श्री हीरालाल नागर (अनुपस्थित)।

श्री भवानी सिंह राजावत।

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

## हाड़ौती क्षेत्र के किसानों की उपज की समर्थन मूल्य पर खरीद

**श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाड़ौती का किसान पिछले 4 वर्षों से कभी प्राकृतिक आपदा, कभी फसल के भावों में गिरावट को लेकर तबाह हो रहा है। 2014 में किसानों पर ओलावृष्टि का कहर बरपा, वहीं 2015 में अतिवृष्टि से फसलें चौपट हो गईं। सोयाबीन की फसल को तम्बाकू इल्ली ने नष्ट कर दिया। 2016 में धनिये को लौंगिया और धान को ब्लास्ट रोग ने खत्म कर दिया और वर्तमान 2018 में मानसून के रूठ जाने से और बिजली पूरी नहीं मिलने से किसान की फसलें चौपट हो गई।

पिछले 3 साल से दालों के भाव आसमान छूने पर सरकार ने किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रेरित किया, लेकिन अब उड़द की खेती किसान के लिए गले की फांस बन गई। अन्नदाता उड़द के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि उसके परिवार को दीपावली की खुशियां भी नसीब नहीं हो रही है। 2012 में अच्छे भाव देखकर हाड़ौती के किसान ने लहसुन को गले लगाया लेकिन इस बार लहसुन के भावों ने रूला दिया। जो लहसुन 15-20 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिका था वह लहसुन आज 1000-1500 रुपए प्रति क्विंटल रह गया जिससे लागत भी नहीं निकली और किसान बर्बाद हो गया। कृषि अधिकारियों

(श्री भवानी सिंह राजावत)

ने किसानों को फसल चक्र अपनाकर उड़द, मूंग और मोठ की खेती करने के लिए प्रेरित किया और संभाग में 75 फीसदी किसानों ने उड़द की बुवाई कर दी। मौसम ने भी साथ दिया और ढाई क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन हुआ लेकिन समर्थन मूल्य देरी से घोषित करने व प्रक्रिया पेचीदा होने के कारण किसान चाह कर भी खरीद केन्द्रों पर अपनी उपज नहीं बेच पाया। जहां समर्थन मूल्य 5400 रुपए था वहीं किसान को अपने खून पसीने की कमाई को 2500-3000 रुपए क्विंटल में बेचना पड़ा।

केन्द्र सरकार किसानों को अगले 5 साल में, 2022 तक आमदनी दुगुना करने का सपना दिखा रही है लेकिन किसान आंसू भरी आंखों से कैसे सपना देखे? हाड़ौती के हालात विकट हैं। पिछले 3 साल में विभिन्न कृषि जिंसों के भावों में 60 से 65 फीसदी तक गिरावट आ गई है। अन्नदाता की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, खेती से मोह भंग होने लगा है। ऐसे में सरकार को अविलम्ब प्रभावी कदम उठाकर किसानों को राहत देनी होगी तभी अगले 5 साल में किसान की आमदनी दुगनी करने का सपना पूरा हो सकेगा। किसान को तबाही से बचाने के लिए राज्य सरकार को चाहिए कि अब मंडियों में किसान की उपज के एक-एक दाने की लाभकारी समर्थन मूल्य पर तुलाई सुनिश्चित हो। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री गोरधन (अनुपस्थित)। श्री गोरधन (अनुपस्थित)। श्री गोरधन (अनुपस्थित)।

श्री ललित कुमार (अनुपस्थित)। श्री ललित कुमार (अनुपस्थित)। श्री ललित कुमार (अनुपस्थित)।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा। ...(व्यवधान)... लक्ष्मीनारायण बैरवा, अपना 295 पढ़िए।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

## कोटखावदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की वित्तीय स्वीकृति

**श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष:** नारेबाजी अंकित न हो।

**श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (चाकसू): मेरे विधान सभा क्षेत्र चाकसू की तहसील कोटखावदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कर दिया गया है। इस केन्द्र पर प्रतिदिन आसपास की 15-20 ग्राम पंचायतों से 350-400 मरीज ओपीडी में आते हैं जिनमें से करीब 25-30 मरीज भर्ती हो जाते हैं। यहां औसतन 5 प्रसव रोज होते हैं। अस्पताल आने वाले गंभीर रोगियों को चाकसू के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज हेतु रेफर करना पड़ता है। यह उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत कोटखावदा तहसील होने के साथ ही थाना क्षेत्र भी है। थाना क्षेत्र से प्रतिदिन 15-20 दुर्घटनाओं के पीड़ितों को भी इलाज हेतु यहीं लाया जाता है। चाकसू 20-25 किलोमीटर दूर होने के कारण गंभीर पीड़ितों के इलाज में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस अस्पताल पर क्षेत्र की लगभग डेढ़-दो लाख की आबादी निर्भर रहती है। यह कठिन ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल आबादी क्षेत्र है। यदि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाती है तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा।

**(12.26 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि कोटखावदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नति हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा (अनुपस्थित)।

पर्ची के माध्यम से श्री शंकर सिंहजी।

## पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

### ब्यावर में सड़कों से सम्बन्धित समस्याएं

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से संशोधन के लिए जो निवेदन किया है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर

(श्री शंकर सिंह)

आरक्षण के लिए जिन जातियों का नाम पहले सूचियों में था उनको हटा दिया गया है, उस सूची के अंदर 'रावत' समाज का नाम भी लिया गया था, उस सूची से इसको किन कारणों से हटाया गया? मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि पुन: सर्वे करवाकर यह जो नई सूची बन रही है उसके अंदर इस जाति का भी नाम जोड़ने के लिए आपसे आग्रह है। इस हेतु मैंने जनमत जानने के लिए आपसे आग्रह किया है, ...(व्यवधान)... और जो शिक्षकों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए ...(व्यवधान)...

**श्री कालीचरण सराफ** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पर्ची पर बोल रहे हो या किस पर बोल रहे हो? ...(व्यवधान)...

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): सॉरी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। पर्ची के माध्यम का विषय था, पर्ची सड़कों की लगी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा सड़कों के मामले में कि ...(व्यवधान)... जो सड़कें फोर लेन और सिक्स लेन बनी हुई है। ...(व्यवधान)... ऐसा है कि दो विषय लगे हुए थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सड़क मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सड़कें फोर लेन और सिक्स लेन बनी हुई हैं जिसमें ब्यावर से गोमती तक जो सड़क बननी है उसके अंदर भी पुलियाएं नहीं रखी गई हैं। ब्यावर से सिरोही रोड जा रही है उस पर दो जगह पर सर्विस रोड नहीं बनी है। उसके लिए पहले भी मैंने आपसे आग्रह किया था और अभी भी वहां पर काफी एक्सीडेंट होते हैं। जालिया पुलिया के पास जो सर्विस रोड बननी थी वहां पर भी नहीं बनी है, वहां पर भी सर्विस रोड बनाई जाए। रामगढ़ जाने वाले रास्ते पर भी सर्विस रोड नहीं बनी हुई है। सेनड़ा के पास में वहां पर भी सिलीवेरी बाबा, वहां पर जो रोड मिलता है वहां पर भी सर्विस रोड सेनड़ा रोड पर जाने के लिए नहीं बनी हुई है। मेरा आपसे आग्रह है कि जालिया के पास में जो पुलिया है उसके ऊपर सर्विस रोड बननी अति आवश्यक है।

दूसरा निवेदन यह था (व्यवधान) आप बैठ जाओ भाई। आप डिस्टर्ब मत किया करो। आप विराजिए। जब आपकी सरकार थी, अब आप जबर्दस्ती इन किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। ऐसे कोई फायदा नहीं

(श्री शंकर सिंह)

है, आप लोग विराजो। राजस्थान की जनता आप लोगों को अच्छी तरह से जानती है। राजस्थान की जनता राजस्थान के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और वसुन्धरा जी का शासन देखना चाहती है, इसके अलावा कोई देखना नहीं चाहती है। इसलिए ये घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोगों को राजस्थान की जनता अच्छी तरह देख रही है। कहीं ऐसा नहीं हो, आज यहां धरने पर बैठकर जनता की सिम्पेथी लूटें, ऐसा कोई आपका विचार है? मैं यह कह रहा हूं अभी आप बस में बैठकर आ रहे हो, यदि जनता की नजर लगी तो किसी टेम्पो में बैठकर आना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ी शांति बनाये रखें और धैर्य रखें। हमारा जिला भी बनेगा, आप चिन्ता मत करो।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा, जिस प्रकार ब्यावर सतपुलिया से अंदर शहर में जाने वाला सिक्स लेन सड़क बनी हुई है, गौरव पथ के अंदर वह एक वर्ष से स्वीकृत है, लेकिन अभी तक भी वह कार्य छोटी-छोटी बाधाओं के कारण पूर्ण नहीं हो पाया, उसको पूर्ण करें। विशेष आग्रह है कि पुलिया के पास सर्विस रोड बनाने के ऊपर जरूर आप जवाब दें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** मंत्री महोदय।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई सड़क जिसमें विशेष रूप से ब्यावर से गोमती चौराहा (व्यवधान) चलो, ये इतनी बात कह रहे हैं, चार दिन से यहां धरने पर बैठे हैं। इनकी एक मांग तो मान लेते हैं, जो ज्ञापन हमारे माननीय सदस्य ने दिया, मेरे हाथ में है, उन सड़कों की स्वीकृतियां निकाल देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री तरुण राय कागा।

## चौहटन में फसल खराबे की सही गिरदावरी

**श्री तरुण राय कागा** (चौहटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे चौहटन विधान सभा क्षेत्र में (व्यवधान)

"चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी,

(श्री तरुण राय कागा)

ये इलजाम मुझ पर लगा रहे हो बेवफाई का।
मगर जिन्होंने इस कलियुग को रौंद डाला अपने हाथों से,
वे भी दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का।।''

मेरे प्यारे दोस्तो, खयाल रखो।

''लिखा है कैद किस्मत में, कांग्रेस को क्या याद करना,
जहां ऐसे लोग बैठे हैं वहां फरियाद क्या करना।''

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे चौहटन विधान सभा क्षेत्र में कुदरत की कहर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब बरसात का मौसम आया तब हमारे किसानों की बांछें खिलीं। बहुत अच्छी बरसात हुई और किसानों ने अच्छे माहौल में काश्त की, मगर हमारे किसानों के जब ख्वाब चकनाचूर हुए, बरसात के बाद फसल पकने की तैयारी थी उस समय मौसम की प्रतिकूल हवाओं के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र की चौहटन तहसील के 6 आर.आई. सर्किल में फसल नेस्तनाबूद हो गई। उसके लिए हमारी सरकार अब गिरदावरी कर रही है। अगर वहां के हालात को देखकर वास्तविक मूल्यांकन करके देखा जाए तो हमारे वहां 33 प्रतिशत से ज्यादा ही नुकसान है। इससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों में एक आक्रोश भी है। उन्होंने मुझे कहा है, उन्हें मालूमात हुआ है कि वहां गिरदावरी में गोलमाल हो रही है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमारे वहां के किसानों के हालात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके गिरदावरी का सही मूल्यांकन किया जाए तो हमारे उस किसान को राहत मिल सकती है।

मैं आपको याद दिला रहा हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेड़वा तहसील के भेरूडी, ओकाला, वामनलाक, भंवरिया गिडा और बावरवाला में जब अतिवृष्टि हुई उस समय मैंने वहां बरसात में जाकर मौके की नजाकत का मुआयना किया था, बहुत हालत खराब थी। वहां भी किसानों के खेतों में फसल बोई हुई थी, पहाड़ के पत्थर भी बहकर जमीन पर आ गये। उसके अलावा जहां पानी इकट्ठा हुआ, आज भी वहां पानी सूखा नहीं है, वहां उस पर ध्यान देने की बात है। जहां पानी इकट्ठा हुआ वहां भी फसल खराब हो गई। जहां पानी बहा, वहां भी फसल खराब हो गई। ऊपर से मौसम की मार ने फसल खराबा

(श्री तरुण राय कागा)

कर दिया। इसके लिए हमारे वहां के किसान बहुत बुरी हालत में है। मैं विशेष तौर से सरकार से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, वहां आगे पाकिस्तान का बॉर्डर, यहां हमारे जालौर का बॉर्डर, इस तरह से हमारे किसान जाए तो कहां जाए। मेरा सरकार से एक ही आग्रह है कि उनकी सहानुभूतिपूर्वक गिरदावरी करके उन किसानों को राहत दी जाए, धन्यवाद। जय भारत।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि इस बार चार जिलों में बाढ़ के कारण से भी नुकसान हुआ और बाढ़ के कारण से जो नुकसान हुआ उसके लिए हमने स्पेशल गिरदावरी करायी। उस स्पेशल गिरदावरी में केवल बाड़मेर में, जहां अधिक वर्षा के कारण से जो नुकसान हुआ, गुढ़ामालानी के 208 गांव, धौरीमन्ना के 24, सेड़वा, जो इनके विधान सभा क्षेत्र में है उसके 8 गांव, सिवाना के 6 और समदड़ी के 10, ऐसे 256 गांवों में अत्यधिक बारिश के कारण से नुकसान उस समय हुआ जिसकी हमने स्पेशल गिरदावरी करायी और उस गिरदावरी में भी गुढ़ामालानी में 75 प्रतिशत का खराबा आया, धौरीमन्ना में 58 प्रतिशत खराबा आया और सेवड़ा, जो इनके विधान सभा क्षेत्र का एक तहसील क्षेत्र है उसमें जो 8 गांव हैं उनमें 34 परसेंट से अधिक का खराबा है। बाकी जो सिवाना है उसमें 15 प्रतिशत और 16 प्रतिशत, यह तो नहीं आता है। उसके कारण से हमने इन गांवों को उसी समय गिरदावरी के आधार पर अभावग्रस्त घोषित कर दिया और अभावग्रस्त घोषित करने के जो भी लाभ उस गांव को मिल सकते हैं बाढ़ के कारण से, वे लाभ हमने उनको दिये हैं। लेकिन जो गिरदावरी का है, उसके बाद की फसल की गिरदावरी 16 सितम्बर से शुरू होती है और अभी 15 अक्टूबर को समाप्त हुई है। 15 अक्टूबर की गिरदावरी का अभी टेबुलेशन हो रहा है, फाइनल आंकड़ा उसका नहीं आया है। आंकड़ा आने के बाद, माननीय सदस्य, आपको और सदन को इस बात के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी लम्बी देश की आजादी के बाद, पिछली बार जब अपने यहां ओलावृष्टि हुई थी उस समय पहली बार, यानी 33 परसेंट से अधिक खराबे को खराबे में जोड़ा। इसके पहले 50 परसेंट से अधिक खराबा था, अब 33 परसेंट है। मैं आज सदन को यह बताता हूं कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पिछली बार जो खराबा हुआ था हमने 33 परसेंट से ऊपर के सारे खराबे को, सबको पेमेंट हमने हमारे विभाग की तरफ से पूरा कर दिया। अभी भी जो खराबा आया है बाढ़ के कारण से, उनको पेमेंट होगा और अभी जो गिरदावरी हुई है, 15 अक्टूबर उसकी लास्ट तारीख थी, आंकड़े अभी कलेक्ट हो रहे हैं, होने के बाद जो भी 33 परसेंट से अधिक खराबा आएगा, उन किसानों को आपदा राहत के तहत जो सहायता मिलती है, केन्द्र सरकार को भेजकर हम बिलकुल सहायता दिलायेंगे और मैं आपको आश्वस्त करता हूं। माननीय सदस्य वैल में बैठे हैं लेकिन मैं बहुत आत्मसंतोष से इस बात को कह रहा हूं कि मैंने देश की आजादी से लेकर अब तक सारे फिगर को जोड़ा है, सबका फिगर जोड़ लो, उसमें आपदा में किसानों को जितनी मदद नहीं पहुंचाई वो हमने केवल इन तीन सालों में आपदा के तहत 6347 करोड़ रुपया किसानों को दिया है। वो भी जो उनकी रेट थी उस रेट को भी हमने डेढ़ा किया है। जो 4500 असिंचित की थी उसको 6800 किया है, जिसमें 8500 थी, उसको 13 हजार सिंचित की की है। पशुओं की जो डैथ हो जाती थी उसका पैसा हमने बढ़ाया। आदमी की मौत पर, जिसको पहले केवल डेढ़ लाख रुपये मिलता था वह आज की तारीख में हम चार लाख रुपया दे रहे हैं। मकान का एक पैसा भी राजस्थान में आज दिन तक, जो 48 घंटे तक पानी में घिर गये उन लोगों को एक भी पैसा नहीं दिया गया यद्यपि प्रावधान था पर उस प्रावधान को हमने पहली बार, अबकी बार इस बाढ़ के अन्दर 4800 रुपये प्रत्येक परिवार को, जो बाढ़े में घिरा रहा, उसको हमने कलेक्टर के माध्यम से तुरन्त पहुंचाया और तुरन्त वितरण किया है। जितने भी 65 लाख किसानों को पैसा हमने भेजा वो ऑनलाइन पैसा भेजा है और राजस्थान में किसी भी जगह से सिंगल शिकायत भी हमारे पास दर्ज नहीं हुई कि उनको पैसा नहीं मिला।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री कैलाश चौधरी।

## गिड़ा (बायतू) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ हमारी सरकार ने किया है लेकिन इसी बीच में हमारे

(श्री कैलाश चौधरी)
बाड़मेर जिले के बायतू विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति गिड़ा के अन्दर वहां के मरीजों के लिए महती आवश्यकता के रूप में हमेशा मांग भी उठती रही है कि वहां पर जो हास्पिटल है वह पीएचसी है, वो आदर्श पीएचसी है और उसको स्वच्छता के लिए इस बार राजस्थान में सम्मानित भी किया है, उसको सीएचसी किया जाए। उसका आउटडोर पिछले एक वर्ष 34200 का रहा है। उसके लिए जो नोर्म्स हैं कि नोर्म्स के अनुसार एक लाख की आबादी होनी चाहिए तो आज गिड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की आबादी है वह 1,18,930 की आबादी है और वहां पर सीएचसी की काफी समय से मांग रही है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि वहां रेगिस्तान के धोरों में जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी गम्भीर बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति को सीएचसी पर ले जाने हेतु 50 किलोमीटर से नजदीक कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसके कारण कई बार ऐसी दुर्घटना की वजह से व्यक्ति की जान चली जाती है। मंत्री महोदय, इस विषय को पिछली बार भी सदन में उठाया गया था और लगातार तीन वर्ष से मैं इस विषय को उठा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यह सरकार निश्चित रूप से और आप आज घोषणा करेंगे क्योंकि व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल जैसी एक आवश्यक सेवा है और नार्म्स को भी पूरा करते हैं तो उन नोर्म्स के आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो गिड़ा में पीएचसी है इसको क्रमोन्नत करवायें ताकि वहां रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को और दूर स्थानों पर रहने वाले लोगों को राहत मिल सके। मुझे विश्वास है कि आप इस मांग को निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा।

**श्री कालीचरण सराफ** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम गिड़ा, पंचायत समिति गिड़ा, जिला बाड़मेर के अन्तर्गत आता है। उक्त ग्राम में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। यह बात भी सही है कि वहां का आउटडोर भी 34200 इस बार रहा और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक सीएचसी खोले जाने का प्रावधान भी है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आगामी वित्तीय वर्षों में कोशिश करेंगे कि आपके यहां पर वह पीएचसी, सीएचसी में क्रमोन्नत हो।

**श्री उपाध्यक्षः** श्री जयराम जाटव।

## अलवर ग्रामीण की पेयजल योजनाओं का सुचारु संचालन

**श्री जयराम जाटव** (अलवर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष जी, अलवर जिले में अधिकांश ग्रामीणों के लिए पानी पीने की जो स्कीमें हैं वो जनता जल योजना की हैं। जनता जल योजना की जो स्कीमें बनीं और ठेकेदारों के माध्यम से उन स्कीमों का काम हुआ, टंकियां बनाई, पाइप लाइन डाली लेकिन बहुत सारी स्कीमों में आज भी पाइप लाइन टूटने के कारण गांव के लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा माननीय पीएचईडी मंत्रीजी से आग्रह है कि ये स्कीमें ग्राम पंचायतों को हैंडओवर कर दीं चाहे वो चालू थीं या बन्द थीं, स्कीम बनाकर ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दी कि आपको चलानी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि ग्रामीणों ने पानी पीने की स्कीमों के भरोसे, आज भी जैसे सिंगल फेज की जो स्कीमें हैं उनमें सिंगल फेज भी है, हैण्डपम्प भी हैं वो ग्राम पंचायतें चलाती हैं पर ग्राम पंचायतों के पास उनको चलाने के लिए न तो बजट है और न ही उनकी रिपेयर के लिए कोई बजट है। वहां पर जेजेवाई की स्कीमों में बिजली के बिल आते हैं उनको टीएफसी, एसएफसी के द्वारा सरपंच जमा कराते हैं। जो जेजेवाई के सिंगल फेज हैं उनमें कई जगह यह पोजिशन आ रही है कि गांव की जो ढाणियां हैं उनमें सिंगल फेज के जो बोरिंग हुए, कनेक्शन हुए वो पिछली बार जो सरपंच था उनके हितैषियों के, चहेते लोगों के सिंगल फेज के बोरिंग कर दिए और अब जब सरपंच बदल गया तो वह उनके कनेक्शन कटाने को तैयार हो गया। दूसरा यह है कि अगर वो कनेक्शन कटता है तो वहां का जो सामान है, वहां की मोटर है, जो बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिससे कनेक्शन है वो भी वहीं पड़ा है, तो उसका कौन मालिक है?

माननीय मंत्रीजी, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितनी स्कीमें हैं, मैं अलवर जिले की बात कर रहा हूं, अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं पर सब जगह जो जेजेवाई की स्कीमें हैं उनकी स्थिति यही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप इनको पीएचईडी में नहीं लेंगे, तब तक गांवों के लोगों को पीने के पानी की सुविधाएं नहीं हो पाएंगी। मेरा कहना यह है कि टीएफसी, एसएफसी का जो पैसा आता है वो विकास के लिए पैसा आता है, सफाई के लिए आता है, नालियों के लिए आता है

(श्री जयराम जाटव)

और वो जेजेवाई स्कीमों के बिल जमा कराने में जाता है। मेरे यहां पर एक ऐसी ग्राम पंचायत है जो तहसील हैडक्वार्टर भी है मालाखेड़ा। एक बहादुरपुर उप तहसील है जिसकी आबादी 10 हजार से ज्यादा है और वहां की ग्राम पंचायत का सरपंच बिजली का बिल ही जमा नहीं करा पा रहा है। इसलिए, मंत्रीजी, ऐसी स्कीमों को आप चैक करवा लें।

मेरा एक आग्रह और है कि जो स्कीम, जैसे आपका हैण्डपम्प है, 1500 की आबादी के गांव हैं वहां जेजेवाई की स्कीम में नहीं है तो वहां आप सिंगल फेस दें और सिंगल फेस भी जेजेवाई की स्कीम के द्वारा नहीं, पीएचईडी के द्वारा दें। ग्राम पंचायतों के भरोसे ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाता है। आपसे आग्रह है कि दरअसल में मुझे पता नहीं कि अलवर जिले का क्यों दुर्भाग्य है कि हमारे ये जितने विधायक हैं, ये सड़कों पर और दूसरे कामों पर लड़ते रहते हैं पर अलवर जिला बिल्कुल सूखा है। खेती की बात तो बहुत दूर की है पर अलवर जिले में पीने का पानी नहीं है। जब भरतपुर को हमारा जो साथ-साथ फैसला हुआ था स्टेट टाइम का, यमुना का पानी आने का उसमें डीपीआर बनकर भरतपुर को पानी आ गया लेकिन अलवर में आज तक यमुना का पानी नहीं आया। हम केवल यह चाहते हैं कि अगस्त और सितम्बर का जो बरसात का यमुना का पानी है, जो ओवरफ्लो होकर निकलता है वह पानी अलवर जिले को आये। उसमें झुन्झुनूं बताते हैं लेकिन अलवर जिले को दिया जाए। अलवर जिले में 2 हजार फीट नीचे भी पानी नहीं है। मैं मुख्य मंत्रीजी को निश्चित रूप से इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले बजट सत्र में जेजेवाई की स्कीमों के रखरखाव के लिए 90 करोड़ रुपये उनकी पाइप लाइन या उनको सुदृढ़ करने के लिए जिसमें टंकी फट गई हो या नये पाइप लाइन डालने के लिए पैसे दिये लेकिन आज तक भी वो पैसा नहीं लग पाया।

दूसरा, हमारे जिले में फ्लोराइड का पानी आ गया। जमीन में ऊपर पानी बचा नहीं है जो मिट्टी की जमीन है और पहाड़ का जो पानी आता है वो सारा फ्लोराइड का है। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आर.ओ. प्लांट की स्कीम बनाई और उन गांवों में ग्रामीणों को आर.ओ. प्लांट के द्वारा पानी पिलाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, मेरा

(श्री जयराम जाटव)

आग्रह है कि एक सैक्टर रिफोर्म की स्कीम और आई थी 4-5 साल पहले कांग्रेस के जमाने में कि आप गांव के लोगों की कमेटी बनायें, उसमें 10 परसेंट पैसा जमा करें और सैक्टर रिफोर्म के द्वारा जो गांव की कमेटी बनेगी वो पानी देगी। वहां के जो अध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष थे, वो उस स्कीम में खा-पीकर भाग गये और वो स्कीमें भी ग्राम पंचायतों को हैंडओवर कर दी, मतलब यह चलने वाला नहीं है। गांव के लोगों को, आज शहर के लोगों को भी पानी नहीं मिल रहा है। ये बनवारी लाल जी सिंघल बैठे हैं, अलवर शहर में पानी नहीं है। हमारे यहां जयसमन्द का बाँध सूख गया है। बरसात कम हो रही है। आप सिलीसेढ़ का पानी लाने के लिए बात करते हैं। कल भी अलवर ग्रामीण के लोग वहां आंदोलन कर रहे थे। केसरपुर के लोग थे, बलाणा के लोग थे और वे बोरिंग करने के लिए कह रहे थे कि हम बोरिंग नहीं होने देंगे। मेरा आग्रह है कि ये ग्रामीणों की स्कीमों को, आप अलवर जिले की जितनी जेजेवाई, सैक्टर रिफोर्म, इनको आप पीएचईडी में लें तो ही पानी पीने की व्यवस्था हो पायेगी और हमारे यहां डीपीआर, जब तक यमुना के ओवरफ्लो का पानी यहां तक नहीं लाया जायेगा, तब तक अलवर जिले का भला नहीं हो सकता।

मुझे आपने यह बात बोलने के लिए मौका दिया। मेरा पुरजोर शब्दों में अलवर जिले की तरफ से, सारे विधायकों की तरफ से निवेदन है। मुझे तो बोलना था, मेरा प्रश्न है, मेरी पर्ची है लेकिन आप इस महत्वपूर्ण बिन्दु को विचारविमर्श करके अलवर जिले का भला करने के लिए कोशिश करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने पीने के पानी के बारे में सदन में जिक्र किया है। मैं इनको निवेदन करूं, आपने जनता जल योजनाओं के बारे में जिक्र किया। जनता जल योजना सिर्फ आपके अलवर ग्रामीण में ही 11 हैं और उनको भी सुदृढ़ीकरण करने के लिए हमने स्वीकृतियां जारी कर दी हैं और उनका भी सुदृढ़ीकरण कर दिया है। अब मैं आपसे निवेदन करूं कि बाकी के जो 194 गांव हैं, उनमें से 136 गांवों में 30 से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी दिया जा रहा है। 28 गांवों को

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

20 से 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी दिया जा रहा है। 30 गांवों को 10 से 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी दिया जा रहा है और देसूला में जल सेवा 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और 107 हैण्डपम्प योजना, 60 ग्राम टैंक योजना से, 27 पाइप योजना से लाभान्वित आपके वहां गांव हैं।

मेरा आपसे निवेदन है, जो आपने बताया कि स्वीकृतियां जारी नहीं की गई है तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2017-18 में 54 नये हैण्डपम्पों की स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। 12 पूर्ण कर दिये गये हैं और बाकी प्रगतिरत हैं। सोलर के सिंगल फेज के 10 जगह स्वीकृत हैं, उनमें से 5 कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं, 5 प्रगति पर हैं। इसके अलावा चार स्थानों पर हैण्डपम्प योजना से पम्प योजना में परिवर्तन कर सितम्बर माह में स्वीकृति जारी कर दी है। आपके पलखड़ी, केसरपुरा, जमालपुर, मोडिया, सीराबास के कार्यों की निविदा आमंत्रित कर 21 अक्टूबर को प्राप्त कर कार्य शुरू करवा दिया गया है।

इसके अलावा तीन सोलर डीएफओ स्थापित कर दिये गये हैं। दो जगह आर.ओ. प्लांट लगा दिये गये हैं। इसके अलावा विधान सभा क्षेत्र में आपसे निवेदन करूं कि 2013 से अक्टूबर, 2017 तक हैण्डपम्प के करीब 300 लाख सोलर सिंगल फेज के लिए 97.49 लाख रुपये, आर.ओ. प्लांट के लिए 47.10 लाख रुपये, विभिन्न योजनाओं के लिए सितम्बर, 2017 तक 4,62,34,000 रुपये, अक्टूबर, 2017 में 1,87,33,000 रुपयों के कार्य स्वीकृत किये हैं। इस प्रकार कुल 10.94 करोड़ रुपये की पेयजल की स्वीकृतियां जारी कीं, जिनमें से 6,53,26,000 रुपये व्यय भी हो गये हैं।

अभी आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए, कम वर्षा होने के कारण सुदृढ़ीकरण के नवीन नलकूपों के आवश्यकतानुसार आपके जो प्रपोजल आये थे, उनके अनुसार फिजिबिलिटी के आधार पर आठ गांवों की, जैसे अभी आपने मालाखेड़ा की बताई है, डडीकर है, हल्दीना है, कलसाड़ा है, खारेड़ा है, जाडिया पट्टी है, मूडिया खेड़ा है, सेतली है। इन सबकी अक्टूबर, 2017 में स्वीकृति जारी की गई है, जिनकी निविदा प्रक्रियाधीन है। वह भी निविदा पूरी करके, वह भी काम पूरा करवा दिया जायेगा।

और बाकी मैं निवेदन करूं, जनता जल योजना है। पूरे राजस्थान के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

अंदर 6,523 हैं। वह ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ही उन्होंने ली है तो वह ही उनको सम्भालेगी और उनको सुदृढ़ीकरण के काम के लिए पैसा भी, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद करता हूं कि पिछले साल बजट में घोषणा की थी, सुदृढ़ीकरण किया। इस साल भी 100 करोड़ रुपयों की घोषणा की। वह सुदृढ़ीकरण का काम हो रहा है तो जनता जल योजना को सुदृढ़ करके पंचायत को ही करना पड़ेगा। रहा सवाल बिजली के बिलों के भुगतान का, तो बिजली के बिलों के भुगतान के लिए राज्य वित्त आयोग मद से वह पैसा सीधा पंचायतों को दिया जा रहा है और उनका भुगतान किया जा रहा है।

जहां तक यमुना के पानी का सवाल है, तो आप लोगों की तरफ से जो डिमांड है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, उसकी डीपीआर का काम चल रहा है और डीपीआर का काम पूरा होने के बाद वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

**श्री उपाध्यक्ष:** सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंह जी शेखावत।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

# अधिसूचना

## वित्त विभाग

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 24 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-127 दिनांक 24.10.2017 जिसके द्वारा माह अगस्त एवं सितम्बर, 2017 हेतु जीएसटीआर-3बी फॉर्म के विलम्ब से दाखिल करने पर विलम्ब शुल्क से छूट प्रदान की गई है;

2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-120 दिनांक 18.10.2017 जिसके द्वारा आरजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा-148 के अन्तर्गत

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वितरण हेतु भोजन सामग्री की अंत: राज्य आपूर्ति पर 2.5 प्रतिशत की दर से एसजीएसटी का निर्धारण किया गया है;

3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-121 दिनांक 18.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-122 दिनांक 18.10.2017 जिसके द्वारा आरजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा-147 के अन्तर्गत डीम्ड निर्यात मानते हुए कुछ माल की आपूर्तियों को अधिसूचित किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-123 दिनांक 18.10.2017 जिसके द्वारा प्रतिदाय दावे के लिये डीम्ड निर्यात आपूर्तियों के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक प्रमाणों को अधिसूचित किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-124 दिनांक 23.10.2017 जिसके द्वारा आरजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत निर्यात हेतु पंजीकृत प्राप्तकर्ता को आपूर्ति करने हेतु वस्तुओं पर राज्य कर दर 0.05 प्रतिशत सशर्त निर्धारित की गई है;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-106 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017(समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-107 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017(समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-108 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

/2017-पार्ट-I-51 दिनांक 29.6.2017(समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-110 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-111 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-112 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-43 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-113 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-58 दिनांक 30.6.2017 में संशोधन किया गया है;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-114 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-9(1) के अन्तर्गत मोटर वाहनों की आपूर्ति के लिये लागू राज्य कर की दर 65 प्रतिशत एसजीएसटी निर्धारित की गई है;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-115 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-86 दिनांक 15.09.2017 में संशोधन किया गया है;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-116 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-6(1) के अन्तर्गत प्रतिदाय हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की गई है;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-117 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-118 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-46 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-119 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-148 के अन्तर्गत छोटे करदाताओं हेतु कर जमा कराने की अवधि निर्धारित की गई है;

20. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/कर/एसपीएफसी/2017 दिनांक 1.5.2017 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा-58 के अन्तर्गत सरकारी ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से किये गये उपापनों को सशर्त छूट प्रदान की गई है;

21. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/कर/एसपीएफसी/2017 दिनांक 8.6.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/कर/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

22. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/कर/एसपीएफसी/2017 दिनांक 2.8.2017 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है;

23. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/कर/जीएफएण्डएआर/2017 दिनांक 13.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.1(8)वित्त/कर/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं

24. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/कर/एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.1(8)वित्त/कर/ जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

# मुखबन्द

## अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2017-2018)

## (प्रथम संकलन) का पारण

**श्री उपाध्यक्ष:** वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-2018 (प्रथम संकलन) मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

### मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,47,23,000/- (पैतीस करोड़ सैतालीस लाख तेईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

### मांग संख्या 13 - आबकारी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13 - आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

### मांग संख्या 14 - बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 - बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 64,000/- (चौंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

## मांग संख्या 18 - जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 - जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या 23 - श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 - श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,000/- (सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

## मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या 27 - पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 - पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,77,83,56,000/-(छह अरब सतहत्तर करोड़ तिरासी लाख छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

## मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**(13.00 बजे)**

## मांग संख्या 34 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,03,30,00,000- (छह अरब तीन करोड़ तीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या 37 - कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 - कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,000/- (बत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,000/- (अट्ठारह

(श्री उपाध्यक्ष)
हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या 43 - खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43 - खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,000/- (सतरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य। विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण। राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 श्री राजपाल सिंह शेखावत।

# विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

## राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** विचारार्थ का प्रस्ताव भी कर दें।

## विधेयक पर विचार

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

**श्री उपाध्यक्ष:** कोई सदस्य बोलना चाहेंगे? पुन: आपसे पूछ लेता हूं, कोई सदस्य बोलना चाहेंगे?

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): वो दिये हुए हैं साहब, इसमें।

**श्री उपाध्यक्ष:** लिस्ट है क्या?

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): लिस्ट है, साहब।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): हमारे पास लिस्ट आई है, है कैसे नहीं।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): विनियोग में नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष:** आप लोगों को यह तो जानकारी है कि आपने अमेंडमेंट्स कौनसे बिल पर दिये हैं?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड- 2 एवं 3

प्रश्न यह है कि खण्ड- 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड- 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड - 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड - 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड - 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत।

## विधेयक का पारण

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष:** कोई सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 पारित किया गया।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017, श्री अरुण चतुर्वेदी।

## विधेयक पर विचार

### राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री जोगाराम पटेल।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 पर माननीय सदस्य अपनी बात कहेंगे। आपने मुझे इस पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान इस संबंध में अपनी व्यवस्था करता है। संविधान की जो व्यवस्था है, चाहे उसका प्रिएम्बल है, चाहे उसका फंडामेंटल राइट का चैप्टर है या डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स का चैप्टर है, इन सबके इर्द गिर्द ही यह विधेयक आ-जा रहा है, जो तीसरी बार, चौथी बार आ रहा है। इस संबंध में विधान सभा के सामने या इस पवित्र सदन में विचार-विमर्श हो रहा है। पूर्व में भी इस पर अनेक बार चर्चाएं हुईं। सरकार ने संबंधित वर्ग को उसका अधिकार मिले, उसके लिए पूरे प्रयास भी किये और इसकी लंबी हिस्ट्री भी रही है। पूर्व में सेवानिवृत्त न्यायाधिपति माननीय जसराज जी चौपड़ा की कमेटी गठित हुई थी। लंबे टाइम तक उस कमेटी ने विभिन्न जातियों को विभिन्न श्रेणी के आरक्षण के संबंध में अपनी जांच की और अंततोगत्वा इन पांच सम्मानीय जातियों के संबंध में, जिनके संबंध में यह बिल लाया गया है, उस संबंध में उस माननीय जसराज जी चौपड़ा कमेटी ने रिपोर्ट दी थी और उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि इस समिति की राय के अनुसार गुर्जर समुदाय केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं है। परंतु उन्हें अत्यधिक पिछड़ी हुई जाति की श्रेणी में अवश्य पाया गया व उनके विकास के लिए राज्य सरकार को विशेष प्रयास करने की अनुशंसा की, रिकमंडेशन की और यह भी सलाह दी कि जो केन्द्र सरकार के मापदंड हैं, उन मापदंडों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष अन्य पिछड़ा के दायरे में आये, इस संबंध में जांच करके उन्हें लाना चाहिए, लेकिन एस/टी की श्रेणी में या अन्य कैटेगरी में वह नहीं आते हैं। माननीय

(श्री जोगाराम पटेल)

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जाने से पहले मैं आपसे यह भी निवेदन अवश्य करूंगा कि जसराज चौपड़ा कमेटी ने भी कांस्टिट्यूशन के अनेक प्रावधानों का हवाला दिया, प्रिएम्बल का हवाला दिया, फंडामेंटल राइट का हवाला दिया और डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी हवाला दिया। कांस्टीट्यूशन का चैप्टर-4 डाइरेक्टिव प्रिंसिपल और चैप्टर थर्ड फंडामेंटल राइट के संबंध में है, परंतु इसकी बार-बार जब विवेचना हुई तो यह कहा गया है, "The Constitution not only a constitute mere law but as the machinery by which the laws are made." माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा, "A Constitution is a living and organic thing which, of all instruments has the greatest claim to be construed broadly and liberally" जो दो वर्ड स्पेसिफिक रूप से एआईआर 90 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट हो या प्रिएम्बल के प्रोविजन्स हों या चैप्टर फोर्थ के कोई प्रोविजन हो, उसको ''ब्रोडली'' और ''लिबरली'' कंसीडर करना चाहिए और ये दोनों किस परिप्रेक्ष्य में आये, उसमें उसको वापस एक बार और एग्जामिन किया गया तो यह स्पष्ट रूप से बताया गया, "The objective specified in the Preamble can't be basic structure of our Constitution which can not be amended in the exercise of the power of the Article 368 of the Constitution" और केशवानन्द भारती वाले केस के जो ये ओब्जर्वेशन थे और इसमें स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते और इसी के परिप्रेक्ष्य में तीसरी या चौथी बार यह आपके सामने बिल आया है। फंडामेंटल राइट के चैप्टर थर्ड में आर्टिकल - 12 से 38 या 42 तक दिये गए हैं, उन सबके बावजूद भी आर्टिकल-16 आज इसमें रिलेवेंट है और आर्टिकल-16 यह बार करता है "Equality of Opportunity in the matter of the Public Employment."

उसके संबंध में यह अमेंडमेंट हुए। 16 (4) (A) बनाया गया, 16 (4) (B) बनाया गया। फिर आर्टिकल 38 में भी आया "State to secure a social order for the promotion of welfare of the people." आर्टिकल 46 में भी यह कहा गया "The State shall promote, with special care, the education and economic interests, in particular,

(श्री जोगाराम पटेल)

of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes" इत्यादि और उसमें यह कहा गया कि राज्य के दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम सरकार ने 2008 में एक कानून बनाया और उस कानून को राजस्थान Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC & SBC and Economically Backward Classes ("Reservation of the seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Service under the State) Act, 2008." इस विधान सभा के माननीय सदस्यों के अनेक तर्क और वितर्क सुनने के उपरांत वह पारित हुआ। वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष चैलेंज हुआ और चैलेंज होकर अल्टीमेटली बीच में दो-तीन रिटें और हुईं। 22.2.2012 को चार-पांच आब्जर्वेशन के साथ वह रिट याचिका माननीय डीबी ने कैप्टन गुरविंदर सिंह केस के नाम से स्वीकार की ....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अगर अलाउ करें तो उसमें थोडा-सा यह फर्क है कि जो अपन ने पास किया था वह सब वर्गों का मिलाकर था, कांग्रेस पार्टी ने फिर उसके दो हिस्से कर दिये थे। जो दूसरा हिस्सा किया था, वह स्टे हुआ है।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): आपका धन्यवाद ज्ञानवर्द्धन के लिये। मेरा निवेदन यह था कि उसमें वह चैलेंज हुआ और उसके जो आब्जर्वेशन थे वह लास्ट में चार या पांच आब्जर्वेशन के रूप में कोर्ट ने कुछ गाइड लाइन्स दीं, कुछ आब्जर्वेशन दिये और यह कहा कि आर्टिकल 14 (4) (B), आर्टिकल 16 (4) (B) की गाइड लाइन को ध्यान में रखते हुए quantified data कलेक्ट करने के उपरांत ही इसमें आप कुछ करें। जो दो मेन आब्जर्वेशन थे "Government was directed to revise the Section 3 and 4 of the Act, 2008. A quantified data have to be collected which provide reservation beyond 50%." दो बेसिक इश्यू आज आपके सामने विचाराधीन हैं। एक तो यह कि क्या गवर्नमेंट का डोमिनियन है कि किस वर्ग या क्लास की जाति को क्या अधिकार दिया जाये, रिजर्वेशन दिया जाये?

(श्री जोगाराम पटेल)

और दूसरा, क्या 50 परसेंट से बियोंड भी सरकार को पावर है कि किसी क्लास या वर्ग को रिजर्वेशन दिया जाये या नहीं? यह दो मुख्य मुद्दे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बात निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहला है कि “Classification of other Backward Class of citizens into two or more than two groups is an exclusive domain of State” यह मेरा निवेदन है कि यह कम्प्लीटली सरकार डोमिनियन है कि किस वर्ग, किस जाति को क्या अधिकार दिया जाये परन्तु वह डोमिनियन कुछ मर्यादाओं में रहते हुए है। जैसे इंदिरा साहनी के केस में जो आब्जर्वेशन किया गया, कैप्टन गुरविंदर सिंह के केस में जो आब्जर्वेशन किया गया और इन दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट के पांच सात जजमेंट और आये, उन सब में यही मत व्यक्त किया गया परंतु आर्टिकल १४ (४) में जो शब्द हैं “The opinion of the State” यह जो वर्डिंग है, जिसको मैं अभी आपसे निवेदन करूंगा, विभिन्न न्यायालयों ने इसको एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह डोमिनियन गवर्नमेंट का है, किसको देना है या किसको नहीं देना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा साहनी के केस में जब 9 माननीय न्यायाधिपतियों ने इसको डिटेल में एग्जामिन किया तो तीन-चार क्वेश्चन उन्होंने रेज किये और फिर उसका आंसर दिया। एक क्वेश्चन था “Whether Reservation under Article 16 (4) can be made by the Executive Order?” या इसका कोई ज्युडिशियस एग्जामिन होने के बाद होना चाहिये। दूसरा, “Whether the power conferred under Article 16(4) is coupled with duty?”

ये दोनों यहां इतने प्रासंगिक नहीं हैं लेकिन जो नैक्स्ट है, वह आज इस बिल के संबंध में प्रासंगिक है और वह है “To what extent can the reservation be made?” किस एक्सटेंट तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अनेक माननीय सदस्यों का यह विचार है कि 50 परसेंट से बियोंड नहीं दिया जा सकता। अनेक ऐसा कहेंगे कि नहीं, 50 परसेंट से बियोंड हो सकता है और इस क्वेश्चन का कि “To what extent can the reservation be made?” इसका डिटेल आंसर स्वयं इंदिरा साहनी के केस में दिया गया। जो

(श्री जोगाराम पटेल)

इंदिरा साहनी के केस में दिया गया, उसका लोजिक भी इसी में लिखा गया है और कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन को भी उसमें एग्जामिन किया गया है।

मैं दो पैरे इसके निवेदन करूंगा और उन्होंने इसको कोट किस तरीके से किया है "The next baffling question relates to the permissible extent of reservation in appointments" और सारा डिटेल पूल के बालाजी केस का जजमेंट है, और जजमेंट है, सारों को कंसीडर करने के उपरांत मैन जो है, वह पैरा 323 में इसका कन्क्लूजन यह निकाला "As to what extent, the promotion of reservation will be so excessive as to render it bad must depend upon adequacy of representation in a given case. Therefore, the decisions fixing the percentage of reservation only upto the maximum of 50% are unsustainable. The percentage of reservation at the maximum of the 50% is neither based on scientific data nor on any established and agreed formula. In fact, Article 16(4) itself does not limit the power of the Govt. in making the reservation to any maximum percentage." मैंने अभी श्रीमान से निवेदन किया था कि जो मेक्सीमम लिमिट है या गवर्नमेंट का जो डोमिनियन है वह एक-दूसरे से इंटर नहीं करता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 16 (4) को कंसीडर करते हुए कहा है "In fact, Article 16(4) itself does not limit the power of the Govt. in making the reservation to any maximum percentage; but it depends upon the quantum of adequate representation required in the services. In the context, it would be appropriate to recall some of the decisions of this Court, not agreed with Balaji as regards the fixation of the percentage of reservation."

उसका जो कन्क्लूजन निकाला "Sub-clause (4) of Article 16 does not fix any limit on the power of the Govt. to make reservation. Since sub-clause (4) is a part of Article 16 of the Constitution, it is manifest that the State can not allowed to indulge in

(श्री जोगाराम पटेल)

excessive reservation so as to defeat the policy contained in Article 16(1). As to what would be the suitable reservation within permissible limits will depend upon the facts and circumstances of each case and no hard and fast rule can be laid down, nor can be matter be reduced to a mathematical formula so as to be adhered to in all cases. Decided cases of this court have no doubt laid down the percentage of reservation should not be exceeded 50%."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान भी दिलाना चाहूंगा "As I read the authorities, this is, however, a rule of caution and does not exhaust all the categories." माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है "Suppose for instance a State has a large number of Backward Classes of the citizens which constitute 80% of the population and the Govt. in order to give them the proper representation, reserve 80% of the jobs for them, can it be said that the percentage is bad and violate the permissible limits of Clause (4) of Article 16? The answer must necessarily be in the negative. The dominant object of this provision is to take steps to make in-adequate representation adequate." मैं और भी एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। पापुलेशन पर डिपेंड करता है। जो फार्मूला है ज्युडिशियल एग्जामिनेशन पर डिपेंड करता है। मीयरली 50 परसेंट पकड़ कर नहीं बैठ सकते, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है,

इससे बियोंड भी हो सकता है और उन्होंने इसका एग्जाम्पल देकर स्पष्ट रूप से कहा है कि "The answer must necessarily be in the negative." The dominant object.... यह सब कुछ इसका निवेदन है। "The dominant object of this provision is to take steps to make in-adequate representation adequate." जिस संख्या में, जिस स्थिति में चाहे आर्थिक दृष्टि से हो या अन्य किसी आधारों पर हो, जिस दृष्टि में और जिस संख्या में वह सम्माननीय जाति या वर्ग है, उसी अनुपात में उसका रिजर्वेशन होना

(श्री जोगाराम पटेल)

चाहिए। कोई 20, 40, 50 या 60 परसेंट को पकड़कर बैठना नहीं है। ऑनरेबल कृष्णाअय्यर, ऑनरेबल मैथ्यू जी, चिनप्पा रेड्डी जी और सारे जजमेंट को कंसीडर करने के उपरांत लास्ट में जो आब्जर्वेशन उन्होंने पैरा 329 में किया है "I fully share the above views of Fazal Ali ,Krishna Iyer, Chinnappa Reddy, JJ, holding that no maximum percentage of reservation can be justifiably fixed under Articles 15(4) and/or 16(4) of the Constitution. It should not be out of place to recall the observation of Hegde, J in Hiralal observing," the extent of reservation to be made is primarily a matter for the State to decide. By this, we don't mean to say that the decision of the State is not open to judicial review. The length of the leap to be provided depends upon the gap to be covered."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि यही मैन इश्यू इस बिल में है कि किस स्ट्रेंन्थ तक होना चाहिए। उसका जुडीशियल फार्मूला क्या होना चाहिए? उसमें कांस्टीट्यूशन का प्रोविजन सेक्शन 16 है या 38 है या फिर किस तरह से होना चाहिए? अगर हम "Equality of opportunity in matters of pubic employment" के Article 16 का ध्यान रखें तो हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ ही साथ जो डायरेक्टली प्रिंसिपल्स हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस वर्ग और जाति का जितना अधिकार है, उस अधिकार को उसी लिमिट में एग्जामिन भी करना पड़ेगा। चाहे आर्टिकल 30 हो, चाहे आर्टिकल 46 हो।

मेरा निवेदन है कि स्टेट का डोमिनियन जुडीशियली होना चाहिए। इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल राजस्थान हाइ कोर्ट और कांस्टीट्यूशन कहता है। लेकिन लिमिट 50 परसेंट कर दें कि उससे ऊपर नहीं हो सकेगा। यह मेरा निवेदन है कि इसमें ऐसी कोई बाधा नहीं है। इसलिए इन दो मामलों में डोमिनियन ऑफ द स्टेट और परसेंटेज के मामले में इस पर्टीकुलर केस में या इस पर्टीकुलर बिल के सामने स्पेशल

(श्री जोगाराम पटेल)

सर्कम्सटांसेज हैं। स्पेशल सर्कम्सटांसेज ऐसे हैं जिसके आधार पर 50 परसेंट के बियोंड रिजर्वेशन इन जातियों का हो सकता है। इन स्पेशल सर्कम्सटांसेज को रिटायर्ड जज गर्ग साहब की कमेटी ने डिटेल में एग्जामिन किया। डिटेल्ड एग्जामिन करने के उपरांत उन्होंने अपना आब्जर्वेशन भी दिया और उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंदिरा साहनी के निर्णीत प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट मत व्यक्त किया है, जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है और इसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता हैं। इस नियम में अपवाद हो सकता है, क्योंकि पूरे देश में काफी असमानता है। आज कर्नाटक में जाएंगे, केरल में जाएंगे, पश्चिमी बंगाल में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, राजस्थान में आएंगे, दिल्ली में जाएंगे तो अलग-अलग प्रदेश में भौगोलिक जाति की संख्या, उनका लिविंग स्टैण्डर्ड, उनकी इकोनॉमिकल पोजिशन अलग-अलग होगी। इसलिए ऐसा निश्चित कोई भी मत कि 50 परसेंट से बियोंड हो ही नहीं सकता, ऐसा निर्धारित नहीं किया जा सकता। मेरा पहला यह निवेदन है कि चाहे इंदिरा साहनी केस हो, चाहे आर्टिकल 16 हो, चाहे आर्टिकल 38 हो, चाहे आर्टिकल 42 हो और चाहे कैप्टन गुरविंदर सिंह का केस हो और चाहे इससे पुराने सारे जजमेंट हैं। उन्होंने एक ही गाइडलाइन दी है कि आप एग्जामिन करें, जुडीशियली करें, क्वांटिफाइड डेटा इकट्ठा करें और उसके आधार पर जितना रिज़र्वेशन जरूरी है, उतना दें।

मेरा निवेदन है कि इस एक्ट का जो एम और आब्जेक्ट है, अगर हम उसका भी ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद-38 राज्य को निर्दिष्ट करता है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, राष्ट्र जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित कर भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करने हेतु लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। इसके पीछे जो बेसिक आइडिया है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास होगा, उसमें लोक कल्याण होना चाहिए। इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य विशेषतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न

(श्री जोगाराम पटेल)

व्यवसायों में लगे हुए लोगों को समूह के बीच की प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास भी करेगा और यही मूल भावना इस बिल के पीछे है। सरकार की मंशा यह है कि हमारे राजस्थान के जितने भी वर्ग हैं, राजस्थान की जितनी जातियां हैं, उन सब को राज्य की विशेषता, आय, असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों को समूह के बीच की प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना इसका मूल उद्‌देश्य है और यही इस बिल के मार्फत सरकार ने करने का प्रयास किया है। इसलिए इस मौके पर सरकार को धन्यवाद भी दूंगा और उनसे निवेदन भी करूंगा कि उनको ये जो प्रयास है। क्वांटिफाइड डेटा का जो डायरेक्शन है वह कैप्टन गुरविंदर सिंह से इकट्‌ठा करके थ्योरिकली इसे एग्जामिन करके आप जो बिल लाए हैं, वह आपके लिए इस लिहाज से बहुत उचित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 1981 में थॉमस प्रकरण में भी ऐसा इश्यू आया था और उसमें भी कितना आरक्षण होना चाहिए और कितना आरक्षण नहीं होना चाहिए। उसके पीछे क्या बेसिक आइडिया है? उसमें भी यह कहा गया था कि प्रत्येक मामले तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जा सकता। जैसा अभी मैंने कहा कि डोमिनियन ऑफ द स्टेट है और हर केस की स्पेशल सर्कम्सटांसेज देखी जाती हैं। इस संबंध में कोई समान रूप से लागू होने वाला नियम या गणितीय फार्मूला तय नहीं किया जा सकता है तथा अनुच्छेद 16(4) का मुख्य उद्‌देश्य राज्य द्‌वारा ऐसे प्रयास करना है जो ऐसे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधित्व देवें और यही प्रयास इस एक्ट के मार्फत भी किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

मैं दो जजमेंट का और निवेदन करूंगा। चाहे वह एम.नागराजन बनाम भारत सरकार का केस हो। मेरा निवेदन यह था एम.नागराजन बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाले केस के आधार पर यह कहा कि अनुच्छेद 16(4) एक स्वतंत्र अनुच्छेद है, जिसके अधीन राज्य को किन्हीं भी अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के पक्ष में,

(श्री जोगाराम पटेल)

जिसका राज्य सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो, विशिष्ट प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त करता है तथा दोनों अनुच्छेद अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। संशोधनों द्वारा जो अनुच्छेद 16(4)(ए) और 16(4)(बी) जोड़े गए हैं। उससे राज्य की 16(4) पर की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि आरक्षण किस सीमा तक दिया जाए? यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है परन्तु पिछड़े वर्ग और विशेष राज्यीय सेवाओं में पर्याप्त / अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 16(4)(ए) और 16(4)(बी) से अनुच्छेद 16 प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों संशोधनों को वैद्ध ठहराया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा यह निवेदन है कि सब क्लाज - 4 एवं सब क्लाज-4(ए) और 4(बी) का कोई इफेक्ट सब क्लाज 4(1) नहीं है इसीलिए एम.नागराजन के केस के आधार पर भी सरकार का डोमिनियन है और किस स्टेज तक हो सकता है, यह भी है।

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इश्यू यह है कि ऐसी कौनसी स्पेशल सर्कम्सटांसेज है, जिनको आधार बनाकर 50 परसेंट से बियोंड भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है।

अभी राजस्थान में 16 परसेंट एस सी को है, 12 परसेंट एस टी को है, यह दोनों मिलाकर 28 परसेंट हो जाता है। 21 परसेंट ओबीसी को है और 5 परसेंट यह मिलता है तो एसबीसी और यह दोनों मिलाकर 54 परसेंट हो जाता है। 4 परसेंट अलग या 4 परसेंट एक्स्ट्रा या 4 परसेंट बियोंड जो तथाकथित लिमिट है उससे हो रहा है। लेकिन इसका कोई इनडायरेक्ट इफैक्ट इस पर नहीं है। आरक्षण कुल आबादी का कितना हो सकता है क्योंकि जैसा इन्दिरा साहनी के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उदाहरण दिया कि किसी स्टेट की आबादी 80 परसेंट अगर ओबीसी की है तो इसको 50 परसेंट पर कैसे रोका जा सकता है। इसीलिए इस केस में आनरेबल गर्ग साहब की कमेटी ने पूरा डिटेल सर्कम्सटांसेज एनालिसिस किए,...(व्यवधान)... 25 डेटा दिए कि इसके आधार पर हम यह कह रहे हैं कि 5 परसेंट अलग से

(श्री जोगाराम पटेल)

रिजर्वेशन उसके अंदर देकर, अगर 50 परसेंट से बियोंड भी जाता है तो कोई कांस्टीट्यूशनल या कांस्टीट्यूशनल के प्रोवीजन की अवहेलना नहीं होती है। माननीय इन्दिरा साहनी का केस हो या गुरविंदर सिंह का केस हो, नागराज का केस हो या और काई भी जजमेंट हो, उसकी अवहेलना नहीं होती है। ...(व्यवधान)...

राजस्थान में 15, हमारे यहां 16 और 12 परसेंट, टोटल पापुलेशन है एस सी और एस टी की, एस सी की 16 और एस टी की 12 परसेंट है। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 320 और 332 में भी ये स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। पार्लियामेंट में, असेम्बली में, किस तरह से रिजर्वेशन होगा। परन्तु मेन यह है “At the time of initially providing reservation for other backward classes in Rajasthan only 21% reservation was provided (because already there exists 28% reservation for SC & ST) which was less than 27% provided by central government and recommended by Mandal commission for other backward classes in the light of Indira Sawhney case.”

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह भी है “When provision of 21% reservation for other backward classes was made, only castes which were notified as other backward classes but during intervening period 91 castes were listed as other backward classes and because of this addition of castes under the head “other backward classes” their number becomes almost double and consequently the population of “OBC” substantially increased about 15%. Now the population of “OBC” is almost equal to the population of “OBC” at national level. Hence they deserve at least 27% reservation in the changed circumstances which was given initially by central government to OBC”. मेरा निवेदन यह है कि यह सर्कम्सटेंसेज ,...(व्यवधान)... कैटेगरी बताई गई है यह क्वांटिफाई डेटा जो कलेक्ट किया गया है उससे जो पापुलेशन बढ़ी है इस पापुलेशन के आधार पर भी इन सम्माननीय जातियों को यह रिजर्वेशन प्राप्त करने का अधिकार है। ...(व्यवधान)...

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ...(व्यवधान)... दूसरा बेसिक डोमीनियन था, दूसरा बेसिक इश्यू था, जैसा गुरविंदर सिंह केस में कहा गया था, वह यह कहा गया था "The OBC Commission has commented on the report of the IDS that survey has not been conducted in a scientific method" मेरा निवेदन है कि तदोपरान्त सरकार द्वारा नियुक्त आनरेबल गर्ग साहब की कमेटी ने, कमीशन ने साइंटिफिक डेटा इकट्ठे किए हैं और साइंटिफिक डेटा इकट्ठे करने के आधार पर अब जो रिकमंडेशन की गई है वह रिकमंडेशन जस्टिफाइड है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि इस आधार पर भी यह बिल लाया गया है, वह इन जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देने हेतु सही है। मेरा यह भी निवेदन है कि माननीय इन्दिरा साहनी वाले प्रकरण में और अन्य प्रकरणों में बार बार यह कंसीडर किया गया है In the opinion of the State और आखिर में इसकी सामग्री एकत्रित हुई, उसके आधार पर यह कहा गया है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व मामले में सिर्फ यही आवश्यक है कि राज्य सरकार को राय करने के लिए उसके पास सामग्री अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। इस मामले में सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। यहां भी कहा गया है कि जो राय, पर्याप्त आदर देना चाहिए, क्योंकि कार्यपालिका के संबंध में यह माना जा सकता है, उसे समाज की मौजूदा स्थिति का ज्ञान होता है। कार्यपालिका के अलावा समाज का ज्ञान, आर्थिक स्थिति का, जाति की संख्या का, उसके पिछड़ेपन का, उसकी सरकारी सेवाओं में नौकरी का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसकी पढ़ाई करने वाले बच्चों की उन्हीं को जानकारी होती है। इसलिए कार्यपालिका जहां तक उसे समाज की मौजूदा की स्थिति का ज्ञान होता है, जो लोकसभा या विधान सभा में चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होता रहता है। ऐसी स्थिति में, ऐसे मामलों में न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियां बहुत सीमित है। यही बेरीयम केमीकल बनाम कम्पनी लॉ ऑफ आर्डर में भी कहा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मेरा निवेदन यह है इस बिल के माध्यम से, चाहे इन्दिरा साहनी का जजमेंट हो, कैप्टन गुरविंदर सिंह का जजमेंट हो, उन सबको ...(व्यवधान)... कंसीडर करने के उपरान्त इस

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रिएम्बल में, इस ऐम एंड आब्जेक्ट में जो बात बताई गई है, अगर हम उसको कंसीडर कर लें तो ही इसकी पूर्ति हो जाएगी। चूंकि 2012 के अधिनियम में अपखण्डित करने के पीछे मुख्य कारण राज का पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन में रही कमियां थीं। इसीलिए राज्य सरकार ने अपेक्षित प्रतिवेदन का फिर से परीक्षण करने के लिए माननीय न्यायाधिपति सेवानिवृत सुनील कुमार गर्ग की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति की। उच्चस्तरीय समिति ने समाज के विभिन्न वर्गों के क्षेत्रीय अध्ययन के साथ-साथ विस्तृत अध्ययन ...(व्यवधान)... के पश्चात् प्रतिवेदन 10 जुलाई को प्रस्तुत किया है। उस प्रतिवेदन के आधार पर यह जो बिल लाया गया है वह जस्टिफाइड है। ...(व्यवधान)... इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करते हुए यह भी निवेदन करूंगा कि इस एक्ट में अन्य जो प्रशासनिक सेवाएं, ओबीसी हैं, उनको रिजर्वेशन देने का जो आधार दिया है, वह जस्टिफाइड है। ...(व्यवधान)...

मैंने इस संबंध में मेरा जनमत जानने का जो संशोधन प्रस्ताव दिया है उसको मैं विड्रा करने की श्रीमान् से अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री देवेन्द्र कटारा। ...(व्यवधान)...

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 पर आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की है, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान)...

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत किया गया। इस संविधान में साफ तौर से प्रस्तावना और पूरे अनुच्छेदों का अध्ययन करने के बाद यह बात सामने आती है कि देश की जनता व शासन एक व्यवस्थित, एक न्यायसंगत और न्यायप्रिय व्यवस्था हो, इस बात को लेकर व्यवस्था दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, सबसे पहले वैल में कांग्रेस भाई चिल्ला रहे हैं, मैं इनको इनके इतिहास के बारे में, बिल के साथ-साथ थोडी सी बात करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)... जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद से लेकर राजस्थान में अगर कोई आरक्षण की

(श्री देवेन्द्र कटारा)

बात आई, राजस्थान की जनता के साथ न्याय करने की बात आई, राजस्थान की जनता, आदिवासियों के हक की बात आई, ओबीसी के हक की बात आई, एस सी के हक की बात आई तो सरकार ने 1950 से लेकर 1970 तक एक भी बिल रिजर्वेशन के संबंध में राजस्थान की विधान सभा में न तो उन्होंने रखा, न ही उन्होंने कोई व्यवस्था दी।

**(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप। बैठ जाएं आप।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार यदि रिजर्वेशन से सम्बन्धित अगर कोई बिल आया तो वह अप्रैल, 1970 में आया और उसमें भी जो आरक्षण की व्यवस्था दी थी, वह सुखाड़ियाजी के समय दी थी, उसमें भी उन्होंने राजस्थान में पुलिस सेवा में एस.सी. को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया था, एस.टी. को 9 प्रतिशत आरक्षण दिया था और अन्य सेवाओं में एस.सी. को 15 प्रतिशत दिया था और एस.टी. को 11 प्रतिशत दिया था। ...(व्यवधान)...

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आपकी सरकार ने तो कुछ किया नहीं। न दिया, बल्कि उल्टा आपकी सरकार की वजह से ही जो कुछ बी.जे.पी. सरकार ने दिया वह गुर्जरों का बंद हुआ तो आपने तो वह काम किया जो आरक्षण बी.जे.पी. ने दिया, वह भी बंद करवाया। ...(व्यवधान)... आप किस मुंह से यह बात कर रहे हैं।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुर्जरों को आरक्षण संविधान में आर्टिकल ...(व्यवधान)...

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): यह तो बी.जे.पी. की सरकार ही देगी।

**श्री उपाध्यक्ष:** आप विराज जाओ। एक मिनट आप विराज जाओ।

मैंने उनको इसलिये बैठाया, मुख्य सचेतकजी, कि आप फरमाएं। ...(व्यवधान)... मैं सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या इस माहौल में आप इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करना चाहते हैं? कम से कम इतना

(श्री उपाध्यक्ष)

विवेक तो रखिये कि जिस समुदाय के लिये, आप, हम और पूरा सदन संवेदनशील है, उस पर चर्चा तो शिष्टाचार के स्वरूप में कर लीजिये।

**(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

वैसे आपका भी कार्यकलाप कोई बहुत ज्यादा ...(व्यवधान)... सिर्फ अगर आवाज करना ही आपका मकसद है तो आप आवाज करिये। न तो यहां बैठे हुए किसी सदस्य को वह सुनाई दे रहा है जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आखिर मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि विरोध करने का भी कोई तो नियम होगा। आखिर प्रत्येक सदस्य का इस सदन में कोई तो अधिकार है। अगर आप यह मानते हैं कि सरकार आपके अधिकारों की कहीं अवहेलना कर रही है तो आप विरोध-प्रदर्शन कीजिये। लेकिन क्या आप भी सामूहिक रूप से इस सदन के प्रत्येक सदस्य के अधिकार की अवहेलना नहीं कर रहे हैं?

मैं बड़े आदर के साथ में आप सबसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस बात की विवेचना आप करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, यह सदन है भी तो उसी के लिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी पीड़ा में अपनी पीड़ा मिलाते हुए निवेदन करना चाहूंगा। या तो ये सब लोग कह दें कि गुर्जरों सहित जिन जातियों को आरक्षण का विधेयक आज लाये हैं उसके विरोध में हैं। बाहर जाकर उस आरक्षण की पैरवी करते हैं। आपको अपना विरोध प्रकट करना है, आपनेये तख्तियां लेकर कर दिया। अब माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। ये मौलिक रूप से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। या तो आप कह दें कि आप आरक्षण के विरोध में हैं। हिम्मत हो तो कहिये आप। हिम्मत हो तो कहिये, आप आरक्षण के विरोध में हैं। हिम्मत हो तो कहिये, आप आरक्षण के विरोध में हैं। दो तरह के चेहरे लेकर खड़े हैं आप यहां। ...(व्यवधान)...

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप अपनी टेबल पर जायें। मत दो ना विरोध में जाकर। अगर आपको अधिकार दिया है, आपको इसी सदन में, राजस्थान की जनता ने अधिकार दिया है कि टेबल पर बैठ कर विरोध में मत दो इसके। अगर ईमानदार हैं तो इसके विरोध में मत दें। केवल धींगामस्ती करना नहीं, इसके विरोध में मत देकर बात करें। ...(व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विरोध कर रहे हैं तो चलिये आप अपनी सीटों पर जाकर आप विवेचना करें। विश्लेषण करें, धोखा कैसे है। प्रतिपक्ष के नेता, इस पद पर भैरोंसिंहजी शेखावत जैसे महान व्यक्ति रहे हैं। ...(व्यवधान)...

**एक माननीय सदस्य:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं? सारे विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं? ...(व्यवधान)...

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आज से पहले तीन बिल पारित हुए हैं, तीनों बिलों का बहिष्कार करके गये हैं। ...(व्यवधान)... आप तीन बिलों का बहिष्कार करके गये हैं। आज भी अगर ईमानदार हैं तो बैठकर विरोध करें।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ये अगर बोलना चाहते हैं, जैसा आपने ...(व्यवधान)... और अगर सीट पर नहीं जाते हैं तो इनको बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो चुप रहें या फिर इनको हिदायत दीजिये, इनको प्रताड़ित करिये। नहीं तो इनको बाहर निकालिये।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अगर वास्तव में कायम हैं अपनी बात पर तो टेबल पर बैठकर विरोध करें। ...(व्यवधान)... रिकार्ड पर लाएं अपनी बात को।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, सदन को, हाउस को वर्किंग आर्डर में लाने के लिये, ये जिस तरह से चिल्लाते हैं, उकसाते हैं, और जिस तरह की बात कर रहे हैं, धोखा, धोखा। इन्होंने तो जिन्दगी में कुछ दिया नहीं और यह सरकार दे रही है, इनके पास अब क्योंकि धरा खिसक रही है, धरती खिसक रही है। यह देखते हैं कि गुर्जर समाज को आरक्षण मिल गया तो हमारी चवन्नी नहीं चलेगी। इसलिये जान-बूझ करके इन्होंने इस तरह का हल्ला किया। जबकि यह बिल आया है तो सरकार और गुर्जर समाज के लोग मिल करके बिल लाये हैं। ...(व्यवधान)...

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही आगे बढ़ाएं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 2008 से 2013 तक आप भी थे ना। आपने आरक्षण दिया? अपना चेहरा देखिये आप। अपना चेहरा आइने में देखिये आप। फिर बात करना। और हिम्मत हो तो कह दो, हम आरक्षण के विरोध में हैं। बोलिये ना, हिम्मत हो तो। बोलो आप, अगर हिम्मत है तो कहिये कि हम आरक्षण के विरोध में हैं। ...(व्यवधान)...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बात को मानते हैं, सर माथे है। हम इस आरक्षण के पक्ष में हैं। लेकिन क्या इस पर भी आसन व्यवस्था देगा कि जो वंचित वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, उन सबका हमने यहां कानून पास करके रख दिया? राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गये और सरकार ने आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करके उनके साथ विश्वासघात करके सदन की गरिमा को समाप्त किया है। ...(व्यवधान)... इसका क्या जवाब है?

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले वरिष्ठ विधायक ने बहुत एप्रोप्रिएट प्रश्न उठाया है। मैं चाहता हूं कि इसी मुद्दे पर बहस हो जाये एक बार कि कौन जिम्मेदार था।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): इस पर बहस करो। ...(व्यवधान)... आप जानते हैं ये लोग आन्दोलन नहीं करेंगे।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आज ये लोग फ्लोर पर बैठे हैं। इसी राजस्थान विधान सभा ने एक बिल पारित किया और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि कमीशन बनाओ। कमीशन बनाने का काम उस समय की सरकार का था।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): गलत। सरकार धोखा देने के अलावा कुछ नहीं कर रही है।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): चार साल तक उस कांग्रेस की सरकार ने अगर आयोग बना दिया होता तो यह आर्थिक पिछड़ा वर्ग का पूरा बिल पारित होता और उनको लाभ मिल रहे होते।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): ब्राह्मणों को, कायस्थों को, बनियों को, कायस्थों को धोखा दे रही है। ...(व्यवधान)... धोखेबाजी कर रहे हैं उनके साथ में। कुण्डली मार कर बैठे हुए हैं। ये करना नहीं चाहते। ...(व्यवधान)... सारा काम धोखाधड़ी का कर रही है।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसी राजस्थान विधान सभा में 2015 में बिल पारित किया और पारित करने के बाद आयोग बनाने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वह पूरा का पूरा बिल पारित ...(व्यवधान)... सरकार की मंशा है, प्रतिबद्धता है। ...(व्यवधान)...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह सरकार इसके लिये जिम्मेदार है।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसके लिये जिम्मेदार पहले वाली सरकार है। ...(व्यवधान)... वह सरकार जिसने आयोग नहीं बनाया, और माननीय उच्च न्यायालय के उस आदेश की पालना उस सरकार ने नहीं की।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): ...(व्यवधान)... जो आंदोलन नहीं करते, कायस्थ, उनको भी आरक्षण देना है।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आज इस पर बहस करने को तैयार हैं। आज जिम्मेदारी किसी की है तो वह सरकार की है जिसने 2010 में फैसला आया था कि आप आयोग करने के बाद ...(व्यवधान)... आज आयोग बनाने का काम उस सरकार का था। केवल एस.बी.सी. का आयोग बनाया, ई.बी.सी. का आयोग नहीं बनाया। आयोग बनाने का काम किया तो वर्तमान सरकार ने किया। सरकार का आयोग बनाने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद नोटिफिकेशन उस राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में बनेगा। ...(व्यवधान)...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): चार वर्ष से राज में बैठे हो। चार वर्ष से धोखा दे रहे हो समाजों को। ...(व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, यह आर्थिक पिछड़ा आयोग नहीं बना। ...(व्यवधान)...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आपने राजपूतों को धोखा दिया, आपने ब्राह्मणों को धोखा दिया। ...(व्यवधान)... दोनों को धोखा दिया है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 2008 से आयोग नहीं बना...(व्यवधान)... आपने एक बार आवाज नहीं उठाई। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी से आपकी मित्रता थी। तत्कालीन कांग्रेस के मुख्य मंत्रीजी से आपकी मिलीभगत थी।

**श्री उपाध्यक्ष:** एक मिनट आप सब विराज जाएं। ...(व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक बार आवाज नहीं उठाई आपने। एक बार भी उस समय 2008 से 2013 के बीच में आवाज नहीं उठाई।

**श्री उपाध्यक्ष:** संसदीय कार्य मंत्री महोदय, संसदीय कार्य मंत्री महोदय। अब आप एक-एक करके विराज जाओ। मैं आप सबको मौका दूंगा। आसन हर एक को मौका देगा अपनी-अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का। लेकिन आपसे यह निवेदन करते हैं कि इस प्रकार का तो वातावरण रखिये और व्यवस्था रखिये कि आप क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं, यह हमें भी तो समझ में आये। आसन भी उस बात को समझ सके। ...(व्यवधान)... मैं सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल के सदस्यों को एक निवेदन कर रहा हूं, अगर इस विषय पर आप अपनी-अपनी तरफ से भी वक्तव्य रखना चाहें तो आसन आपको भी पूरा का पूरा समय देगा। लेकिन अगर कोई वक्तव्य आ रहा है तो सुनकर और तथ्यात्मक रूप से आप उसका जवाब दें। आसन आपको निमंत्रण भी देता है और आसन आपको अधिकार भी देता है। लेकिन सबसे पहले आदरणीय सदस्य देवेन्द्र कटाराजी का नम्बर है। आप संयम से, शालीनता से, अनुशासित होकर कैसे एक सदस्य को आप सर्वोपरि मान कर उनकी बातों का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। करें या न करें, यह आपका विवेक है, लेकिन उसका अधिकार है, क्योंकि आसन ने उसको दिया है और आसन के देने के बाद में इस सदन का वह अधिकार उसको प्राप्त है। श्री देवेन्द्र कटाराजी।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में नारे)**

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत

(श्री देवेन्द्र कटारा)

धन्यवाद। मैं राजस्थान पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक, 2017 पर चर्चा कर रहा था। मैं विशेषकर यह निवेदन करना चाह रहा था कि आखिर में इस देश में संवैधानिक प्रावधान होने के बाद में भी ओ.बी.सी. समुदाय को आरक्षण के प्रावधान क्यों नहीं मिले, इसके क्या कारण रहे हैं?

सबसे पहले 1950 से लेकर पहला ओ.बी.सी. रिजर्वेशन, कोई रूल्स या अधिनियम बना, जो अधिसूचना जारी हुई वह 1993 में हुई। यानी कि 1950 से लेकर 1993 तक लगभग 43 वर्ष तक ओ.बी.सी. समाज को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार रिजर्वेशन से संबंधित नहीं मिला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी माननीय सदस्य चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार इतने लंबे समय तक रही और अब तक उन्होंने पचास साल तक शासन किया, उस दरम्यान भी उन्होंने कभी भी चाहे 1993 का बिल हो, चाहे 1995 की अधिसूचनाएं हो या 2008 का बिल हो या 2015 का बिल हो, सारे के सारे बिल जो आए हैं वह या तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आये हैं या फिर अन्य राष्ट्रपति शासन में 1992-93 में आये हैं।

मैं सबसे पहले तो यह कहूंगा कि वास्तव में अगर देखा जाए, दलितों के लिए, ओ.बी.सी. समाज के लिए और एस.टी. समुदाय के लिए सबसे ज्यादा अगर घोर विरोधी सरकारें रही हैं तो कांग्रेस शासित सरकारें रही हैं, सर, वह राजस्थान की रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि या तो इन सरकारों को जिन लोगों ने सलाह दी उनकी मानसिकता ठीक नहीं थी या फिर उन सरकारों की मानसिकता ठीक नहीं थी जो इतने साल बाद भी, आज लगभग 70 साल होने आ गये फिर भी आज उस समुदाय को हम लोग, उस जाति विशेष को हम लोग, उन संवैधानिक प्रावधानों की सुविधाएं नहीं दे पाये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला आरक्षण का प्रावधान 07 अप्रैल, 1970 को जब यहां राजस्थान की विधान सभा के माध्यम से और अधिसूचना के माध्यम से लिया गया, उसमें भी ओ.बी.सी. समाज को कहीं पर भी, कोई एक परसेंट भी उनको लाभ नहीं मिला। उसमें भी जो पहला

(श्री देवेन्द्र कटारा)

प्रावधान किया गया, उसमें पुलिस सेवा में 14 प्रतिशत एस.सी. समाज को रिजर्वेशन मिला और एस.टी. समाज को मात्र 9 प्रतिशत मिला था, ओ.बी.सी. को कोई नहीं मिला और अन्य सेवाओं में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 17 परसेंट एस.सी. समाज को मिला और एस.टी. को 11 प्रतिशत मिला और ओ.बी.सी. को नगण्य, कुछ भी नहीं मिला अर्थात्, यानी कि 1970 में जो पहली अधिसूचना जारी हुई थी उसमें भी किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं जबकि 20 साल बाद जब आजाद भारत में हमारी यह विधान सभा, राजस्थान अलग हो गया, उसके बाद भी 20 सालों तक इस समाज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया और आज ओ.बी.सी. समाज को राजस्थान सरकार अगर कोई अधिकार देना चाहती है, हक देना चाहती है और विपक्ष इस बात पर हंगामा करता है, ओ.बी.सी. समाज को किसी भी प्रकार का कोई लाभ, सुविधाएं या संवैधानिक प्रावधानों के जो हक हैं उनको देने की इनकी मानसिकता कतई नहीं है, यह इस बात से साफ जाहिर होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, संविधान के अनुच्छेद-16 में, 16 (4) (ख) में यह प्रावधान है कि यदि किसी समाज विशेष का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो पश्चात्- वर्ती वर्षों में उनका बैकलॉग भरने का भी प्रावधान है और उसमें कहीं पर भी 50 प्रतिशत सीमा की कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि बैकलॉग में इसका स्पष्ट प्रावधान कर रखा है। यदि उनकी मंशा होती तो निश्चित तौर से वह बैकलॉग के माध्यम से भी भर्ती कर सकते थे और समाज में आनुपातिक वातावरण पैदा कर सकते थे, वह भी उन्होंने नहीं किया और आज वह वैल में चिल्ला-चिल्ला कर जिस तरह से इस बिल का विरोध कर रहे हैं, यह घोर निंदा के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेषकर राजस्थान को रिजर्वेशन की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से भी देखते हैं तो यह प्रदेश दो भागों में बंटा हुआ है। राजस्थान के लगभग पांच जिले ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं जहां पर स्पेशल 244 (1) के प्रोविजन फोलो होते हैं और इसके अलावा जो एरिया है, वहां पर रिजर्वेशन में आर्टिकल 16, आर्टिकल 330, 332 और 335 के प्रावधान लागू होते हैं। 38 के खंड-2 के प्रावधान, 38 के खंड-1 के प्रावधान और आर्टिकल-46 के भी प्रावधान इसमें फोलो होते हैं।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 के आधार पर 6 करोड़ 85 लाख 48 हजार 437 है और उसमें ओ.बी.सी. समाज की जनसंख्या 52 परसेंट के आधार पर जो बनती है, वह 3 करोड़ 53 लाख 45 हजार 187 बनती है। जब इतना बड़ा 52 प्रतिशत आबादी का हिस्सा आजादी के बाद से लेकर अब तक जो लाभ लेने के लिए, 1993 तक तो पूरी तरह से, पूरी तरह से 52 प्रतिशत हिस्से को कोई लाभ नहीं मिला, यानी कि 42-43 साल तक तो इनके हालात यह रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब 1993 में यह अधिसूचना जारी हुई, उस टाइम राष्ट्रपति शासन लागू था और पहली बार ओ.बी.सी. समाज को किसी आर्डिनेंस या अधिनियम या रूल्स के माध्यम से व्यवस्था मिली वह राष्ट्रपति शासन में राजस्थान में मिली और वह भी 21 प्रतिशत मिली। इसके बाद में जब हमारे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में जो ओ.बी.सी. की राज्य स्तर की भर्तियां थीं उसमें भी 21 प्रतिशत का प्रावधान अगर किया तो भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार ने किया। उसमें भी राज्य स्तर की भर्तियों में चाहे वह गजटेड पद हों, चाहे वह नॉन गजेटेड पद हों, उनमें भी यह प्रावधान मिला और वह पूरे राजस्थान में मिला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान लागू होने के 43 वर्ष के बाद में और पूरे राजस्थान में 45 वर्ष के बाद में यह हक मिला है, जो एक काफी चिंतनीय विषय है। केन्द्र सरकार ने एस.टी, एस.सी. और ओ.बी.सी. के लिए जब आरक्षण के प्रावधान लागू किये तो उसमें आनुपातिकता के सिद्धांत को अंगीकार करते हुए, अपनाते हुए, उसकी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में 12 प्रतिशत एस.टी. समाज को आरक्षण का प्रावधान किया गया और 16 प्रतिशत का प्रावधान एस.सी. समाज के लिए किया गया। यही प्रावधान क्योंकि मूल, जब केन्द्र सरकार में भी यही प्रावधान था, शुरूआत में स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का न तो कोई विवाद हुआ। इस व्यवस्था से न किसी प्रकार से किसी कोर्ट में चैलेंज हुआ और इसके बाद में जब यह ओ.बी.सी. समाज के, ओ.बी.सी. से संबंधित जब विधेयक आता है तो बारबार यह कोर्ट में जाने के पीछे पूरी

(श्री देवेन्द्र कटारा)

तरह से हम देखते हैं तो उसके पीछे जो तकनीकी कारण है, आनुपातिकता के सिद्धांत का कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है, कोर्ट भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि इसमें तकनीकी खामियां हैं, उन खामियों को दूर करके अगर व्यवस्था दी जाती है तो किसी भी प्रकार का कोई भी चैलेंज वहां पर स्टैंड नहीं कर पायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेषकर बात कर रहा था कि हमारा राजस्थान दो भागों में बंटा हुआ है। अब दो भागों में हमारे क्षेत्र में यह गुर्जर, लबाना, गाड़िया लोहार, गाड़ोलिया, गूजर, राईका, रैबारी, देवासी, गायरी यह पूरे राजस्थान में रहते हैं और उसमें उदयपुर संभाग का जो टी.एस.पी. क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर भी इन समाज का कुछ हिस्सा रहता है क्योंकि यह वास्तव में अति पिछड़े हैं और उनके लिए भी प्रावधान की व्यवस्था क्योंकि आज पांच जिलों के लिए अगर हम छोड़कर पूरे राजस्थान की व्यवस्था करते हैं तो कहीं न कहीं अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे भाई हैं उनके साथ में भी अन्याय होगा, इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि एस.बी.सी. समाज से संबंधित जो आरक्षण विधेयक है, वह पूरे राजस्थान में और उस क्षेत्र के लिए विशेषकर वहां की जनसंख्या के अनुपात में उनको भी हक मिलना चाहिए।

**(14.00 बजे)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस शिड्यूल्ड एरिये में, विशेषकर न तो इंदिरा साहनी का केस कहीं भी डिस्टर्ब कर रहा है, न बाधक बन रहा है। वहां पर किसी भी प्रकार की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का न कोई प्रावधान है, न ही कोई और प्रकार का अंड़गा है तो वहां पर ओ.बी.सी. समाज जो एस.बी.सी. है, वहां जिस प्रतिशतता में रहता है, वहां पर उनको भी इस दायरे में लिया जाये।

इसके अलावा उदयपुर टी.एस.पी. क्षेत्र में 73 प्रतिशत समाज एस.टी. का रहता है और 5 प्रतिशत एस.सी. का समाज रहता है और लगभग 20 प्रतिशत ओ.बी.सी. समाज रहता है और सामान्य समाज वहां पर 5 प्रतिशत

(श्री देवेन्द्र कटारा)

रहता है। जब पूरे राजस्थान के आरक्षण की व्यवस्था ओ.बी.सी. समाज के लिये हो रही है तो नि:संदेह हमको पूरी तरह से, क्योंकि वहां पर भी अन्य समाज रहते हैं, दूसरे समाजों को भी प्राथमिकता देते हैं, उनकी जनसंख्या का जो अनुपात है, वहां की आबादी जिस अनुपात में रह रही है, उनके अधिकारों को भी इसमें कंसीडर करने के लिये विचार किया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेषकर जब उस क्षेत्र के, राजस्थान के सिविल एरिये में, मतलब पांच जिलों के बाहर के एरिये में जब 50 प्रतिशत की बाध्यता, जो विशेष कारक हैं, जो उनको रिजर्वेशन देने के प्रावधान हैं, अगर यह कारक भी कहीं बाधक बनते हैं तो हमारे लिये बैकलॉग के माध्यम से, हमारे लिये अन्य विशेष प्रोविजन के माध्यम से, हम लोग उनको पर्याप्त अनुपात में सेवाओं और पदों में ले सकते हैं, लेकिन इस विषय में गंभीरता से विचार नहीं हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि ओ.बी.सी. समाज को काफी नुकसान हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग 70 वर्ष के बाद, यानी कि 70 साल हो गये। ओ.बी.सी. को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, इस विषय में आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। यह हमारे राजस्थान के उस समाज के लिये और तमाम, जो एक तरह से देशभक्त लोग हैं, जो यहां के क्षेत्र के प्रति विशेष सोचते हैं, इनके लिये बहुत बड़ा शर्मनाक विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बारे में चर्चा हो रही है तो इस चर्चा में विशेषकर जब विपक्ष को सहयोग करना चाहिये, विपक्ष को आगे चलकर व्यवस्था बनाकर उस विधेयक को पास कराकर लागू कराने का प्रयास करना चाहिये, वह नहीं करते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। यह काफी ही चिन्ता का विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से इस विधेयक के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक ओ.बी.सी. समाज से संबंधित है। सबसे पहले हमारे यहां पर 1993 में बिल आया, कोई चैलेंज नहीं हुआ। इसके बाद में धीरे धीरे और कई सारे बिल आये और विशेषकर 2008 में जो बिल लाया गया, उस बिल में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि यहां पर अनुसूचित जातियों

(श्री देवेन्द्र कटारा)

को 16 प्रतिशत रिजर्वेशन, अनुसूचित जनजाति को 12 प्रतिशत रिजर्वेशन, पिछड़े वर्गों को 21 प्रतिशत, विशेष पिछड़े वर्गों को 5 प्रतिशत और आर्थिक पिछड़े वर्गों को 16 प्रतिशत के रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। इस बिल पर राज्यपाल महोदय की अनुमति 2009 को प्राप्त हुई थी। 2009 का अधिनियम संख्या-12, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब कोर्ट में चैलेंज किया है, केवल विशेष पिछड़े वर्ग के लिये 5 प्रतिशत के रिजर्वेशन के बारे में, कुल मिलाकर 68 प्रतिशत। इस 2008 के बिल में 68 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान इसी विधान सभा के माध्यम से हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज 5 प्रतिशत का रिजर्वेशन है, वह चैलेंज होने के बाद शेष 63 प्रतिशत रिजर्वेशन के जो प्रावधान हैं, वह अभी तक न तो कोर्ट में कोई चैलेंज हुआ है, और न और कोई कार्यवाही हुई है। विधान सभा द्वारा जरूर पास कर लिया गया है। इसके अगैंस्ट में जब दिक्कतें आयीं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2015 में अधिनियम संख्या-32 और 33, दो एक्ट पास हुए और दोनों की अनुमति माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा 7 अक्टूबर, 2015 को दी गई। उस अधिनियम संख्या-33 में आर्थिक पिछड़े वर्ग का हवाला दिया और उसमें 14 प्रतिशत रिजर्वेशन की बात की है और इसके साथ-साथ में आर्थिक पिछड़े वर्ग के प्रावधान 2008 के बिल में थे, उसको निश्चित किया गया है। इसी तरह से बिल नम्बर-32 में विशेष पिछड़े वर्ग की बात कही है और 2008 के अधिनियम में 5 प्रतिशत के जो प्रावधान थे, उनको निरस्त किया गया है। कुल मिलाकर आज की तारीख में 2015 का बिल नम्बर 33 हमारे द्वारा पास किया हुआ है परन्तु उस पर किसी प्रकार की कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हुई है। इस तरह से हम मानते हैं तो आज राजस्थान में ओ.बी.सी. समाज के लिये, जहां पर 21 और 14, कुल मिलाकर 45 प्रतिशत के आस-पास रिजर्वेशन बनता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जब संविधान की भावना यह कहती है कि हम जनसंख्या के अनुपात में, पोपुलेशन को ध्यान में रखते हुए सबके साथ न्याय हो, सबके साथ व्यवस्थित एक सोचने और समझने की क्षमता कायम करते हुए देश की जनता के बीच अमीरी और गरीबी की खाई पाटने का काम हो और भुखमरी, गरीबी से ऊपर उठाने के लिये काम

(श्री देवेन्द्र कटारा)

करने के लिये एक प्रावधान किया गया था। उसकी मंशा को देखते हुए यह बिल राजस्थान सरकार ने रखा है। निश्चितत: ओ.बी.सी. से संबंधित जितने भी बिल आये हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह सारे के सारे बिल भारतीय जनता पार्टी के शासन में या भारतीय जनता पार्टी ने या तो अधिसूचना के माध्यम से किया है या बिल के माध्यम से किया है। वह सारे बिल भारतीय जनता पार्टी के शासन में आये। यह बात निश्चित है कि कुछ बिल बार-बार कोर्ट में चैलेंज हुए हैं और जैसे अनुसूचित क्षेत्र के बिल भी आज चैलेंज में चल रहे हैं, परन्तु एक न एक दिन यह सर्वमान्य धारणा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गयी है इन्दिरा साहनी के केस में, इसके अलावा और भी दूसरे केस हैं, इनमें भी कर रखी है तो निश्चित: उस भावना के तहत हमें जनता का, जो कैटेगरीवाइज है, उनका हमें ध्यान करना पड़ेगा और यह बिल निश्चितही यहां की जनता के लिये, यहां के ओ.बी.सी. समाज के लिये एक तरह से वरदान साबित होगा। एक तरह से जनता में जो अमीरी-गरीबी की खाई बढ़ रही है, उसको कम करने के साथ-साथ में आर्थिक दृष्टि से सम्बल मिलेगा और एक बेरोजगार, जो शिक्षा अर्जित करने के बाद में भी आज की तारीख में सड़क पर चल रहा है, उसको मूल समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर इस बिल के माध्यम से मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेषकर मुझे दर्द इस बात का है कि आखिर में भारत के संविधान को कोई व्यक्ति नहीं मानता है। भारत के संविधान के प्रावधान को कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो साधारण भाषा में गांवों में, गलियों में इसको देशद्रोही कहते हैं। आजादी के बाद से लेकर 1993 तक ओ.बी.सी. समाज के प्रावधान जो उसमें दे रखे हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रावधान भारत के संविधान में दे रखे हैं, उन प्रावधानों को धरातल पर लागू कराने का प्रयास, एक विनियम के माध्यम से प्रयास, एक एक्ट के माध्यम से प्रयास जो करने चाहिये थे, तत्कालीन प्रयासों ने वह प्रयास बिलकुल नहीं किये हैं और उसमें अधिकतर 99 परसेंट समय तक शासन जो किया है, वह कांग्रेस सरकार ने किया है। ओ.बी.सी. समाज की दृष्टि से अगर देखें, यहां की गरीब जनता की दृष्टि से देखें, यहां के और पिछड़ी जातियों के समाज की दृष्टि से देखते हैं तो निश्चितही ही उस जनता के साथ में अन्याय कांग्रेस सरकार के शासन ने किया है। मैं तो यह भी

(श्री देवेन्द्र कटारा)

समझता हूं कि आजादी के बाद से लेकर अब तक जिस तरह से उन जातियों के साथ में अन्याय हुआ है, वह जातियां इनको बर्दाश्त कैसे करती आयी हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह बिल जो वास्तव में उस समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान हैं, इस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में जो रिजर्वेशन के प्रावधान करने चाहिये, उन पूरे के पूरे प्रावधानों का हमको अध्ययन करना पड़ेगा और पूरे राजस्थान में क्षेत्रवाइज, क्योंकि यहां दो तरह का प्रावधान है, अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र के लिये भी हमको देखना पड़ेगा और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिये भी हमको देखना पड़ेगा। अनुसूचित क्षेत्र की बात करूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित क्षेत्र में आज 73 प्रतिशत एस.टी. समुदाय वहां पर रहता है।

पूरे राजस्थान का जो एस.टी. है उसका 51 प्रतिशत एस.टी. उदयपुर संभाग में रहता है और उनको जो प्रावधान मिल रहा है, उनको 45 परसेंट मिल रहा है। ऐसी स्थिति में वहां का एस.टी. समाज भी दबा हुआ है, वहां का एस.सी. समाज भी दबा हुआ है, वहां का ओ.बी.सी. समाज है। हिन्दुस्तान में पहला क्षेत्र है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि उदयपुर अनुसूचित क्षेत्र में एक भी ओ.बी.सी. व्यक्ति के लिए सीट रिजर्व नहीं है आज तक क्योंकि वहां पर एस.सी. को 5 प्रतिशत, एस.टी. को 45 प्रतिशत, 50 प्रतिशत जनरल के लिए ओपन है। वहां पर ओ.बी.सी. समाज के लिए कुछ भी नहीं है।

आप बड़े-बड़े आंसू बहाने की बात करते हैं। 1950 से लेकर अब तक एक भी ओ.बी.सी. व्यक्ति को, उदयपुर संभाग अनुसूचित क्षेत्र के व्यक्ति के लिए शिक्षण में पदों और नौकरियों में सेवाओं में पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान था, वो नहीं कर पाये। इसके बाद में भी कहते हैं कि हम ओ.बी.सी. के हितैषी हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस बिल को जनता के बीच में राय, जनमत जानने के लिए और साथ-साथ में एक जनसंख्या के अनुपात में, सभी समाजों को नौकरियों में, शिक्षण

(श्री देवेन्द्र कटारा)

संस्थाओं में जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिले। साथ-साथ में गजेटेड और नोन-गजेटेड को भी कैटेगराइज किया जाए।

हमने कल आंकड़े चाहे कि राजस्थान में कितने कर्मचारी नौकरी करते हैं और उनकी आनुपातिक कंडीशन क्या है लेकिन हमें इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब संविधान में प्रावधान है कि यदि किसी समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए विशेष प्रोविजन बनाकर बैकलॉग भरने का भी प्रावधान था। आज तक, 1950 से लेकर के अब तक एक भी, चाहे वो एस.सी. का मामला हो, चाहे वो एस.टी. का मामला हो, चाहे ओ.बी.सी. का मामला हो, कहीं पर भी बैकलॉग भरने का प्रावधान नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1950 से लेकर के 1993 तक जो एक असमानता पैदा हुई, एक तरह से नियुक्तियों में जो पीड़ित, दलित, गरीब और आदिवासी लोग हैं उन लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला और काफी, इतनी असमानता पैदा हो गयी कि इस खाई को पाटना, उसमें बहुत बड़ा समय हम को लगने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के साथ में मेरा आग्रह है कि राय जानने के साथ-साथ में बिल में बैकलॉग के माध्यम से, क्योंकि जो पीछे इस समाज को नुकसान हुआ है, जो पीछे अन्य जातियों को भी नुकसान हुआ है, इस बिल में यह भी प्रोविजन किया जाए, मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि यदि ओ.बी.सी., एस.बी.सी., ई.बी.सी. इनमें राजस्थान की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और इनकी जितनी भी सीटें, चाहे गजेटेड हों चाहे नोन-गजेटेड हो, खाली रहती हैं, उनको बैकलॉग के माध्यम से भरा जाए, क्योंकि उसमें कहीं पर भी 50 प्रतिशत का अड़ंगा सामने नहीं आ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही ऐसे कई विषय हैं जो इस एक्ट में जनता के सामने रखने के लिए आवश्यक हैं। कारण कि यदि हम जनता के बीच में सर्कुलेट नहीं करेंगे, जनता की राय हम लोग नहीं जान पायेंगे तो यही बिल पुन: चैलेंज होगा, चैलेंज होने के बाद में लटकेगा, सुनवाई में समय लगेगा। क्योंकि हम लोग लगातार भर्तियां, विज्ञापन निकाल रहे हैं लेकिन जब बिल हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, भर्तियां इसी आधार पर

(श्री देवेन्द्र कटारा)

चैलेंज होती रहती हैं और चैलेंज होने के साथ में हम लोग भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग इन बिल के चक्कर में, आरक्षण विधेयकों के चक्कर में और गलत, अंट-शंट ऐसी अधिसूचनाएं जो निलकती जा रही हैं जिनको आसानी से कोर्ट में स्टे मिल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, डूंगरपुर जिला परिषद् का मामला। 2012 से लेकर अब तक हर भर्ती कोर्ट में गयी और कोर्ट में हर बार स्टे मिला। कोर्ट ने हर बार यह कहा कि भई, यह गलती है, मैरिट में गलती है, क्षेत्र से बाहर, क्षेत्र से भीतर इतनी सीटें यह रखनी चाहिए थी, इतनी सीटें यह रखनी चाहिए थी, इसी चक्कर में हमारी सारी की सारी भर्तियां रुकीं और आज कई लोग उस टाइम क्वालीफाइड होने के बाद में भी भर्तियों से वंचित हैं और अभी सरकार को एस.एल.पी के लिए भी जाना पड़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से एक्ट की सलाह, एक या तो सरकार को गलत सलाह देने वाले लोग हैं जो मूल भारत के संविधान के प्रोविजन को दरकिनार करते हुए अपनी मर्जी से गलत तरीके से एडवाइज करने के बाद में इस बिल को बार-बार पेश करना पड़ रहा है और वो बार-बार अटक रहा है या फिर उसमें हम लोग पूरी स्टडी के साथ में इस बिल को पेश नहीं कर पा रहे हैं, इसी की वजह से यह रुक रहा है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस बिल को जनमत के लिए भेजा जाए और भेजकर तमाम प्रकार की राय, सलाह, मशविरा आप स्वीकार करते हुए, उनको कंसीडर करते हुए इस बिल को पास किया जाए। यह मेरा आपसे सुझाव है।

मैंने इस बिल को माह के लिए जनमत जानने के लिए निवेदन किया था। मैं मेरी इस मांग को, जनमत जानने के लिए जो मैंने निवेदन किया है उसे मैं विदड्रा करता हूं। धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, आप दो बात बोल गये। एक तो कह रहे हो कि जनमत जानने के लिए भेजा जाए ...(व्यवधान)... अब कह रहे हो विदड्रा कर रहे हो।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, यह आसन का काम है।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): नहीं, फिर यह किस साइड में हैं? मतलब आप क्या कहना चाहते हो?

**श्री उपाध्यक्ष:** यह आसन का काम है। श्री प्रहलाद गुंजल।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 सदन में विचार के लिए लिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस आशय के दो बिल पहले भी पारित किये गये हैं। मैं आभार सदन का व्यक्त करूं या सरकार का व्यक्त करूं, चूंकि जब आज यह तीसरा बिल पारित हो रहा है तब भी मैं सदन का मैम्बर हूं। दूसरा बिल पारित हो रहा था तब भी मैं सदन का मैम्बर था और पहला बिल पारित हुआ तब भी मैं सदन का मैम्बर था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इन दस-पन्द्रह सालों में ऐसा पहली बार देखा है कि किसी एक विषय पर एक सरकार इतनी गम्भीर नजर आए कि तीन-तीन बिल लाने के लिए उसको आवश्यकता पड़ जाए, तीन-तीन बिल।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं तीसरे बिल को पढ़ रहा हूं। तीसरे बिल को पढ़ रहा हूं।

**(14.18 बजे)**

**(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)**

माननीय सभापति महोदय, पहले बिल को पढ़ रहा हूं, दूसरे बिल को पढ़ रहा हूं। पहले बिल में 68 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग और माननीय सभापति महोदय, जब यह दूसरा बिल आया तो केवल विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए ये 5 प्रतिशत का बिल आया 2015 में।

माननीय सभापति महोदय, अब इन सबके पीछे अगर मैं जाऊंगा कि इन तीनों बिलों की बुनियाद राजस्थान में कैसे बिछी, मैं उस पर बहुत गम्भीरता से नहीं जाना चाहता चूंकि मैं उस आन्दोलन का हिस्सा रहा हूं। लेकिन इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती, दो-दो बिल लाने के बाद

(श्री प्रहलाद गुंजल)

भी हम जिस वर्ग को न्याय दिलाना चाहते हैं उस वर्ग को आज तक न्याय नहीं दिला पाये। और यह तीसरा बिल क्या कह रहा है? संविधान के आर्टिकल 162 में, माननीय सभापति महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूं, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार- इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके सम्बन्ध में उस राज्य के विधान मण्डल को विधि बनाने की शक्ति है। जो विधि विधान मंडल बना रहा है उस पर अधिसूचना जारी करने की ताकत कार्यपालिका की हो गई है। आप बात आरक्षण की कर रहे हैं और केवल इस बात का एक्ट बना रहे हैं। आपने प्रस्तावना में क्या लिखा है? आपके उद्देश्यों और कारणों में क्या लिखा है? जब उसकी वैधानिकता के बारे में बात होती है। प्रस्तावना और उद्देश्य, कारणों की बात होती है तो इसी सदन में कई बार कहा गया है कि उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, उसकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं है कि हम 26 प्रतिशत करना चाहते हैं, हम 52 परसेंट करना चाहते हैं। इस बिल में आपने लिखा है कि हम पिछड़ा वर्गों के लिए लाए जाने वाले आरक्षण को चाहे वह शैक्षणिक संस्थाओं में हो या राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में हो, राज्य सरकार को राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति एवं पदों का ऐसा प्रतिशत होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा। सैक्शन 162 की पावर आप कार्यपालिका को यह बिल केवल अधिसूचित करने के लिए दे रहे हैं। इसमें किसको, कितना आरक्षण मिलेगा, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है।

सभापति महोदय, इस सदन ने सैकड़ों कानून बनाए होंगे। बहुत वरिष्ठ सदस्य माननीय मानिक चन्द जी सुराना, प्रद्युम्न सिंह जी, घनश्याम जी तिवाड़ी, राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ बैठे हुए हैं। हर कानून के मुताबिक कार्यपालिका को अधिसूचना जारी करने की एक सामान्य सैक्शन में पावर होती है। सरकार इस विषय में अधिसूचना जारी कर सकेगी। सरकार इस विषय में नियम, कानून बना सकेगी। छोटे-छोटे अधिनियमों में एक धारा मात्र में यह ताकत होती है कि ब्यूरोक्रेसी, कार्यपालिका उस पर अधिसूचना जारी कर सकती है। अधिसूचना, समाज को अधिसूचित करना कि तत्समय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मौजूद विधि के अनुसार सैक्शन फलां-फलां के तहत राज्यपाल की आज्ञा से ब्यूरोक्रेसी अधिसूचना जारी करती है। समाज को अधिसूचित करने से, अधिसूचना से हम कैसा आरक्षण लागू करना चाहेंगे?

सभापति महोदय, मैं बहुत गंभीरता से उस आंदोलन का हिस्सा बनकर अगर आज सदन में बोलूंगा तो ठीक नहीं होगा। इस सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस मुल्क की आजादी के बाद, राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन और इस आरक्षण के बिल की बुनियाद पर न जाने कितनी शहादतें हुई और न जाने कितना लंबा संघर्ष हुआ। उसके बाद भी हम इस विधान सभा में ऐसा बिल लाएं जो आई वाश करने से ज्यादा काम नहीं कर सके। केवल संतोष देने से ज्यादा काम नहीं कर सके। यह न केवल गलत बिल बनाने की परंपरा है, बल्कि हम सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अगर सत्ता पक्ष के सदस्य के नाते बोलूंगा तो मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लूंगा। लेकिन मैं इस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं, इसलिए बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय जब आप बोल रहे थे तो आपने आर्टिकल 38 का उल्लेख किया था। आर्टिकल 38 में क्या लिखा है और इस प्रस्तावना में भी लिखा है कि आर्टिकल 38 के अनुसार, 'खण्ड (1) में, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्र जीवन की सभी संस्थाओं को प्रमाणित करे'। आरक्षण का प्रावधान नहीं है 38, आप आरक्षण का बिल पास कर रहे हैं। 38 जो है उसमें आरक्षण का कोई क्लॉज नहीं है, न ही भारत के संविधान में सैक्शन 38 में आरक्षण का क्लॉज है। आप इसकी प्रस्तावना में लिख रहे हैं, 'सैक्शन 38 सब वर्गों के साथ समान न्याय करने का है'। भारत की पार्लियामेंट से राजस्थान की विधान सभा सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में लोगों के साथ न्याय करने का हर साल बिल पारित करती है, सैक्शन 38 उसको कवर करता है।

सभापति महोदय, समाज के सब वर्गों के लिए क्या हमारा एजेंडा है? उस एजेंडे पर हम कितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं? उसमें मौलिक सुधार लाने के लिए हम कितने इकोनॉमिकल संसाधन जुटा रहे हैं? यह सैक्शन 38 सरकार का डे-बाई-डे का एजेंड़ा है। यह बिल लाने का प्रोविजन नहीं है। यह

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एवरी-डे का एजेंडा है। हर रोज का एजेंडा है सरकार का। हम रोज के एजेंडे को सैक्शन 38 का हवाला देकर, न्याय की भावना को दृष्टिगत करके और केवल कहें यह सैक्शन 38 परमिट कर रहा है? सैक्शन 38 सरकार को डे-बाई-डे की जिम्मेदारी बताता है। कोई आरक्षण लाने का परमिट नहीं करता है। उसमें क्लॉज ही नहीं है। हम करना क्या चाहते हैं?

सभापति महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी से अगर एक-एक पर जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम केवल इस बिल से सरकार को अधिसूचना जारी करने का राइट दे रहे हैं कि कितना आरक्षण होगा, कितना नहीं होगा। राइट इसलिए कि कल इस बिल की लाइट में सैक्शन 162 में जो कार्यपालिका को राइट्स मिल जाएंगे और वह अधिसूचना जारी कर देगी कि हमारा आरक्षण इतना होगा। अभी बिल पास नहीं हुआ है। भरतपुर और धौलपुर के जाटों के संबंध में जो अवमानना याचिका है, उस पर कल कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी कर दी कि हम किसी भी सूरत में इन्दिरा साहनी के मुकदमे की लाइट में, 50 प्रतिशत से बाहर आरक्षण को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, आपका मकसद क्या है? अधिसूचना क्लैश हो जाए, बिल जिंदा रहे। जिस अधिसूचना से आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं, उसमें सरकार तय करेगी। आपने एक रास्ता और बंद कर दिया। कितना लंबा विवाद है? 2-2 बार इस सदन में इस बिल को भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए रिजोल्यूशन पास किया। आज आपने अधिसूचना के माध्यम से रिजर्वेशन देकर 9वीं अनुसूची में जाने के रास्ते ब्रेक कर दिए। 9वीं अनुसूची में केवल एक्ट जाता है, रिजोल्यूशन जाता है। अधिसूचना किसी भी कानून में 9वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं बनती है। इसलिए आपने एक और मांग को खतम कर दिया जो कि लगातार चल रही है चाहे आर्थिक पिछड़े वर्गों की हो, चाहे स्पेशल पिछड़े वर्गों की हो। 9वीं अनुसूची में अधिसूचना को किसी भी सूरत में संविधान डालने की परमिशन नहीं देता। आज आपने एक और मांग खतम कर दी। इस सदन के 2-2 रिजोल्यूशन इस बिल के बारे में जो पारित हुए थे, वह आज अपने आप टर्न-डाउन हो गए। एक ही उसमें टर्न-डाउन हो गए।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सभापति महोदय, अगर आप करना ही चाहते थे, कोई आपत्ति नहीं है, अधिसूचना से ही करना चाहते थे तो मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि आपने इसमें लिख दिया उद्देश्य और कारणों में, मैं पढ़ना चाहता हूं, 'केन्द्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और जन जातियों के लिए क्रमश: 15 और साढ़े 7, कुल साढ़े 22 प्रतिशत आरक्षण है। राज्य में इन दोनों जातियों के लिए क्रमश: 16 और 12, 28 प्रतिशत आरक्षण है। इन जातियों की आनुपातिक जनसंख्या को ध्यान में रखकर दिया गया है'।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह जो 28 प्रतिशत आरक्षण दिया है, इस राजस्थान में एस.सी., एस.टी. को रिजर्वेशन दिए जाने का स्टेट का अपना कौनसा एक्ट है? आपने केवल सेन्ट्रल एक्ट की मंशा के अनुसार अधिसूचना जारी करके रिजर्वेशन दे दिया। कोई इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं है एस.सी., एस.टी. का। जब एस.सी., एस.टी. का इस स्टेट में रिजर्वेशन का कोई इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं है और आपने अधिसूचना से दे दिया तो यह तो आप वैसे ही दे देते। क्यों अधिसूचना की राइट सरकार को मिले इसके लिए यह बिल, केवल अधिसूचना की पावर?

सभापति महोदय, अगर आपको ऐसा ही करना था और आपकी मंशा ठीक थी तो आपको इंतजार करना था। यह लगातार मंडल कमीशन के बाद से देश में आग पैदा हुई। सामाजिक न्याय लोगों के साथ हो इसकी बात उठी। सामाजिकन्याय का एजेंडा और तरीका इस समूचे मुल्क में केवल और केवल रिजर्वेशन बन गया नौकरियों में। इस गंभीर मुद्दे की अनदेखी स्टेट गवर्नमेंट तो क्या भारत सरकार भी अब नहीं कर सकती। मंडल कमीशन को लागू करना इस बात का संकेत है कि लगातार 50 सालों में उपेक्षा का शिकार रही इस मुल्क की पिछड़ी जातियां अपने हक के लिए इस तरह से खड़ी हो गई, 1993 में मंडल कमीशन लागू करके सरकार को घुटने टेकने पड़े और वह स्टेट पर, पूरे हिन्दुस्तान में सब जगह अलग-अलग चाहे बिहार में कोई किसी का आंदोलन हो, गुजरात में कुर्मी पटेल का आंदोलन हो, हरियाणा में जाट का आंदोलन हो, अपने साथ रिजर्वेशन, सामाजिक न्याय का हक तमाम जातियां मांग रही हैं और भारत सरकार इस पर कितना गंभीर है, वाजपेयीजी ने इस सारे विषय को देश में सुलगती हुई आग को कम करने

(श्री प्रहलाद गुंजल)

की वैधानिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए ओबीसी कमीशन का गठन किया और अभी मोदीजी की सरकार ने लोक सभा से ओबीसी कमीशन को पारित करवा कर राज्य सभा में रखा दिया। मैं समझता हूं कि नैक्स्ट सेशन में ओबीसी कमीशन पारित होगा और ओबीसी कमीशन के 338(बी) में, जैसे 338(ए) में एससी एसटी कमीशन के प्रोविजन हैं, ऐसे के ऐसे ही प्रोविजन 338(बी), संविधान संशोधन 123वां करके रखा जाना प्रस्तावित है और केवल यही प्रस्तावित नहीं है, उसमें प्रस्तावित है 342(ए), 342 में लिखा हुआ है, राज्यपाल की अभिशंसा पर भारत के राष्ट्रपति एससी एसटी की जातियों को घटाने-बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर सकेंगे। ठीक आने वाले 123वें संविधान संशोधन में यह का यही क्लॉज 342(ए) भारत के संविधान में ओबीसी जातियों के लिए आ रहा है। आप कर लीजिए इंतजार, भारत सरकार का एक कानून बनने वाला है, दस दिन बाद या इसी सैशन में, और यह जब भारत सरकार का कानून बन जाएगा तो जिस कानून की लाइट में एससी एसटी का रिजर्वेशन आबादी के अनुपात में दिया है, फिर आबादी के अनुपात में तमाम जातियां हैं 52 परसेंट से ज्यादा, ओबीसी की जातियां, फिर आपके 50 परसेंट से ज्यादा का टर्न-डाउन होगा तो भारत की पार्लियामेंट का वह संविधान संशोधन ओबीसी कमीशन को लेकर किया गया है, वह टर्न-डाउन होगा तब यह देशव्यापी होगा। यह एक स्टेट का विषय नहीं है और इसलिए आप इसको वैधानिक तरीके से कोई रास्ता निकालिए, यह छोटी-मोटी बात नहीं है। कल कोई कोर्ट में जाएगा। और टर्न डाउन हो जाएगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। मैं इंदिरा साहनी, नागराजन, उन सारे मुकदमों की बहुत डिटेल्स लेकर आया और और माननीय सभापति महोदय, आपने उसके एक पक्ष को बहुत जोर से रख दिया, मैं उसके दूसरे पक्ष को बहुत जोर से रख कर यहां सदन में सत्ता पक्ष का मैम्बर होने के बाद विवाद की स्थिति नहीं लाना चाहता लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा, सरकार की मंशा आरक्षण देने की है लेकिन आरक्षण हम किन तौर-तरीकों से दे सकते हैं, हम आरक्षण अगर देना ही चाहते हैं तो मैं माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारत में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पाटी की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

और दोनों ही जगह इस बहुमत में सरकार है तो क्यों नहीं संविधान संशोधन पारित कराने की बात भारत की सरकार से करें।

माननीय सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य अभी आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत आरक्षण की बात कर रहे थे, हम सब लोगों को मिलकर अगर सामाजिक न्याय की अवधारणा को सच्चे रूप से स्थापित करना है तो हमारा मूल एजेंडा होना चाहिए कि भारत की सरकार संविधान में मौलिक संशोधन करे और सब वर्गों के साथ न्याय का रास्ता बनाए। उसके बिना यह बिल लाना मैं समझता हूं कि बेमानी होगा। कल सुबह एक्ट पारित होने के बाद यह हाई कोर्ट की टेबल पर चैलेंज होगा, नहीं होगा तो पड़े रखना आप। अधिसूचना की पावर आपके पास है। किसको क्या लेना देना, कौन प्रभावित हो रहा है, किस पर यह कानूनी प्रिविलेज कायम हो रहा है, किस पर नहीं हो रहा है, आपके इस एक्ट बनाए जाने के बाद, जब आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता के सचिव राज्यपाल की आज्ञा से इस पर अधिसूचना जारी करेंगे कि हम राजस्थान को यह अधिसूचित कर रहे हैं कि इसमें पांच जातियों को हम पांच देंगे, दो देंगे, एक देंगे, छह देंगे और फिर वह आपकी अधिसूचना कोर्ट में जाएगी और मैं समझता हूं कि वह अधिसूचना क्वेश होगी तो आप कहेंगे कि हमारा बिल तो जिंदा है, बिल तो जिंदा है, बिल नहीं मरा है, हम और नई अधिसूचना लाएंगे। कितनी अधिसूचनाएं, किस-किसकी अधिसूचनाएं, क्या उसकी लीगल सैंक्टिटी होगी, क्या उसकी विधिक मान्यता होगी, कहां जाकर हम टिकेंगे? इस पर बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से बात करने की आवश्यकता है। आपको 15 दिन बाद जिस प्रकार से आपने एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात कही है, ओबीसी कमीशन फोर्म होने के बाद इस स्टेट की ओबीसी के हकों की पैरवी भारत सरकार के सामने करने का एक बड़ा मंच उपलब्ध हो रहा है। वैधानिक मंच, संवैधानिक मंच, एक संवैधानिक व्यवस्था कायम हो रही है ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, अब तक का जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वह एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्वेशन है, कल यह वैधानिक व्यवस्था कायम हो रही है, हम उस वैधानिक व्यवस्था में से किस प्रकार से अपने हक को कानूनी तौर पर सुरक्षित रख पाएं, इसकी चिंता करनी चाहिए।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि सरकार देना चाहती है लेकिन देना कैसे चाहती है, यह तो सरकार को तय करना पड़ेगा। अगर इस बिल का भी वही हश्र होगा जो पिछले दो बिलों का हुआ तो फिर सरकार को यह भी समझ में आना चाहिए कि जो बुनियाद इस मूवमेंट की है, वह बुनियाद इतनी कमजोर बुनियाद नहीं है कि बात समाप्त हो जाए, वह बात भूली जा सके। वह बुनियाद एक डेमोक्रेसी के राजस्थान के इतिहास की घटना बन गई है जिसे सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता है। इसलिए उसकी गंभीरता को, उसकी पवित्रता को इस सदन में बहुत जिम्मेदारीपूर्वक चर्चा के लिए लाया जाना चाहिए, न्याय की भावना से लाया जाना चाहिए, ईमानदारी के आचरण के साथ लाया जाना चाहिए इसलिए हम जरूरतमंद और प्रभावित पक्ष को किस तरीके से न्याय दिला सकें, यह विषय उसमें होना चाहिए वरना तो फिर आर्टिकल 16(4) की मैं बात करूंगा तो सरकार कह देगी कि हमने 15 के अनुकूल ला दिया। 15 में हम सबको जन्म के आधार पर सबको समान करना चाहते हैं पर आर्टिकल 16 में भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, 16(4) में, केवल इंदिरा साहनी नहीं, इसमें लिख दिया, 50 प्रतिशत तक आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यह संविधान में उल्लेखित हो गया। 16(4)(ख) में जब यह स्पष्ट तौर पर संविधान का हिस्सा बन गया, सुप्रीम कोर्ट की फुल बैंच के बाद और उसके बाद हम रोज ऐसा कोई कानून लाएं जिसकी बाहर जाकर फजीहत हो, मजाक हो, हम रोज प्रभावित वर्ग को एक नया सुनहरा सपना दिखाएं कि हम न्याय कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं। कल का सवेरा आपके सपनों को साकार करने वाला सवेरा होगा। हमारा पहला कानून नहीं, दूसरा कानून, दूसरा कानून नहीं तीसरा कानून आपके सपनों की बुनियाद रखेगा लेकिन रात गुजर जाने के बाद भोर के सवेरे उसका सपना टूटे, फिर वह सरकार के खिलाफ एक गुस्सा निकाले, अँगड़ाई ले, यह हालात, यह राजस्थान के हित में नहीं है, हम सबके हित में नहीं है और इसीलिए इस बात की गंभीरता को सरकार समझे और सदन और सरकार बहुत जिम्मेदारी का परिचय देकर ऐसा बिल इस सदन में पारित करे या भारत सरकार का संविधान संशोधन होकर क्या ओबीसी के बारे में भारत सरकार की नीति

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बनती है, इस वैधानिक तरीके से उस पर अपना पक्ष पुरजोर तरीके से रखे या भारत सरकार से हमारा पक्ष रखे कि संविधान में संशोधन अन्य पिछड़ा वर्ग और राजस्थान का वह प्रभावित पक्ष जो लगातार पिछले दस सालों से झुलस रहा है आग में, लड़ते-लड़ते जिसकी छाती पर फफोले पड़ गए, दवा चाहिए, मलहम चाहिए, इलाज चाहिए, तसल्ली नहीं और इसके लिए सरकार क्या कुछ करे, जिम्मेदारीपूर्वक, गंभीरतापूर्वक, जयपुर से लेकर भारत सरकार के स्तर तक इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है वरना मैं समझता हूं कि जिसको अंग्रेजी में हम आईवॉश कहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपकी मंशा पवित्र होने के बाद भी इसके परिणाम जीरो आने की संभावना है, चूंकि न्यायालय इस पर बहुत सख्त है केवल अकेले राजस्थान का विषय नहीं है।

आपने कह दिया कि आबादी के अनुपात में, आर्टिकल 138 के अनुसार, क्या लिखा है आपने, मैं पढ़ना चाहता हूं प्रस्तावना को एक बार दुबारा, अनुच्छेद 330 और 332 लागू, अनुच्छेद 16 के आरक्षण के उस रूप में लागू नहीं है जिस रूप में वह अनुच्छेद 330, 332 लागू है।

यह विशेष राज्यों में, असम वगैरह, जिनका उल्लेख आर्टिकल में है। "तथापि आरक्षण का विस्तार सुनिश्चित करने में राज्य की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों का अनुपात एक सुसंगत कारक है।" इंदिरा साहनी के मुकदमे में जनसंख्या के अनुपात को सुसंगत कारक नहीं बताया गया है। वो सोसाइटी से आइसोलेशन की स्थिति में है। मुख्य धारा से कट गया है। परम्परा, रीति-रिवाज, समाज की मूलधारा से भिन्न है। वो सारे ऐसे कारण, हम उन कारणों की अनदेखी करके केवल तर्कसंगत बात, सबके समझ में आ जाने वाली बात सदन में रखकर इस बिल को पारित करा तो सकते हैं, पर इस बिल का प्रभाव कितना होगा, यह भविष्य के गर्भ में है और भविष्य हमें बार-बार चुनौती न दे, इसके लिए एक सुसंगत कानून इस सदन को बनाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन कानून का भविष्य क्या होगा, यह सदन जानता है, राजस्थान जानता है। इस पर हमको बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैंने जो

(श्री प्रहलाद गुंजल)
मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

**श्री सभापति:** धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय डॉ. फूलचन्द जी भिण्डा।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मैंने मेरा नाम तो पहले नहीं दिया है, लेकिन इस रिजर्वेशन के मैटर पर मुझे 5, 7 या 10 मिनट देंगे? मैं भी बोलना चाहता हूं।

**श्री सभापति:** हां, आप बोलिए।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): सभापति जी, मूल संविधान में कुछ प्रावधान किये गये हैं जिनमें एक प्रावधान यह भी है कि जो समाज के सोशली या इकॉनोमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनके प्रोटेक्शन की बात मूल संविधान में कही गयी है। संविधान लागू होते ही एससी, एसटी का आरक्षण प्रारंभ हुआ।

1972 में रिजर्व बैंक की एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने यह मूल्यांकन किया कि हमने चार योजनाओं में क्या खोया, क्या पाया। उसका परिणाम था देश में गरीबी बढ़ी और गांवों की गरीबी और अधिक बढ़ी, ऐसा 1972 की रिपोर्ट में आया। इस देश का सौभाग्य था कि 1977 में सत्ता बदल गयी और पहली बार बैकवर्ड क्लासेज के लिए मण्डल आयोग का गठन हुआ। उसको भी राजनीति के गर्त में 1980 से 1990 तक कांग्रेस ने डाले रखा, फिर जाकर पुन: यह मण्डल आयोग लागू हुआ, लेकिन उसके अध्ययन के बाद यह स्पष्ट हुआ कि इस देश में सोशली बैकवर्ड की बात तो होती रही, लेकिन इकॉनोमिकली बैकवर्ड की बात प्रकट हो गई और भारत के इतिहास में आर्थिक पिछड़ेपन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सदन ने, इस पवित्र सदन ने पहली बार 14 परसेंट आरक्षण की बात कही। मण्डल कमीशन लागू होने के बाद यह बात भी आयी, मण्डल आयोग के अंतर्गत भी बैकवर्डनेस की बात उठी और उसमें से यह विशेष बैकवर्ड क्लासेज के आरक्षण की बात आयी, वह इसमें से निकली लेकिन 50 परसेंट की सीमा के कारण यह विषय बार-बार विसंगत होता रहा। एक परसेंट दिया गया, फिर 5 परसेंट किया गया, फिर चैलेंज हुआ। आज उसी दिशा में हम फिर एक्ट पास कर रहे हैं, लेकिन

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इस एक्ट में जैसा अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, एक बात और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो 21 परसेंट का आरक्षण है उन लोगों के मन में भी इस एक्ट के कारण से आशंका उठी है। मैं मंत्रीजी को निवेदन करूंगा क्योंकि सबसे बड़ी पोपुलेशन, 52 परसेंट के करीब पोपुलेशन ओबीसी की है। ओबीसी के मन में कोई अविश्वास उठता है, कोई आशंका उठती है तो उसका भी दुष्परिणाम आ सकता है, ऐसा मेरा निवेदन है। आर्थिक बैकवर्ड का 14 परसेंट का मामला है, सिस्टम ऐसा बना दिया प्लानिंग का, प्लानिंग बनी थी सबका विकास करने के लिए, बैलेंस ग्रोथ के लिए, लेकिन अनबैलेंस होता चला गया, जो अभी धोखा बता रहे थे उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। 53 साल तो नहीं किया, समाज को अन-बैलेंस किया। जब मूल संविधान में सोशली एण्ड इकॉनोमिकली बैकवर्ड की बात कही गयी है तो 14 परसेंट आरक्षण भी उसी का पार्ट है। इस आरक्षण पर टोटल विचार करके भारत सरकार को भी ऐसा प्रस्ताव, ऐसा संकल्प जाना चाहिए जिसके कारण से सोशली एण्ड इकॉनोमिकली बैकवर्ड का एक बिन्दु मूल संविधान में है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कवर करने की बात उसमें हो ऐसी मेरी मान्यता है। इस कारण से माननीय मंत्रीजी, 14 परसेंट के बारे में भी बताएं, यह सदन पहले पास कर चुका है। 5 परसेंट के साथ 14 परसेंट पास हुआ था। क्या उसको छोड़ दिया गया या भूल गये, ऐसी शंकाएं भी हैं, लोग पूछते हैं। इस कारण से यह स्पष्टीकरण आना चाहिए और इसमें जो पीड़ित पक्ष हैं, उनको लाभ मिले, जो मांग करने वाला पक्ष है उसको रिलीफ मिले, उनकी आशंकाएं दूर हों, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं। जो मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है उसको विथड्रा करता हूं।

**श्री सभापति:** धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय श्री रामहेतसिंह जी यादव। माननीय सदस्य श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन बहुत ही संवेदनशील और सर्वस्पर्शी विषय पर विचार कर रहा है। पिछले 10 वर्ष में तीसरी बार हम इस पर बहस कर रहे हैं। अभी जब इस पर चर्चा चल रही थी और आपने इसकी बहस शुरू की तो बहुत बड़े कानूनविद के रूप में आपने बहुत से निर्णयों की यहां पर व्याख्या की। मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जब कोई बात रख रहा था तो हमारे बहुत पुराने मित्र राजेन्द्र जी और बहुत नये मित्र अरुणजी, दोनों मंत्री हैं, दोनों मेरे से नाराज हुए। मैंने कहा, नाराज होने की इसमें जरूरत नहीं है। राजेन्द्रजी तो पुराने आदमी हैं, इस कानून को जब सबसे पहले लाये थे तो वह हमारे साथ थे और अरुणजी मंत्री नये हैं, लेकिन चावल पुराने हैं। इसलिए इसमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हम इस कानून में साथ हैं। यह कानून राजस्थान में शांति स्थापित करने और सभी वर्गों को ठीक प्रकार से उनकी बात को ध्यान में करने का कानून हो, इस प्रकार की व्यवस्था करनी है। इस पर जाने से पहले मैं कांग्रेस पार्टी के लिए भी कहना चाहूंगा कि सारे मामलों में, यह गुर्जरों का आंदोलन कोई नया नहीं है। प्रहलादजी गुंजल को पता होगा कि ब्रह्मानन्द रेड्डी हुआ करते थे। धौलपुर में सबसे पहले यह आंदोलन शुरू हुआ था भारतवर्ष में। उस समय से लेकर यह आंदोलन चला और मैं समझता हूं कि राजस्थान में जितने आंदोलन चले और सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी आंदोलन में हुए तो वे गुर्जरों के इस आरक्षण के आंदोलन में हुए। उसके बाद सबने मिलकर एक रास्ता निकाला कि हम एक ऐसा कानून बनाएं जिसमें सब लोग सहमत हों। कांग्रेस पार्टी भी उसमें सहमत थी, भारतीय जनता पार्टी भी सहमत थी, पूरा सदन सहमत था और उस सदन में हम 68 परसेंट आरक्षण का कानून 2008 में पहली बार लेकर आये थे। मेरा सौभाग्य रहा कि भारतवर्ष के इतिहास में (व्यवधान) सुन लो घनश्यामजी। (व्यवधान) हम लेकर आये। उसमें कांग्रेस ने भी साथ दिया, बीजेपी ने भी साथ दिया और हमने एक प्रस्ताव भी साथ पास किया कि इसको संविधान की नवीं अनुसूची में डाल दिया जाये। उस कानून पर 13 महीने तक राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर नहीं हुए। उसके बाद चुनाव हो गए और चुनाव के बाद नई सरकार आ गयी। नई सरकार आने के बाद में इस कानून के दो हिस्से कर दिये। एक हिस्सा कर दिया गुर्जरों के आरक्षण के लिए और एक हिस्सा कर दिया आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए। गुर्जरों को एक परसेंट आरक्षण श्रीमान् गहलोत साहब की सरकार में मिल गया और फिर हमारी जब सरकार आयी तो हमने 5 परसेंट आरक्षण का बिल पास किया और 14 परसेंट आरक्षण का बिल इस सरकार में हमने पास कर दिया और 5 परसेंट आरक्षण को लागू कर दिया

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जिसको हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया और कहा कि ये-ये खामियां हैं, इनको पूरी करो। 14 परसेंट आरक्षण का जो बिल था वह 2015 में 7 अक्टूबर को राज्यपाल महोदय के द्वारा स्वीकृत हो गया और वो अभी तक सरकार के पास रखा हुआ है उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई।

पहली बात तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि भारत का जो संविधान है उस संविधान की जो आत्मा है उसने कहा है कि जस्टिस पोलिटिकली, सोशली एण्ड इकोनॉमिकली। हम इसके लिए सौभाग्यशाली हैं कि 1931 में जो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, उसने मानव समाज के इतिहास में जितना अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हम कर सकते थे उतना करने का हमने प्रयत्न किया और भारत माता की सभी संतानें समान रूप से आगे बढ़ सकें उसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया।

उसके बाद मंडल कमीशन बना, काका कालेलकर साहब कमीशन बने और ओबीसी का मामला आया। पहले ओबीसी में कुछ वर्ग शामिल हुए, उसके बाद किसान वर्ग भी ओबीसी में शामिल हो गया। उसके लिए भी बड़े आंदोलन चले, लोगों के बलिदान भी हुए। मंडल कमीशन लागू हुआ, उसमें भी देश भर में बहुत बड़ा आंदोलन चला, फिर यहां पर जाट आरक्षण का आंदोलन चला। अटल बिहारी जी वाजपेयी आये, जाटों को आरक्षण मिला। उसके बाद सामाजिक न्याय मंच का बहुत बड़ा आंदोलन चला। उसके बाद में ब्राह्मणों का भी बहुत बड़ा आंदोलन चला, उसका मैं भी हिस्सा रहा और उस पर मैंने पूरी एक किताब भी लिखी है। लेकिन आज केवल कोई ब्राह्मण आरक्षण के आंदोलन के हिस्से के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं राजस्थान की विधान सभा के विधायक के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बोल रहा हूं।

अब आज जब हम यह कानून लेकर आये हैं तो इसमें तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि अधिसूचना जारी करने के अधिकार के लिए क्या कानून बनाने की आवश्यकता है? तो मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि अधिसूचना जारी करने के लिए कानून बनाने की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को जो आरक्षण मिला हुआ है उन दोनों के लिए केवल अधिसूचना के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है, उसके लिए कोई कानून हमारे यहां नहीं बना हुआ है। तो अगर ये दोनों आरक्षण हम देना चाहें, इनकी अधिसूचना जारी कर दें या इनका कानून बनाकर अधिसूचना जारी कर दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आपको भ्रमित कर रहे हैं और हम राजस्थान की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं सरकार की मजबूरियां समझ रहा हूं, न्यायालय के माध्यम की मजबूरियां हैं, न्यायिक फैसलों की मजबूरियां हैं लेकिन न्यायिक फैसलों को दूर करने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है।

सभापति महोदय, आप तो स्वयं सब जानकार हैं। भारतवर्ष में पहला संविधान संशोधन पण्डित जवाहर लालजी नेहरू और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी ने 1961 में किया था। 10 मई, 1951 को प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री पण्डित जवाहर लालजी नेहरू और स्वर्गीय श्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित संशोधन करके किया - 'इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 खण्ड (2) की कोई बात राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागारिकों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से रोक नहीं सकेगी।' यह राजनैतिक नेताओं का फैसला था। कम्युनल अवार्ड के नाम पर जब मद्रास हाई कोर्ट ने चम्पादुरई नाम की एक महिला के कारण से, सीटों का आरक्षण था मेडिकल में, उसमें सीटों का इस प्रकार आरक्षण किया गया था - सीटें नॉन ब्राहमण 42 परसेंट, सीटें पिछड़े हिन्दू 14 परसेंट, सीटें ब्राहमण 14 परसेंट, सीटें हरिजन 14 परसेंट, सीटें इसाई 7 परसेंट, सीटें मुस्लिम 7 परसेंट। इसका उन्होंने चैलेंज किया, मद्रास हाई कोर्ट ने कम्युनल अवार्ड बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कर दिया। उसके बाद में, सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्राप्त हो गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि न्यायालय वो फैसला करती है कि जो हमने कानून बना रखा है। उस कानून को बनाने के बाद में उसको बदलने का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अधिकार हमको प्राप्त है इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर हमको इसको बदलना चाहिए। आज भारत की कौनसी राजनीतिक पार्टी है जो इन आरक्षणों का विरोध करती है? यह आंदोलन चला था शिड्यूल्ड ट्राइब में शामिल होने के लिए। आग्रह पर, हमारी इस मांग पर विशेष पिछड़े वर्ग के नाम पर हमने आरक्षण दिया कि दो समाजों में लड़ाई नहीं हो, गुर्जरों ने इसको स्वीकार कर लिया था और यह एक बहुत प्रश्न बना था और वो 68 परसेंट आरक्षण अगर आज हो जाता तो राजस्थान के सभी वर्ग सामान्य रूप से रह सकते थे। वो हिन्दुस्तान के लिए आदर्श कानून था और सब राजनीतिक दलों ने उसकी बात भी की थी लेकिन, सभापति महोदय, हम सब जानते हैं और आज हम सबको इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह तब तक नहीं होगा जब तक भारत के संविधान में संशोधन नहीं होगा। भारत के संविधान में संशोधन करना होगा। अटल बिहारी वाजपेयीजी के टाइम पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए आयोग बना था, अब माननीय मोदी जी के समय में इस ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल रहा है। यह सारा काम हो रहा है तो इस पर हम क्यों नहीं विचार करें। चुनाव तो पाँच साल बाद आएंगे और चुनाव आएंगे तो लोग इसकी बात करेंगे तो फिर हम बचेंगे कितने समय तक? इसलिए मैं आपसे यह मांग करता हूं कि सारा सदन, सरकार और भारत सरकार से, यह कोई राजस्थान में एक जगह आंदोलन नहीं हो रहा है, हरियाणा में आंदोलन हो रहा है, गुजरात में आंदोलन है, राजस्थान में आंदोलन है। आखिर हम इसको कैसे बचा सकेंगे? अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिले इसके हम सब पक्ष में हैं और वो आरक्षण कायम भी रहना चाहिए। ओबीसी को आरक्षण मिले, उसके हम सब पक्ष में हैं, वो आरक्षण भी कायम रहना चाहिए। ओबीसी के बाद में विशेष पिछड़ा वर्ग कहें या ओबीसी का वर्गीकरण कर गुर्जरों और बाकी बची हुई जातियों को आरक्षण दें, उसके भी हम पक्ष में हैं। लेकिन, उसके बाद, सभापति महोदय, एक प्रश्न आता है कि राजस्थान में कितनी जाति बची हुईं हैं? ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, सिंधी और ओबीसी में न आने वाले मुसलमान, ये लोग आरक्षण से बचे हुए हैं। इन लोगों के आरक्षण के लिए दोनों सरकारों ने, गहलोत साहब ने 13 परसेंट का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रस्ताव बनाकर भेजा भारत सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14 परसेंट आरक्षण का बिल यहां पर पास किया। इसके बाद भी एक कदम हम दस साल में नहीं चले तो इन सब जातियों में स्वाभाविक रूप से एक प्रकार की सामाजिक विषमता की स्थिति पैदा हो रही है।

इसमें दो बात मैं कहना चाहता हूं। कुछ लोग कानून को और न्याय को मिलाते हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हम कानून और न्याय को मिलायें नहीं। न्याय अलग चीज है और कानून अलग चीज है। आज हम न्याय की मांग के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका में जब काले लोगों ने मार्टिन लूथर किंग की अगुवाई में वोट के अधिकार के लिए लड़ाई की उसमें उनकी लड़ाई गैर कानूनी थी क्योंकि अमेरिका का कानून था कि उनको वोट का अधिकार नहीं था। जब दक्षिणी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में काले लोगों ने चाहा कि हमको न्याय मिलना चाहिए तो वो उस समय के कानून के खिलाफ था लेकिन ज्यों ही कानून बदला और मंडेला बना, ओबामा बना तो न्याय हो गया। इसलिए ये गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत वर्ग जो लड़ रहे हैं वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कानून की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इसको कानून की तरह से मत देखें। कानून का फैसला कोर्ट करती है और न्याय का फैसला जन प्रतिनिधि करते हैं। यह भार हमारे ऊपर है कि हम न्याय का फैसला करें। कौन नहीं जानता कि महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं था। ब्रिटेन में महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं था। 1928 के पहले वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। अमेरिका में नहीं था, फ्रांस में नहीं था, सऊदी अरब में नहीं था, कानूनन नहीं था तो उनकी उस समय की लड़ाई कानून के खिलाफ थी लेकिन न्याय के पक्ष में थी। उनको वोट का अधिकार मिल गया, उनको न्याय मिल गया। जब ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी जाट समाज ने, यहां पर तो कानून नहीं था लेकिन जब कानून बन गया तो उनको न्याय मिल गया। गुर्जर समाज जो लड़ाई लड़ रहा है वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। ये ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ लड़ाई लड़ रहे हैं ये कानून की नहीं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए हमको न्याय के हित में इसका फैसला करना चाहिए। कानून की बात अलग है और न्याय की बात अलग है। इसलिए कानून और न्याय के फैसले में हमको फर्क करना चाहिए।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं इसी पर आ रहा हूं। सभापति महोदय, कोई जातिवाद से समस्या का समाधान नहीं होगा और हम यहां जातियों के प्रतिनिधि के रूप में बोलते भी नहीं हैं। जिस समय अगर जन-प्रतिनिधि जाति का प्रतिनिधि हो जाएगा उस समय वो प्रतिनिधि रह सकता है लेकिन उसकी नैतिकता समाप्त हो जाएगी।

**(15.00 बजे)**

भारत की जब संविधान सभा बनी तो सभापति महोदय, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको नाम के साथ बताना चाहता हूं। उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। संयुक्त भारत में, भारत की संविधान सभा बनी। उसमें 87 परसेंट हिन्दू थे और 87 परसेंट हिन्दुओं में 84 प्रतिशत ब्राह्मण थे संविधान सभा में। अगर ब्राह्मणों को आरक्षित करने की उनकी इच्छा होती तो वह आरक्षण कर लेते लेकिन 84 परसेंट होते हुए भी उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के आरक्षण की बात सोची तो यह बात सोचने का मतलब है कि हम समाज के सब वर्गों को साथ लेकर चलने की बात सोचें लेकिन यह बात करते-करते जब हम इस स्थिति में पहुंच गये कि अब हमारे ही सारे साधन खतम हो रहे हैं। अब जजमानी भी खतम हो गई और जमीन भी खतम हो गई तो जब सारी बात यह हो गई तो टीके लगाने के अलावा कुछ बचा ही नहीं तो फिर वह कहने लग गये कि भई, हमको भी कुछ दे दो तो मैंने कहा भाई, बोले साहब, वर्ण, सवर्ण को नहीं मिल सकता।

अब एक बात मैं सभापति महोदय, आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ भ्रम हम पाल रहे हैं। सवर्ण का मतलब क्या है? सवर्ण का मतलब ब्राह्मण, बनिये, राजपूत ही होता है और जनरल का मतलब ही ब्राह्मण, बनिये और राजपूत होता है। जनरल का मतलब सब लोग। जनरल के कोटे में सब लोग आते हैं और सवर्ण में भी सब लोग आते हैं। सवर्ण में अनुसूचित जाति भी आती है, अनुसूचित जनजाति भी आती है। शास्त्रों में सवर्ण का मतलब है जो चारों वर्णों से किसी भी वर्ण में हो तो अनुसूचित जाति अपने वर्ण में है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र जो थे वह सब अलग-अलग अपने-अपने वर्ण में थे। चारों वर्णों में कोई नहीं हो, वह अवर्ण है। वह चाण्डाल जैसी कुछ जातियां थीं उस समय में, उनको अवर्ण में, वह सवर्ण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं थे तो आज सवर्णों को सबको आरक्षण मिला हुआ है। अब आरक्षण का वर्ण आधार नहीं रहा है और वर्ण भी अगर आधार है न तो वर्ण नये बन गये चार के चार। एक अजा, पहला वर्ण बन गया। एक जजा। एक पिछड़ा और एक अगड़ा तो अगड़ों के सामने समस्या यह है कि मैंने पूछा था। गहलोत साहब उस समय थे। बोले साहब, आप लोगों को आरक्षण की क्या जरूरत है? मैंने कहा, भाई, हमारे सारे के सारे जजमान ही पिछड़े हो गये तो फिर हम अगड़े कहां से हो गये? जो हमको दक्षिणा देने वाले, रुपये-पैसे देने वाले हैं, वह तो सब पिछड़े हैं तो हम अगड़े में कहां से आएंगे। अगड़े हो भी सकते हैं तो फिर तगड़े नहीं है। (व्यवधान) तो जब तगड़े नहीं है तो हम सब लोग साथ चल सके या नया दलित वर्ग ही हमको पैदा करना हो कि हिन्दुस्तान में एक नया दलित वर्ग ही पैदा करना है और यह ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य बहुत दिन तक अगड़े रहे, इनको अब नये दलित वर्ग में लाना है तो बात दूसरी है। इसलिए हमको इस बात का विचार करना चाहिए कि सवर्णों को, सवर्ण का मतलब सब वर्ण है और दूसरी एक बार-बार मांग उठाते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? संविधान के प्रिएम्बल में लिखा है, जस्टिस पोलिटिकली, सोशली एण्ड इकोनोमिकली। सामाजिक न्याय मिला जब हमने आरक्षण दिया। पोलिटिकल न्याय मिला जब हमने लोक सभा और विधान सभा में आरक्षण किया लेकिन आर्थिक न्याय तो आज समय की मांग है। आर्थिक न्याय समय की मांग है और आर्थिक आधार पर आरक्षण होता है, हुआ है। सारा जो बीपीएल है, बिलो पोवर्टी लाइन है, उनका आधार तो आर्थिक ही है न। उनका आधार तो जातीय नहीं है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल चुका है, जातीय आधार पर आरक्षण मिल चुका है। केवल एक जाति है, जिसको आरक्षण नहीं मिला।

कर्नाटक का एक कानून मेरे पास है। उसमें लिखा है, मैं समझता हूं, आप देखेंगे तो आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा। कर्नाटक के कानून में लिखा है 6 जुलाई, 1959 को, कि मैसूर राज्य, अब कर्नाटक राज्य में एक सरकारी आदेश जारी किया कि ब्राह्मण समाज को छोड़कर मैसूर राज्य के सारे समाज, भारतीय संविधान के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में आते हैं। इनके लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में 75 परसेंट आरक्षण किया जाता है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हिन्दुस्तान में केवल ब्राहमण बचे हुए हैं। राजपूत भी कई जगह ओबीसी में है। गुलाबजी, आप भी हैं। यह सुशील मोदी जी हैं ना, अग्रवाल हैं। ये अग्रवाल हैं और फतेहपुर के ही हैं तो कालीचरण सराफ तो वैश्य हैं, अगड़ों में है और सुशीलजी मोदी पिछड़ों में हैं क्योंकि वह बिहार में है क्योंकि बिहार में वैश्य की परिभाषा क्या हो गई। "कृषि, गौकर्म, वाणिज्यम्, वैश्य कर्मम सुभावजम्" कृषि, गाय का, पशुओं का काम करने वाले और व्यापार करने वाले, ये वैश्य में है तो यादव भी वैश्य है। वह भी वैश्य में चले गये। जाट भी वैश्य हैं। नारायणसिंहजी बनिये हो गये। ये वैश्य में चले गये। इनको आरक्षण हो गया। भाई, जब सारे हो गये तो फिर हमने कहा कि एक बचे हुए हैं ब्राहमण्। राजपूत के लिए तो मैंने कहा कि जब हमने संविधान सभा में आप सबका किया। हमारा काम है...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमारे दोनों राठौड़ों की व्याख्या भी कर दो आप। दो राठौड़ बैठे हैं न। एक मदन राठौड़, एक राजेन्द्र राठौड़, इसकी भी व्याख्या कर दो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह भी ठीक है। एक राठौड़ आरक्षित है, एक राठौड़ उपेक्षित है। (व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): घनश्यामजी, राठौड़ राठौड़ सब कह रहे हैं, पर हमारे मदनजी राठौड़ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि कहीं मेरा भी कोई आ जाए।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं उपेक्षित हूं, यह कहा है उन्होंने। वह आरक्षित हैं।

**श्री सभापति:** यह निर्णय आपको नहीं करना है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): नहीं, यह मदनजी राठौड़ का तो बहुत ऊँचा स्थान है देश की राजनीति में? संबंध है। तो मैं जो निवेदन कर रहा था माननीय सभापति महोदय, हम इन बातों के आधार पर एक मन बनायें कि हमको इस समस्या का समाधान करना है। इसमें राजनैतिक लाभ किसी को होने वाला है नहीं। किसी जाति को आरक्षण मिल गया तो उस जाति के सारे वोट उस पार्टी को नहीं मिले और जातीय आधार पर समरसता भी नहीं है इसलिए मैं मांग यह करता हूं आज के दिन, कि यह कानून पुन:

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

न्यायालय की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। इससे हमारी प्रतिष्ठा गिरी है और कल का जो निर्णय है राजस्थान उच्च न्यायालय का, उसके बाद में हम इस कानून को अगर पास करते हैं तो हमारी हठधर्मिता ही कहलाएगी क्योंकि इसका लाभ नहीं होगा। आप फिर बुला लें और जनमत जानने के लिए नहीं भेजें तो जो आदरणीय गृह मंत्रीजी ने रास्ता निकाला प्रवर समिति में भेजने का, वह रास्ता भी आप निकाल सकते हैं। उन्होंने तो हड़बड़ाहट में निकाला। आप सोच-समझकर निकाल सकते हैं इसलिए उसका रास्ता अपन को निकालना चाहिए और उस रास्ते को निकालकर हमको इसका समाधान करना चाहिए और इसलिए हम चाहते हैं कि हम समाधान केवल एक वर्ग का नहीं करें और कानून 68 परसेंट का इसीलिए बनाया था कि आप देखो सभापति महोदय, आप तो बहुत विद्वान हैं। आप बतायें कि शिड्यूल्ड कास्ट को अधिसूचना के आधार पर, शिड्यूल्ड ट्राइब को अधिसूचना के आधार पर, पिछड़ा वर्ग को भी अधिसूचना के आधार पर आरक्षण था, उसका कोई कानून नहीं। अब कानून बनाकर आपने ज्योंही पिछड़ा वर्ग में इसको जोड़ा तो मैं एक भय आपको बता देता हूं। जैसे एक परसेंट आरक्षण पाँच परसेंट के साथ जुड़ा और गुर्जरों का एक परसेंट आरक्षण भी रुक गया तो कहीं राजस्थान के इस कानून के बाद में 81 की 81 जातियों का आरक्षण न रुक जाये, मैं आपको यह चेतावनी देना चाहता हूं। यह खतरा पैदा हो सकता है और इस खतरे के बाद में राजस्थान भर में इसके आंदोलन शुरू हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करें, हम इसमें सरकार के साथ हैं। इसमें हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। सरकार के पूर्ण साथ हैं। सरकार के तो मैं वैसे भी साथ हूं। लड़ाई तो कोई व्यक्तिगत, दो-चार मामलों में है हमारी, वह चलती रहेगी। उसमें आप लोगों को लाभ ही हो रहा है। अरुणजी को भी लाभ हो रहा है, राजेन्द्रजी को भी लाभ हो रहा है। मेरी लड़ाई में तो आपको लाभ है तो वह लाभ तो आप लेते रहो लेकिन यह इस लड़ाई में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। यह जो लड़ाई है, हम सम्पूर्ण समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं और इस लड़ाई का न्यायिक हल निकालना चाहते हैं। यह कानून की लड़ाई नहीं है, न्याय की लड़ाई है और "न्यायात फतह, प्रवीचलन्ति पदम न धीरा:" न्याय के पथ से धीर, वीर और गम्भीर आदमी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कभी विचलित नहीं होते हैं। इसलिए यह न्याय की लड़ाई है और इसके लिए अगर संविधान संशोधन करना है, इसके लिए अगर नवीं अनुसूची में संशोधन करना है तो बहुत विषय इस आरक्षण में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि हम समाज को बांटने वाले कानून के लिए नहीं, समाज को जोड़ने वाले कानून बनाने के लिए काम करें। आपने सभापति महोदय, समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, श्री प्रताप सिंहजी। माननीय सदस्य, श्री केसारामजी चौधरी। माननीय सदस्य, श्री शंकरसिंहजी राजपुरोहित।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों एवं राज्य की अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 पर काफी कुछ चर्चा हो गयी है और मैं एक-दो विषय कहना चाहता हूं। जैसा अभी पूर्व में माननीय सदस्य ने कहा कि संविधान में संशोधन समय-समय पर हुआ है और जब कभी भी आवश्यकता पड़े संविधान में संशोधन लाना अगर उस प्रदेश की परिस्थिति ऐसी है तो चाहे वो कितने ही परसेंटेज में जाए, यह लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि प्रदेश की स्थिति पर हम कहीं न कहीं कुछ चेंज कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज इतना हम विचार कर रहे हैं जब शुरू में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया उस समय और उसके बाद भी हमारी जो वैचारिक संपन्नता है कि उस अंतिम से अंतिम व्यक्ति को हमारे बराबर के दर्जे में लाना, इसलिए सारी ये आरक्षण की व्यवस्थाएं चलती हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी जो तबका दबा हुआ है उसको बराबरी में लायें चाहे वो एससी,एसटी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी के नाम से हो, चाहे विशेष पिछड़ा वर्ग हो और इसके बाद अगर बचा हुआ है तो वास्तव में उस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आर्थिक आधार से भी पिछड़ा जो वर्ग है उसकी भी कहीं न कहीं चिन्ता इस सदन में आज नहीं तो कल होनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है और इन्हीं बातों के साथ माननीय सभापति महोदय, मैंने जो जनमत जानने के लिए दिया है मैं इस बिल के पक्ष में हूं, निश्चित रूप

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

से बड़े आदर और भाव के साथ, जिस प्रकार से ये प्रतिपक्ष के लोग, मतलब या तो ये नहीं चाहते हैं आरक्षण देना। अब गुर्जर के साथ मेरे पश्चिमी राजस्थान के देवासी भी हैं, रेबारी भी हैं जो वास्तव में, मतलब बच्चों को घर पर छोड़ कर खाली भेड़-बकरियां चराने चले जाते हैं उनका शैक्षणिक स्तर आज दिन तक नहीं बढ़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को 2003 से 2008 तक हमारी सरकार में चाहे वो देवनारायण योजना के माध्यम से आवासीय विद्यालय हो, चाहे वो देवासी समाज के हरियाली आवासीय विद्यालय हो, उन्होंने इस शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए ऐसे-ऐसे समाज विशेष के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किये, मतलब कहीं न कहीं शिक्षा के माध्यम से अगर उनकी प्रगति होगी तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में कंपीटिशन में फिट होंगे और यह किया है, आगे भी हम करते रहेंगे। मैं इस बिल के पक्ष में रहते हुए माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)... किया है जो बता रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं एक भी विद्यालय, इन उपेक्षित वर्गों के लिए आप लोगों ने किया क्या? हमने किया है 2003 से 2008 में जितने भी उपेक्षित वर्ग हैं उनके लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की है। ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, आपने विषय छेड़ ही दिया है ...(व्यवधान)... एक मिनट। कांग्रेस ने आज दिन तक जातियों से जातियों को लड़ाने का काम किया है यह आपने आज दिन तक किया है, चाहे वो हिन्दू हो या मुस्लिम हो, चाहे वो एससी/एसटी में हो या सवर्ण जातियों में हो, आपने झगड़ा बढ़ाने का काम किया है, यह कांग्रेस ने किया है और मैं आज आपको कहूं माननीय सभापति महोदय, हम हर वर्ग को अपने बराबरी में लाकर और अन्त्योदय योजना के माध्यम से दीनदयालजी का आज एक सपना था। एकात्म मानववाद क्या है कि हर वर्ग को बराबरी का दर्जा दिया जाए। आपकी सोच नहीं है आपकी सोच सिर्फ राज करना है। कहीं कश्मीर का समझौता करते हो, कहीं अपने मोह प्रेम के अन्दर प्रेम की गंगा, वो कश्मीर के अन्दर समझौता नहीं किया आप लोगों ने? ऐसे-ऐसे समझौते देश के लिए करते हो और क्या किया फिर आप हमको पूछते हो। हमारे लिए तो देश चिन्तन सबसे बड़ा है और हर जाति, हर तबके को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। यह हम कह रहे हैं। माननीय सभापति

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में और जो जनमत जानने के लिए दिया है वह आपकी इजाजत से वापस लेता हूं।

**श्री सभापति:** धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री मान सिंह जी।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 पर चर्चा चल रही है। मैं इस सदन से और इस सदन में विराजमान सभी सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक ऐसा गंभीर विषय है, जिस प्रकार से हमेशा इन जातियों को उपेक्षित करने का काम हुआ और हमेशा उनके हकों को दबाने का काम हुआ, हम यहां बड़े-बड़े भाषण देकर के, सुझाव देकर के यह कह कर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अगर यह करोगे तो यह हो जाएगा, यह करोगे तो कोर्ट में हो जाएगा। कोर्ट ने कई बार स्ट्रक डाउन कर दिया। कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन राजस्थान प्रदेश की जनता और ये पिछड़े लोग नीयत को देख रहे हैं। राजस्थान में पचपन साल तक कांग्रेस ने राज किया। देश में विभिन्न सरकारों ने, विभिन्न पार्टियों ने अपने-अपने हिसाब से दबे-कुचले लोगों को आरक्षण देने का काम किया। पचास परसेंट से ऊपर देने का काम किया। वो लागू है उसका लाभ भी उनको मिल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अन्दर पचपन साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने, जिन अति पिछड़ों के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है उनके बारे में कभी एक बार भी नहीं सोचा कि उनके हक के लिए कोई काम कर लिया जाए।

सभापति महोदय, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब गुर्जरों ने देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा और मजबूती से अपनी भागीदारी निभायी तो उन अंग्रेजों ने भी उनको जरायम पेशा कौम घोषित करने का काम किया। आजादी के बाद में उसको ट्राइबल क्रिमिनल का नाम दिया। ....(व्यवधान)... माफ करना आप इसको मजाक में ले रहे हो। आपने जो कुकर्म किये हैं उनको मेहरबानी करके सुन लो। सुन लो, बहुत बौखलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अन्दर दम है, ईमानदारी की राजनीति करना चाहते हो इस

(श्री मान सिंह)

सदन में, इस सदन में प्रवेश करके भी अगर समाज के साथ में गुमराह करने का, उस जाति का मखौल उड़ाना चाहते हो तो उड़ाओ, लेकिन जिस प्रकार से सभापति महोदय, अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग सरकारों ने अपने स्तर पर प्रयास किये और यह गुर्जरों की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। 25 मई, 1976 में पहली बार राजस्थान में गुर्जरों का सम्मेलन धौलपुर में हुआ। देश के तत्कालीन गृह मंत्री ब्रहमानन्द रेड्डी उसमें आये और तत्कालीन मुख्य मंत्री हरिदेवजी जोशी और शिवचरणजी माथुर से यह कहा कि इनकी मांग वाजिब है, इस पर आप सकारात्मक रिपोर्ट भेजो। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा 17.10.1981 को तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर गुर्जरों के खिलाफ रिपोर्ट भेजते हैं कि अगर इनको आरक्षण दिया गया तो विवाद हो जायेगा, कौमें आपस में लड़ जायेंगी, इसलिए हम यह सिफारिश नहीं करते हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं किस मुंह से यह बात करना चाहते हैं। शुरू से दबाने का काम किया और जिस प्रकार से उसके हक को अलग-अलग समय पर अलग अलग सरकारों ने चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो जो आज के समय में उत्तराखण्ड है, वहां पर गुर्जर को एसटी का दर्जा मिलता है और हमारे यहां के पूर्व मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने तत्कालीन ज्वाइंट सैक्रेटरी को जो सिफारिश भेजी, उसके बाद में 1999 में भारत सरकार ने माननीय अशोकजी गहलोत को रिपोर्ट का हवाला देते हुए पत्र लिखा और उस पत्र पर तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के सैक्रेटरी अशोक जैन ने तीन-तीन बार अशोकजी गहलोत के सामने फाइल को रखा, लेकिन तीन बार फाइल रखने के बावजूद भी सीएम केवल एक ही टिप्पणी करते हैं। एक बार तो कहते हैं कि कलेक्टर से रिपोर्ट मंगा लो, 12.02.2003 को और उसके बाद जब उनकी सरकार चली जाती है तो गुर्जरों को इस प्रकार की बयानबाजी देकर और गुर्जरों पर सारा परीक्षण हो जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के इतिहास में जिस प्रकार का आंदोलन हुआ है अगर उस आंदोलन का सम्मान करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके इसके पीछे जाने का काम करें। मेरे विपक्ष के लोगों, आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप किस मुंह से इस आरक्षण का विरोध कर रहे हो। आपके नेता पाँच

(श्री मान सिंह)

मिनट जेल में नहीं रह सकते, जमानत कराकर बाहर आ जाते हैं। आप इस विधेयक का विरोध करते हो और राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो। राजस्थान का गुर्जर और अति पिछडा वर्ग बावला नहीं है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, चाहे 2008 में, चाहे 2015 और आज 2017 में जो उन्होंने कहा कि हम देना चाहते हैं, अपनी मंशा के अनुरूप विधेयक लाने का काम किया। मैं अपील करना चाहता हूं इस सदन से, राजस्थान की न्यायपालिका से, प्रेस से, हम सब लोगों का बहुत परीक्षण हो चुका, एक मन्तव्य राजस्थान से जाना चाहिये कि राजस्थान के गुर्जरों सहित, अति पिछडों को आरक्षण मिले। इसमें हमको किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिये। अगर एक मत रहेंगे तो जैसे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्रदेश हमसे न्याय की अपेक्षा करता है। अगर हम न्याय करेंगे तो कानून की रखवाली न्यायपालिका भी इस बात पर विचार करेगी कि पूरे प्रदेश की जनता न्यायसंगत पांच प्रतिशत आरक्षण चाहती है। आपको तकलीफ क्या है जो इस पांच प्रतिशत के आरक्षण का विरोध करते हो? आपने पिछली बार विरोध किया, आज आप फिर तख्तियां लगाने का काम करते हो। क्या राजस्थान को जलाने का काम करना चाहते हो? क्या केवल गुर्जर मरने के लिये है? क्या गुर्जर को पटरी पर लाना चाहते हो? क्या गुर्जर को लड़ाकर मरवाना चाहते हो?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार जब विधेयक आया, उस विधेयक का एक रिजल्ट आया। पिछले 65 साल में गुर्जर समाज का सैकण्ड ग्रेड का स्कूल व्याख्याता केवल 85 था, आज वह 851 हुआ वह इस ओबीसी के आरक्षण के कारण, माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन के कारण। 4200 बच्चे नौकरी लगे, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा के अनुरूप लगे। 5700 बच्चों को आज छात्रवृत्ति मिल रही है। विभिन्न योजनाओं का लाभ बालिकाओं को मिल रहा है। इनके पेट में दर्द है, मैं नहीं समझता किस बात का दर्द हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। यह सच्चाई इसलिए नहीं सुनना चाहते कि इन्होंने हमेशा उनकी मांग को दबाने का काम किया, उनके हक को छीनने का काम किया। ...(व्यवधान)... आप बैठिए, या

(श्री मान सिंह)

तो वहां जाकर बैठिए, गिरहबान में झांकिये, आप बैठिए। गुर्जर की हकदारी आपको नहीं है, गुर्जर की हकदारी हम करेंगे, आपको कोई अधिकार नहीं है, बैठिए आप। आप बोलना चाहते हैं तो वहां से बोलिए। अपने कारनामे छुपाने के लिये सदन का समय जाया मत कीजिए। राजस्थान प्रदेश की जनता आपको देख रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन लोगों को बैठने के लिये कहें। यह अपनी जगह पर जाकर या तो बहस में भाग लें या चुप रहकर इस बात को सुनने का काम करे कि राजस्थान के जो 40 लाख लोग हैं, उनके हक की बात हो रही है। ...(व्यवधान)... आप बोलना चाहते हो क्या? आप वहां जाकर बोलो, मैं सुनूंगा आपको ...(व्यवधान)... हिम्मत है तो बोलो, हम सुनेंगे आपको।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाली राष्ट्र भक्त कौम जिसने हमेशा इस देश के लिये और इस समाज के लिये बलिदान देने का काम किया है, मैं आपके माध्यम से न्यायपालिका से भी अपील करूंगा और जिस प्रकार की राजनीति विपक्ष के लोग कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आज गुर्जर के हक के लिये, अति पिछड़ों के हक के लिये यह सदन सर्वसम्मति से इस बात को कहे कि यह न्याय अब होना चाहिये, बहुत देरी हो चुकी है। आखिर कब तक हम इस पर परीक्षण करेंगे? सरकार की मंशा जब देने की है, अगर एक बार किसी चीज में चूक हुई है, पिछली बार जब समग्र विधेयक 2008 में आया तो कांग्रेस के लोग कहते नहीं थके कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक कर दिया। अगर अलग-अलग होता तो इस पर स्टे नहीं आता। माननीय अशोकजी गहलोत बार-बार इस बात का बयान देते कि अगर दो होते तो इस पर स्टे नहीं आता। दो होने के बावजूद भी, जब-जब माननीय न्यायालय ने चाहे quantified data का मामला हो, चाहे ओबीसी कमीशन से परीक्षण का हो, चाहे अलग से रिटायर्ड जज सुनीलजी गर्ग के नेतृत्व में इसका परीक्षण करवाने का काम हो, राजस्थान की सरकार ने किया है। उस परीक्षण, न्याय व्यवस्था के बाद में, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से भी अनुरोध करना चाहूंगा, आज हमारी कसौटी इस बात की है कि राजस्थान की जनता इस बात पर विश्वास करती है कि भारतीय जनता पार्टी

(श्री मान सिंह)

जो कहती है, वह करती है। जो आज हम करने जा रहे हैं उस पर पूरे प्रदेश और न्यायालय की मोहर लगे क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से हकों को मारने का काम आज तक हुआ है, अति पिछड़ों को जिस प्रकार से न्याय से वंचित रखा गया है, आज वह समय है कि इस महा पंचायत के माध्यम से उनको हक देने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, विभिन्न आयोगों ने, विभिन्न कमेटियों ने अलग-अलग तरीके से व्याख्या करके, जिसके बारे में मेरे से पूर्व सदस्यों ने भी कहा है चाहे लोकुर कमेटी हो, चाहे अयंगर कमीशन हो, चाहे उस्मानी कमेटी हो, चाहे चौपड़ा कमेटी हो, सबने यह कहा है कि विकास के 6 दशक से अधिक समय के बावजूद राज्य में गुर्जर समुदाय की बस्तियां आज भी गरीबी, दरिद्रता और दीनता के टापू बनी हुई हैं। यह उपेक्षा निश्चित रूप से अस्वीकार्य है और इसके तुरंत समाधान की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में जहां विभिन्न न्याय कमेटियां, विभिन्न आयोग और हमारा ओबीसी कमीशन और रिटायर्ड जज की कमेटी के परीक्षण के बाद में, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अपील करना चाहूंगा कि यह विधेयक, जिसके माध्यम से दो तरीके से उनको सुविधाओं का लाभ देने के लिए माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सीटों के आरक्षण और शैक्षिक आरक्षण के साथ-साथ अति पिछड़े वर्ग के लोगों की सुविधाओं के लिए भी सरकार काम करेगी। जैसे सरकार ने प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए विकास के लिए देने का काम किया है। सभापति महोदय, आने वाले बजट के अंदर देव नारायण योजना में इस समाज के विकास के लिए मैं अपील करना चाहूंगा कि अति पिछड़े लोग जहां रहते हैं। 34 क्षेत्र जहां पर हैं, विशेष रूप से वहां पर आवासीय विद्यालय हो, चाहे बालिका विद्यालय हो, छात्रावास हो, उनकी सुविधाओं के लिए अलग से व्यवस्था करने का काम करेंगे, पैकेज देने का काम करेंगे, यह मांग मैं आपके माध्यम से सदन में करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैंने जनमत जानने के लिए जो अभिव्यक्ति दी थी, उसे वापस लेकर सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो कदम उठाया है, वह निश्चित रूप से अति पिछड़ों के कल्याण के लिए लाभकारी होगा। जय हिन्द। जय भारत।

**(15.31 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री उपाध्यक्षः** श्री रमेश। श्री शंकर सिंह।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017, पर चर्चा के दौरान आरक्षण के मामले में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ सदन को अवगत कराया है। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार आज जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वह उन्हीं व्यक्तियों को मिल रहा है, जिस समाज से वे जुड़े हुए हैं, उस समाज के आरक्षण के लाभ से वे आई.ए.एस. बने हैं। उनके बेटों को भी उसी समाज के आरक्षण के नाते आर.ए.एस. और आई.ए.एस. में लाभ मिल रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण का जो लाभ दिया गया है, वह गरीब तबके के उत्थान के लिए और जो समाज पिछड़ा हुआ था, उसको आगे लाने के लिए, यह सरकार की मंशा थी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने कभी भी किसी प्रकार से पिछड़ों को आगे लाने के लिए कोई कार्य नहीं किया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो पिछड़ा तबका है, आरक्षण का लाभ उसको मिलना चाहिए चाहे वह किसी भी समाज का हो। जो पत्थर पीसने की फैक्ट्रियां हैं, उनके अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं, वे किस तबके के हैं, उसका सर्वे करायें, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। असली हकदार तो वे ही हैं। साथ में, जो मजदूर कम-पढ़े लिखे हैं और उनका किसी भी सरकारी नौकरी में नंबर नहीं आता है और पत्थर पीसने की फैक्ट्री में वही मजदूर काम करेगा जिसे कहीं भी प्राइवेट नौकरी नहीं मिल पा रही हो और कोई अन्य धंधा नहीं मिल पा रहा हो। वह मौत को गले लगाता है और उसे आधी उम्र के अंदर ही ऊपर जाना पड़ता है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उनका भी सर्वे करावकर इस आरक्षण के लाभ में उन्हें लेना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आज पत्थर पीसने की फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम कर रहे हैं, क्या उनको आरक्षण मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पूरे प्रदेश में सर्वे कराएं। उन्हें भी कहीं न कहीं लाभ

(श्री शंकर सिंह)

मिलना चाहिए। तब इस सदन के माध्यम से कहीं न कहीं न्याय की दृष्टि में हमारा भी नाम होगा। वे किस समाज के हैं, मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं। सर्वे के अंदर सब कुछ आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार जो यह बिल लाई है, मैं उसके पक्ष में हूं। मेरा सिर्फ सुझाव है कि इसमें जरूर कहीं सुधार अपन को करना चाहिए। मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव किया है, मैं आपके माध्यम से उसको वापस लेता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री पूरणमल सैनी।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम इस सूची में नहीं है, पर आप पांच मिनट के लिए समय दें तो।

**श्री उपाध्यक्ष:** आप विराज जाएं। आप विराजें तो सही। यह जो इस बिल की स्टेज है, उसमें जिन्होंने लिखित अमेंडमेंट के लिए दिया है, वे ही बोल सकते हैं। जब थर्ड स्टेज आएगी तो आसन पूरे सदन से पूछेगा कि कौन-कौन बोलना चाहते हैं? उस वक्त आप बोलिएगा। आपको सादर बोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस राजस्थान की विधान सभा में एक अहम बिल राजस्थान पिछड़ा विधेयक, 2017 पर सुबह से चर्चा हो रही है। इसमें मैं अपनी बात रखूं, उससे पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा और कहने से भी पहले मैं अपनी पार्टी की ओर से संविधान एवं राष्ट्र के निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 29 नवम्बर, 1949 का दिन हमारे देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उस दिन हमारी संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार किया था और डॉ. भीमराव अम्बेडकरजी ने उसी मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की आत्मा माने जाने वाले प्रांगण में Sovereign Democratic Republic रूप में राष्ट्र के स्वरूप की घोषणा और बाद में 42वें संशोधन के माध्यम से सोशलिटी और सेक्यूलर शब्द भी जोड़े गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लिबर्टी, इक्विलिटी और

(श्री पूरणमल सैनी)

पैटरनिटी के मूल्यों के साथ भारत के संघीय ढाँचे को स्वीकार किया गया था और इन तमाम बातों के बीच में बाबा साहब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ ही साथ इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को कायम रखने के लिए एक बहुत बड़ा सपना इस देश के समक्ष संविधान के रूप में रखा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं इस बात पर जाना चाहूंगा कि इस देश में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी थी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह देश चार हजार वर्ष से लगातार गुलाम रहता रहा और गुलामी के अंतिम पड़ाव में जब इस देश में ब्रिटिशों का शासनकाल चल रहा था, उस समय से पहले इस देश को वर्गों में बांटा गया। वर्गों के बाद इस देश को जातियों में बांटा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में हर कोई आता है। मैं यह बात कहूं, इससे पहले यह बताना चाहूंगा कि यह देश पूर्ण रूप से साक्षर है और साक्षरता के साथ विद्वान की तरह पढ़ा-लिखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर कोई विद्वान होते हुए आज आरक्षण की इस बात को लेकर निरक्षर की तरह बात करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात में सोचने की विषय-वस्तु यह है कि इस देश को जब वर्गों और जातियों में बांटा और जातियों में बांटने के बाद जो चौथे वर्ग की जातियां, जिनको शूद्र वर्ग कहा जाता है। उसमें जो समस्त जातियां आती थीं, उनके द्वारा इतना दबाया गया, इतना कुचला गया कि इस वर्ग में आने वाली समस्त जातियों के लोग शेष वर्गों के बराबर बैठने और बात करने की स्थिति में नहीं थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के और इस राष्ट्र के निर्माताओं ने इस बात को महसूस किया और महसूस करने के बाद उन्होंने इस देश के संविधान में एक प्रोविजन किया। इससे पहले ही ब्रिटिश शासनकाल में इस बात को देख लिया गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में तीन गोलमेज सम्मेलन इसी बात के लिए बुलाए गए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में इस देश में हुआ तो उस 1932 के गोलमेज सम्मेलन में इस देश की साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जातियों की सर्वे रिपोर्ट को मानते हुए शिड्यूल में आने वाली, एस सी में आने वाली 16 परसेंट जातियों के आरक्षण का प्रोविजन इस देश की आजादी से पहले फरमा दिया गया था।

(श्री पूरणमल सैनी)

यहीं नहीं, इस देश की एस टी में आने वाली 12 प्रतिशत जातियों का प्रोविजन भी 1932 के गोलमेज सम्मेलन में ही फरमा दिया गया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां इस बात को निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे यहां कांग्रेस कोई बात करे, कांग्रेस के माननीय सदस्य कुछ भी कहें, कांग्रेस के माननीय सदस्य हर बार, जब सत्ता में रहे, चाहे केन्द्र की सत्ता में रहे, चाहे राज्य की सत्ता में रहे, उन्होंने अगर इस बात को कहीं आगे बढ़ाने का काम किया होता तो मेरा निवेदन है कि 1932 की शिड्यूल की सूचियां बन जाने के बाद और 1935 में बाबा साहब डा. बी. आर. अम्बेडकर ने, जिस आरक्षण के बिल को आज सरकार लेकर आई है, इसका नाम देने का काम अगर किसी ने किया तो वह भारत देश के संविधान रचयिता डा. बी. आर. अम्बेडकर साहब ने किया। अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम जब उन्होंने दिया ...(व्यवधान)... मैं माफी चाहते हुए निवेदन करूंगा आप डिस्टर्ब नहीं करें सर, सॉरी। मेरा निवेदन है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम उन्होंने दिया उसके बाद...., मैं आ रहा हूं जो आप जानना चाह रहे हो 1949 में ...(व्यवधान)... हां, हां आप ही के साथ हूं डोंट वरी। 1949 में, जब इस देश को संविधान के गणराज्य के रूप में गिन लिया गया उसके बाद ये चीजें जब आगे चली गईं। 1949 में काका कालेलकर के नेतृत्व में इस देश में एक आयोग का गठन किया गया। काका कालेलकर ने सर्वे करके पूरे देश में, पुन: उस बात को संरक्षण दिया जो 1935 में तय की गई  थी कि वास्तव में शूद्र वर्ग की वह जातियां, एस.सी, एस.टी. शिड्यूल की सूचियों में जिनको नहीं डाला गया, वह वास्तव में आरक्षण के लिए हकदार हैं। वह रिपोर्ट लागू हो जाने के बाद भी, अभी मेरे  पूर्व वक्ता के रूप में मानसिंहजी कह रहे थे, मैं उनकी बात की बड़ाई नहीं कर रहा, वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार के नुमाइंदे के रूप में काम कर रहे थे ...(व्यवधान)... वह अपने समाज को प्रोटोकॉल  नहीं कर रहे थे। ...(व्यवधान)... वह अपने समाज को प्रोटोकॉल नहीं कर रहे थे। अपने समाज को प्रोटोकॉल नहीं करना चाहते थे।...(व्यवधान)...

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यहां यह निवेदन है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाली जातियों को आरक्षण

(श्री पूरणमल सैनी)

का प्रोविजन फरमाना चाहती है ...(व्यवधान)... इस बात का, जब पहले से भी दो बार इसी सदन में अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाली इन जातियों को आरक्षण देने का बिल आ चुका, चाहे सरकार कांग्रेस की रही या बीजेपी की रही। जब इस बात का पता है कि एक परसेंट आरक्षण जिस भी किसी सरकार ने दिया उसको अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों में पैदा होने के नाते हम धन्यवाद देते और बधाई देते। लेकिन आग्रह करते हैं कि जब इस देश के संविधान में बार-बार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिल को लाकर, क्या बताना चाहती है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के उन भाइयों को यह सरकार क्या बताना चाहती है कि हम आरक्षण देना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जाके पाँव कभी न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई ...(व्यवधान)...

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार को ही नहीं, पूरे आम अवाम को राजस्थान में पता है कि इस देश के संविधान में 50 परसेंट से ऊपर आरक्षण का प्रोविजन नहीं है। मेरी मांग है कि राजस्थान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर इन पाँच-छह जातियां जिसमें गुर्जर, गड़रिया, गाड़िया लोहार जो भी इसमें जातियां शामिल की है, उन समस्त को अगर आरक्षण देना चाहती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप कभी बात करते हो इनको नवीं अनुसूची में डलवा दिया जाए, कभी बात करते हैं बिल और एक्ट की, बिल भी पूर्ण रूप से नहीं, एक्ट के रूप में आ जाते हैं। हर बार छल कर, शूद्र वर्ग में पैदा हुई चाहे वह एस.सी. जातियां, एस.टी जातियां, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां रहीं, उनके वोट को लूटने का काम मात्र आपकी सरकारों ने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में बिल में प्रोविजन की गई समस्त जातियों को एक्ट के अनुसार लाए गए इस बिल में अगर आरक्षण राजस्थान की सरकार देना चाहती है तो मेरी मांग है कि आज की तारीख में जब 50 परसेंट से ऊपर आरक्षण का प्रोविजन इस देश के संविधान में नहीं है तो मैं मांग करता हूं, अगर ईमानदारी पूर्वक उन जरूरतमंद जातियों को, उसके साथ ही यह भी रखना चाहता हूं कि जब में 2006 में यह सरकार कोई बिल लेकर आई और 2008 में दुबारा उस पर पुनर्विचार के लिए रखा

(श्री पूरणमल सैनी)

गया, जब 2008 में हम विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की एक ग्राम पंचायत को देखते थे, जब गुर्जर समाज के भाइयों के आरक्षण की बात के लिए सर्वे करवाया गया, ऐसे स्थानों पर उनको लेकर गए, वास्तव में आज की तारीख में अपनी बात रखने का हक इस तरीके से नहीं है, वह वीरान जंगलों में अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। गड़रिये के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब इनको जरूरतमंद, सरकारों ने, सारी ने समझ लिया। बीजेपी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है  तो फिर मेरी मांग है, उस समय भी था जब कांग्रेस इस सदन में सत्ता में थी, उस समय भी इस देश की पार्लियामेंट कांग्रेस के हाथ में थी। आज भारतीय जनता पार्टी यहां  इस सदन में है और बिल लेकर आ रही है।

वास्तव में ईमानदारी के साथ गुर्जर समाज के साथ इन चार जातियों को और आरक्षण देना यह सरकार चाहती है तो मेरा निवेदन है कि पहले इस संविधान के, उसमें प्रोविजन करवाकर लाया जाए। आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत फिक्स की गई है उसको ऊपर बढ़ाकर, फिर इसको 6 परसेंट क्यों? मैं तो मांग करना चाहूंगा इन अकेले के ही नहीं, जब एस.सी. और एस.टी. को उनकी संख्या बल के आधार पर 16 और 12 प्रतिशत का आरक्षण किया जा रहा है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसी प्रकार एस.सी. एस.टी. की तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग में भी कितनी प्रतिशत जातियां, उनकी संख्या क्या है, उनके अनुपात में, आनुपातिक आधार पर समस्त जातियों को उनका हक मिले, इसके लिए प्रोविजन इस देश के संविधान में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। तब हम कहीं समझें कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को आरक्षण देना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने यह भी कहा, मैं यहां निवेदन करते हुए नहीं चुकूंगा कि आरक्षण कोई  भीख की व्यवस्था नहीं है। आरक्षण कोई खैरात में बांटी जाने वाली वस्तु नहीं है। मैंने जरूरत बताई कि इस देश में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी थी। हर कोई वोट के लिए लीपापोती कर देगा लेकिन हम इस बात के लिए तैयार हैं कि कल की तारीख में कोई एक भी वोट नहीं करें। मैं यह निवदेन करना चाहता हूं, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने उन

(श्री पूरणमल सैनी)

सदनों में भी कहा और मैं भी उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाह रहा हूं चाहे वह सवर्ण हो, जिनको भी किसी को जरूरत हो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उस समय जब देश के संविधान का प्रोविजन किया गया था उस समय हो सकता है, पूर्व वक्ता के रूप में घनश्यामजी तिवाड़ी ने जो बात कही कि अगर आज उनकी जरूरत है तो यह सरकार उस पर भी विचार करे। मैं तो कह रहा हूं, उनको भी दिया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आए दिन इस तरीके के बिल लाकर, जब चुनाव का समय आता है तो चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही होगी, वह इन जातियों के वोट को लूटने का काम करती है। मेरे जनमत जानने के लिए जो मैंने निवेदन किया है, उससे पहले मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तव में इन जरूरतमंदों को, ईमानदारीपूर्वक बयान करते हैं जरूरत है हमारे भाइयों को।

अभी डोटासराजी कह रहे थे कि आप तो गुर्जरों के सामने लड़ते हो, वह अलग तरह की लड़ाई है। मेरी जगह वह इस सदन में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। जनता चाहेगी तो हम आ जाएंगे, यह कोई बात नहीं है। मैं ईमानदारीपूर्वक निवेदन करता हूं, उस क्षेत्र में रहता हूं, बहुमत में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गुर्जर समाज के लोग निवास करते हैं, वास्तव में वह जरूरतमंद लोग हैं, उनको आरक्षण की महती आवश्यकता है। मेरी मांग है कि इनके वोट को लूटने का काम पार्टी और सरकारें नहीं करें। मेरी मांग है कि वास्तव में ईमानदारीपूर्वक अगर इन जातियों को आरक्षण देना चाहते हैं तो इस देश के संविधान में 50 परसेंट के ऊपर का प्रोविजन करवाया जाए। आज प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं मांगना चाह रहा हूं और मांग करना चाह रहा हूं।

इसके साथ ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस देश में व्यवस्था और संविधान में प्रोविजन के बाद भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इधर-उधर की बातें बताकर अपना प्लेटफार्म तैयार किया, प्रस्तावना तैयार की। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, जो पूर्व सत्र के दौरान इस सदन में भी लेकर आया गया ...(व्यवधान)... वह भी आरक्षण का हिस्सा एस. सी. और एस. टी. के बीच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी करके रह गई।

(श्री पूरणमल सैनी)

पहले यह देश, बंटवारे से पहले, जैसे एस. सी. और एस. टी. के शिडयूल की सूचियां बन गईं तो नायक को इस देश में एस. सी. में रखा गया था। सबसे अच्छी जगह, जो जगह बोम्बे में थी उसको एस. टी. में रखा गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस ज़िले को तोड़कर जब इसमें शामिल किया गया, उसमें वे लोग नायक जाति के लोग एस.टी. में थे और इस प्रदेश के देश के लोग एस.सी. में थे। उस समय धीरे-धीरे वे लोग वहां से जगह छोड़कर, आबू से जगह छोड़कर जगह-जगह प्रदेश और देश में बस गये। अब कण्ट्रोवर्सी इस बात में पैदा हुई, उसके लिये सरकार समय-समय पर बिल भी लेकर आई। 1950 में लेकर आई, 1956 में लेकर आ गई और फिर 1976 में लेकर आ गई। 1976 के बिल में यह तय कर दिया कि इन नायक समाज के लोगों को एस.टी. में शामिल किया जाये। लेकिन समस्या यह रह गई कि अंग्रेजी में वह लिखा था। 'नायिका' उसको पढ़ लिया गया। इसलिये उसी एक जाति को दो भागों में बांट कर 'नायक' और 'नायिका' के रूप में देखा जा रहा था।

**(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)**

उसके लिये बार-बार उस समाज के लोगों ने केन्द्र की सरकार से भी पैरवी की और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आये। उन्होंने कहा कि हमें किस वर्ग में और किस वर्ग के आरक्षण में रखा जाये। उसके बाद भी उनको नहीं सुना, और बार-बार केन्द्र की सरकार ने यह लिख दिया राज्य की सरकार को कि यह आप ही के लेवल का मामला है। अगर आप चाहते हैं, इसमें वर्जन अगर आप मांगना चाहते हैं तो प्रपोजल करके भिजवा दें। हम आपके प्रपोजल के हिसाब से वर्जन करके दे देंगे और इसको 'नायक' में रखते हुए एस.टी. में रखा जाये, यह भी मैं साथ ही मांग करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है पुरज़ोर, अकेले की नहीं, बहुजन समाज पार्टी की ओर से, इस राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब जातियों की ओर से मांग करता हूं कि जिनका प्रोविजन फरमाया गया है उनके लिये ईमानदारीपूर्वक काम करें और जहां भी प्रोविजन करना है वह करवाकर यह सरकार लेकर आए और इन जातियों को, जिनको आरक्षण देने की अगर मंशा रखती है तो देने का काम करें। हम सरकार के साथ इस

(श्री पूरणमल सैनी)

मामले में हैं। इतना ही, सब कुछ करते हुए आपने हमें समय दिया, इसके लिये आपका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय महात्मा ज्योतिबा फूले।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री हनुमान बेनीवाल।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017, जो राजस्थान की सरकार यहां लेकर आई है, उपाध्यक्ष महोदय, इस आरक्षण को लेकर आज पूरे देश की जनता दंश झेल रही है। विशेषकर जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आपके पाटीदार आंदोलन हुआ गुजरात के अन्दर, जहां बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ और आज भी पाटीदारों को मनाने के लिये आपको रात और दिन एक करना पड़ रहा है गुजरात के चुनाव के अन्दर।

दूसरा, जाट आरक्षण, हरियाणा के अन्दर बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उसमें तीन दर्जन से ज्यादा जवान आरक्षण के लिये शहीद हो गये। गुर्जरों ने जो 2005 के अन्दर आरक्षण की शुरूआत की थी उसमें 72 गुर्जरों ने शहादत देकर एक संदेश पूरे देश के अन्दर दिया था कि हम लड़ाके हैं। जिस तरह गुर्जरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, बॉर्डर पर हमेशा दुश्मन की गोली सीने पर खाकर शहादत, हमेशा 1962, 1965, 1971 की लड़ाइयों के अन्दर गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, उसका प्रमाण उन्होंने 2005 से लेकर 2008 तक के जो आन्दोलन थे, उनके अन्दर दिया था। उस समय मैं विधायक तो नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के अन्दर था। मैं उस गुर्जर आन्दोलन के साथ, जहां गुर्जर आन्दोलन की शुरूआत हुई, वहां भी गया था और उस समय भी गुर्जर आन्दोलन को समर्थन दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक ही आग्रह है कि गुर्जर जाति की आप कब तक परीक्षा लेंगे? आप हर बार विधेयक लेकर आते हैं। 2008 के अन्दर लाये, 2015 में लाये, अब फिर विधेयक लेकर आ गये। जब आपको पता है कि हिन्दुस्तान का संविधान और सुप्रीम कोर्ट 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ है और आज ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने कोर्ट की अवमानना मानते हुए राजस्थान की

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सरकार को नोटिस जारी कर दिया तो, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरी मांग है कि गुर्जर समाज को आरक्षण दिया जाये। हम इसके पक्ष के अन्दर हैं। राजस्थान के अन्दर अगर आवश्यकता पड़ी तो गुर्जर वैसे सक्षम हैं, अगर हमारे समाज की भी आवश्यकता पड़ी तो हमारा समाज भी गुर्जरों को आरक्षण दिलाने के लिये सड़क पर लड़ाई लड़ने को तैयार है।

मूल ओ.बी.सी. से छेड़छाड़ भी, इसके अन्दर यह ध्यान रखें, उपाध्यक्ष महोदय, कि 21 प्रतिशत जो ओ.बी.सी. का आरक्षण है, कहीं ऐसा नहीं हो, 5 प्रतिशत आप यहां से पास करा लो और 26 प्रतिशत के साथ वह सारा का सारा ही रुक जाये और एक नई लड़ाई राजस्थान के अन्दर शुरू हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज 10 साल से अधिक पुराने गुर्जर आन्दोलन को सरकार भ्रमित कर रही है। संवैधानिक तरीकों से गुर्जरों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। संविधान की नवीं अनुसूची के अन्दर जब तक आप नहीं डालोगे, दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान के अन्दर आपकी सरकार है और जब तक नवीं अनुसूची में यह नहीं डलेगा तब तक यह फिर हाई कोर्ट के अन्दर अटक जायेगा। हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में अटक जायेगा तो, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरी मांग है कि गुर्जर आन्दोलन की वजह से 2008 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। कहीं ऐसा नहीं हो कि 2018 का जो चुनाव है उसमें गुर्जर समाज आपके खिलाफ खड़ा रहे। वह चार जातियां जो गुर्जरों के साथ और खड़ी थीं, वे भी आपके खिलाफ खड़ी रहें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने एस.बी.सी. आरक्षण की व्यवस्था की। उसमें शायद दो-तीन हजार लोगों को नौकरियां भी राजस्थान के अन्दर दे दी थीं। कइयों को छात्रवृत्तियां भी दे दीं। फिर उसके बाद उनकी नौकरियां अटक गयीं। उनका क्या होगा? आप इसके अन्दर ओ.बी.सी. में शामिल कर दोगे तो उनका क्या होगा? यह भी पूरी बात आप लोगों ने इसके अन्दर क्लीयर नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह रहता कि जो आयोग बनाकर आप रिपोर्ट ला रहे हो, गुर्जरों को पुन: ओ.बी.सी. के अन्दर लेने की, वह तो ठीक है। लेकिन विधायकों को भी कम से कम उसकी एक प्रति दो-तीन दिन पहले आप मुहैया करा देते कि क्या रिपोर्ट थी, किस तरह का सर्वे किया था। हम

(श्री हनुमान बेनीवाल)

तो कहते हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि ओ.बी.सी. की पूरी संख्या प्रदेश में 52 प्रतिशत से ज्यादा है, देश के अन्दर 52 प्रतिशत से ज्यादा है तो आरक्षण और बढ़े। लेकिन आरक्षण आगे जाकर अटके नहीं, इस विषय में सरकार को कुछ सोचना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बिना सर्वे के चार जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण बढ़ा दिया। संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किये बिना गुर्जरों को आरक्षण दिया जाना सम्भव नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2015 में अधिनियम द्वारा 5 प्रतिशत आरक्षण दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस अधिनियम को खारिज करने का कारण इसरानी आयोग की सिफारिशों में, उसकी जो सिफारिश थी, उसकी कमी और खामी हाई कोर्ट ने मानी थी। उपाध्यक्ष महोदय, अब सरकार पुन: इसी क्रम में खामियों को दुरुस्त करने के नाम पर ही यह बिल लाई है। इस पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रतिवेदन 16 जुलाई, 2017 को प्रस्तुत किया है। मूल ओ.बी.सी. के साथ छेड़छाड़ कर समग्र पिछड़े वर्ग का आरक्षण 26 प्रतिशत किया जाना, इस विधेयक के उद्देश्य के अन्दर लिखा गया है। एक ओर सरकार असंवैधानिक तरीके से आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक कर रही है तथा दूसरी ओर मूल ओ.बी.सी. में छेड़छाड़ कर आरक्षण को 26 प्रतिशत कर रही है, जो न्यायालय की अवमानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप लोगों ने छह बार राजस्थान के अन्दर वोट लिये। मैं कोई मुख्य मंत्रीजी पर आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन आपकी मुख्य मंत्रीजी जहां भी गयीं, जाटों में कह दिया जाटों की बहू हूं, राजपूतों में कह दिया बेटी हूं और गुर्जरों की समधिन हूं तो कम से कम गुर्जरों की समधिन हैं तो इस समधिन का धर्म तो निभायें। इनकी कब तक आप शहादत देंगे? या फिर आपने कोई तय कर लिया कि पिछली बार 72 मारे हैं, इस बार 28 मारकर 100 का आंकड़ा पूरा करेंगे तो वह आपकी मर्जी। बाकी हमारा तो, उपाध्यक्ष महोदय, यही कहना है कि मुख्य मंत्रीजी को बड़ा मन रखकर इनको बरगलाना नहीं चाहिये। आपने जो देश को बरगला कर दिल्ली में सत्ता हासिल की है, सोशल मीडिया के अन्दर जिस तरह देश के जवान ने प्रधान मंत्री का साथ दिया था, उन्हें सत्ता के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

शिखर पर बैठाया। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अगर मजाक कोई बनती है, या तो पहले राहुल गांधी की बनती थी और या अब नरेन्द्र मोदी की मजाक सोशल मीडिया पर राजस्थान का जवान और देश का जवान करता है। ...(व्यवधान)...

**श्री उपाध्यक्ष:** आदरणीय सदस्य, मैं फिर निवेदन करूंगा। जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उनके नाम का आप यहां उच्चारण नहीं करेंगे।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा कोटा से आने वाले हमारे विधायक प्रहलादजी गुंजल को, जिन्होंने वास्तविक लड़ाई लड़ी। बात करना अलग होता है और विधान सभा के अन्दर पार्टी लाइन से हटकर लड़ाई लड़ने के लिये बहुत बड़ा दिल और जज्बा चाहिये। पार्टी से तो सारे जीतकर आते हैं। जो निर्दलीय हैं और जो अपना कैरियर दांव पर लगाकर, मुझे याद है 2003 से 2008 के अन्दर मैं विधान सभा के अन्दर मैम्बर नहीं था, लेकिन अपनी कौम की खातिर जिस तरह प्रहलाद गुंजल ने लड़ाई लड़ी, उनको पार्टी से भी हाथ धोना पड़ा था और आज भी वह तकलीफ जो इनके साथ है, वह तकलीफ वे झेल रहे हैं। तो मैं मेरे भाइयों, यहां जितने गुर्जर विधायक बैठे हैं, उनसे एक ही बात कहता हूं कि जाति पर जब संकट आ जाये तब आपको एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिये। हनुमान बेनीवाल तो जाति पर जहां भी संकट आता है, वह हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक लड़ने के लिये जाता है। हमने तो किसी चीज की कोई परवाह की नहीं और आगे भी नहीं करेंगे। आप अगर आरक्षण देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2018 के अन्दर हमारा जो मिशन है, अगर हम सत्ता में आये तो निश्चित रूप से आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे।

मैंने जो जनमत जानने के लिये प्रस्ताव दिया था, मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करूंगा कि गुर्जरों को आरक्षण दे लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अन्दर इनका आरक्षण अटके नहीं और अबकी बार अगर अटक गया तो गुर्जर फिर पटरी पर आयेंगे। फिर राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था खराब होगी। फिर हजारों-करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान होगा। जिस तरह हरियाणा के अन्दर हुआ, गुजरात के अन्दर हुआ, महाराष्ट्र के अन्दर हुआ। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि

(श्री हनुमान बेनीवाल)

2018 का जो चुनावी साल है, इसमें गम्भीरता से सोचते हुए इस बार खाली बिल लाकर इतिश्री नहीं करें। इस बार गुर्जरों को असली आरक्षण दे। हम गुर्जरों के आरक्षण के साथ खड़े हैं। इस बिल को एक बार पूरी समझ के साथ 2-3 महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये और उसके बाद जो इसकी कमियां-खामियां हैं, उनको निकालते हुए बिल पारित करवाते तो ज्यादा अच्छा होता। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

एक निवेदन और करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। मंत्रीजी, यहां बैठे हैं। आज प्रदेश के अन्दर एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और एस.बी.सी. की छात्रवृत्तियां अटकी पड़ी हैं। आज बैकलॉग भरे नहीं जा रहे हैं तो आप इनकी भी व्यवस्था, सब समाजों को ध्यान रखते हुए इनकी भी व्यवस्था करें।

**(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)**

**(16.00 बजे)**

मैं विशेष रूप से घनश्यामजी तिवाड़ी को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अगर कोई नजर आ रहे हैं तो घनश्यामजी राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और आत्मा की आवाज से हर बात वह बोल रहे हैं और निश्चित रूप से इनको आगे 2018 में इस चीज का फायदा जरूर मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री धीरज गुर्जर। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव।

श्री घनश्याम। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

प्रभारी मंत्रीजी।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक के ऊपर सदन के लगभग 14 विधायकों ने अपनी बात को रखा।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था, मुझे पाँच मिनट बोलने का मौका दें।

**श्री उपाध्यक्ष:** एक मिनट। एक मिनट विराज जाओ। सचेतक महोदय, अब वरिष्ठतम मंत्री तो गृह मंत्रीजी हैं। अब आप कृपा करके सम्माननीय सदस्य को यह बतायें कि कौनसी स्टेज है यह। आप बिलकुल आश्वस्त रहें, इस बिल को पारित कराने के पहले मैं आपको अवसर दे दूंगा, आप उस अवसर का इंतजार तो करें।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस विशेष पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित आरक्षण के संबंध में दस विधायकों ने अपने मत को रखा है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं।

राजस्थान सरकार ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 यह सदन के सामने रखा है और दस विधायकों ने अपनी राय आज रखी है, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके जो सुझाव मिले हैं उन सुझावों में कहीं अलाइनिंग करने की बात हुई है, वैसे हमने ज्यादातर आपके विषय पर पूरी चिंता करते हुए, इस विधेयक में उन सबको समाविष्ट करने का प्रयास करते हुए एक पूरा फूलप्रूफ बनाने का प्रयास किया है।

राजस्थान सरकार की मान्यता है और 2003 से 2008 में भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानते हुए, सामाजिक न्याय सबके साथ समान रूप से हो, उसी सिद्धांत के आधार पर उस समय भी आरक्षण का बिल, जिसमें ओ.बी.सी., एस.बी.सी. और साथ में ई.बी.सी. के आरक्षण का बिल सरकार लेकर आई थी। बाद में अलग-अलग चरणों में, कहीं उच्च न्यायालय में उसके ऊपर चुनौती दी गयी और वह खारिज हुआ। अब भी हम उसी आधार पर, यह सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है, उसी सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर, यह बात सही है कि कोर्ट्स ने आब्जर्वेशंस दिये हैं लेकिन 2015 का जो एक्ट राजस्थान विधान सभा ने पारित किया था, सरकार ने लागू किया और करने के बाद उसको 2016 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्ट्रक-डाउन किया। आज हमने, उसके बाद भी सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई जस्टिस गर्ग की चेयरमैनशिप में, उस कमेटी की रिकमंडेशंस को ओ.बी.सी. कमीशन

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

को दिया गया। उसमें सब चीजों को समावेश करने का प्रयास किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के जितने भी आब्जर्वेशंस थे, डेफिशिएंसीज थीं, उनको जहां मीट-आउट करने का काम किया हाई पावर कमेटी ने, बाद में उसी के ऊपर ओ.बी.सी. कमीशन ने भी अपना पूरा माइंड एप्लाई करते हुए, अपनी रिपोर्ट फिर सरकार को सौंपी है। हमें विश्वास है कि इन सबको लेते हुए, एक समग्र दृष्टि से रिपोर्ट तैयार करते हुए सरकार के पास आई है, जिसमें इन सब चीजों का समावेश करने का प्रयास किया है।

2008 में जब यह एक्ट बना था, उस समय केवल चार जातियों को इस एस.बी.सी. में आरक्षण देने का विषय था। बाद में एक और जाति, इसमें बाद में देने का विषय आया जिसमें रैबारी, देबासी बंजारा, न एक जाति को बाद में रिजर्वेशन देने का 2009 में जाकर, वह भी बाद में तय किया गया। इसके बाद फिर 2010 में एक चैलेंज हुआ और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको स्ट्रक-डाउन किया।

स्ट्रक-डाउन के साथ सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस विषय को उठाया है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के विषय को इसके साथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि इसी सदन में 2015 का बिल पारित करते समय आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक बिल पारित किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा नहीं होना बताया। मैंने उस समय भी कहा था, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य काफी विद्वान और काफी वरिष्ठ हैं, यह बात, आपने कहा कि नाराजगी की बात, नाराजगी कहीं नहीं, लेकिन विवेकपूर्ण विवेचना कहीं न कहीं होनी चाहिए। इस नाते से विषय को मैंने उस समय रखा था।

मैं उस 2010 का जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, यह कैप्टन गुरविन्दर सिंह वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान, 22.12.2010 का जजमैंट है, इसके ऑपरेटिव पोर्शन में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि - " Let the matter be referred to the Rajasthan State Backward Classes Commission and the State Govt. shall place before the Commission to collect quantifiable data of numerous factors which is mandatory in the light of the Apex Court decisions in

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

the case of M. Nagraj (supra) and Ashok Kumar Thakur. As collection of quantifiable data is going to consume sufficient time, let this exercise be completed within a period of one year. It is reiterated that stay shall continue till the matter is decided afresh and even if the State decides to enhance reservation beyond the percentage which was existing prior to coming into force the Act of 2008, the State shall not give effect to the said enhanced percentage of reservation for a period of two months thereafter."

माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत स्पेसिफिकली इस बात का आब्जर्वेशन अपने इस आर्डर में किया, ऑपरेटिव पोर्शन में 2015 में बिल पारित हुआ और पारित होने के बाद हमने एस.बी.सी. का नोटिफिकेशन निकाला। जब ई.बी.सी. का नोटिफिकेशन निकालने की बात आई तब ही कोर्ट का आदेश सामने आया। 2010 के इस आदेश के बाद उस समय की सरकार ने एस.बी.सी. कमीशन का तो गठन किया लेकिन ई.बी.सी. कमीशन का गठन नहीं किया, आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया इस कारण, कोई कमीशन नहीं बना तो रिपोर्ट भी आने की बात नहीं हुई। माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश को देखने के बाद तुरंत राजस्थान की सरकार ने ओ.बी.सी., आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। वह आयोग अपना काम कर रहा है और जब आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, उसके तुरंत बाद जो बिल विधान सभा ने पारित किया है, उसकी अधिसूचना जारी करके आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान विधान सभा ने किया है, उसको दिलाने का भी काम सरकार करेगी।

अलग-अलग समय पर यह सारा, बाद में पांच जाति हुईं यह सारे आब्जर्वेशंस कोर्ट्स के अलग-अलग समय पर आए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): एक, यह रिपोर्ट कितने दिन में आई? यह जो रिपोर्ट अभी ओ.बी.सी. की आई, वह कितने समय में आई और ई.बी.सी. वाली रिपोर्ट को आने में कितना समय लगा? कारण बता दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष:** एक मिनट। मैं सम्पूर्ण सदन से यह निवेदन करूंगा कि स्टेज-वन है अभी तो। मंत्रीजी का पूरा विस्तृत उत्तर आने दीजिए। फिर भी कुछ ऐसी आशंकाएं आपके अगर दिमाग में हैं तो उनकी भी विस्तृत जानकारी देकर, उनको भी दूर करने का हम प्रयास तो करेंगे। यानी, आसन निवेदन करता है कि सरकार प्रयास करेगी। अब वह आप या माननीय सदस्य उससे संतुष्ट होते हैं या नहीं होते, यह आपका स्वयं का विवेक और अधिकार है।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय का 09.12.2016 का जो आदेश था, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार इस बिल को लेकर, अपनी एस.एल.पी. फाइल की और एस.एल.पी. में, पहले 22.12.2016 को एक आदेश दिया और उसके बाद फिर 09.05.2017 को एक आदेश देकर कुछ अंतरिम रिलीफ सरकार को दी, जिसके माध्यम से जिन लोगों को हम सर्विसेज दे चुके थे, उनको प्रोटेक्शन की बात आई और जो पाइप लाइन में थे, 1215 ऐसी सर्विसेज को भी देने की बात आई। अलग-अलग समय पर जो उस समय के और उससे पहले के जितने बिल बने, उन बिलों में गुर्जर समेत इन सभी पांचों जातियों को नौकरियां मिलीं, उसमें 2010 से 2013 में 1723 लोगों को सर्विस मिली और इस 2013 के बाद हम कह सकते हैं 2015-16 तक, इसमें 2572 लोगों को कुल सर्विस अब तक इसमें मिली है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के तहत वह सब इस समय कंटीन्यू करने की बात कर रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपने आब्जर्वेशंस दिये, उन आब्जर्वेशंस में कुछ विशेष रूप से चीजों को इंगित किया। राजस्थान सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनायी और हाई पावर कमेटी ने विशेष रूप से उच्च न्यायालय के उन सब निर्देशों का विवेचन किया और उसके बाद ओ.बी.सी. कमीशन को दिया। खास तौर से जिन चीजों को उन्होंने किया था उसमें था कि क्या 50 परसेंट से अधिक जाने की बात हो सकती है। एक पहला विषय था।

एक बार नहीं, कई जजमैंट्स में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को अलग-अलग समय में कहा है कि 50 परसेंट से अधिक भी रिजर्वेशन

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

दिया जा सकता है। चाहे थॉमस का प्रकरण होगा, इसके बाद फिर इंदिरा साहनी का मामला आया, नागराज का मामला आया, इन सबमें, इंदिरा साहनी के मामले में भी पैरा 94 (ए) में स्पष्ट रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्गों की आनुपातिक जनसंख्या, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रावधान करने के लिए निश्चित रूप से सुसंगत हैं यद्यपि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद एम.नागराज ने भी इसी चीज को अपहेल्ड करने की बात कही है। बाद में उन्होंने कहा कि इसमें कहीं अलग से नहीं, उन्होंने कहा कि यह पावर स्टेट के पास ही है। अगर विशेष परिस्थितियां उपलब्ध हैं तो उन विशेष परिस्थितियों में 50 परसेंट से अधिक आरक्षण भी दिया जा सकता है। इसी में उन्होंने, नागराज के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण किस सीमा तक किया जाए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है परंतु पिछड़े वर्ग विशेष का राज्य सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। हाई पावर कमेटी ने भी और इसके पहले चौपड़ा कमीशन, इसरानी कमीशन, बाद में ओ.बी.सी. कमीशन, इन सबने अलग-अलग समय में कहा है कि नौकरियों में प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिए, इन पांचों समाजों का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में धरना एवं नारे)**

मैं आगे उस विषय पर आऊंगा कितना-कितना सर्विसेज में इनको देने की बात आयी है।

दूसरा विषय, जो इसमें आया है कि सबके ग्राउंड लिये, उनका हम क्यों बढ़ा सकते हैं। एक इसमें आया कि घुमन्तू जाति का इसमें कहीं विवेचन पूरा नहीं किया गया तो इसी में हाई पावर कमेटी ने उसमें लिखा है 'किसी भी वर्ग को अर्द्ध घुमन्तू व चरवाहा होने के लिये उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चाहिये और लगातार उनका किस प्रकार का रहन-सहन है, किस प्रकार का खान-पान है, किस प्रकार का जीवन-यापन करते हैं, उन सब चीजों के आधार पर ही हम इस चीज को कर सकते हैं और चौपड़ा कमीशन ने इसके बारे में पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और तैयार करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर यह माना गया था कि अर्द्ध घुमन्तू और घुमन्तू,

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

यह सब पांचों समाजों के बारे में कहा है। बाद में अलग-अलग कमीशन भी बने। उनमें भी उन्होंने कहा है कि बी.एल.लोकुर कमीशन, जो अपने होम सेक्रेट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गुर्जर, गद्दी व बंजारा समुदाय को केवल पिछड़ा वर्ग मानना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनसे अधिक पिछड़े हुए हैं। चौपड़ा समिति ने भी उन पांचों जातियों को घुमन्तू, अर्द्ध घुमन्तू माना है। मरदूम शुमारी राज मारवाड़ सन् 1891 ईस्वी मारवाड़ की कौमों के इतिहास में भी इन जातियों को घुमन्तू, अर्द्ध घुमन्तू होना बताया गया है। द इम्पीरियल गजिटियर 1881, राजपूताना गजिटियर 1889, द इम्पीरियल गजिटियर 1904 में भी इनकी यही स्थिति बतायी है। सभी रिपोर्ट तत्कालीन सरकारों द्वारा जातियों व वर्गों के संबंध में करवाये गये सर्वेक्षणों को इंगित करती हैं तो इन अलग-अलग आयोगों ने भी बार-बार यह कहा है कि यह घुमन्तू-अर्द्ध घुमन्तू हैं और इसी प्रकार यह मोर बैकवर्ड हैं। इस बात को भी रिएटेरेट अलग-अलग समय पर बाकी सभी जातियों के द्वारा किया गया था।

कुछ और चीज निकलकर आयी कि कई बार इसको बढ़ाने की आवश्यकता कैसे पड़ी? कई जगह प्रह्लादजी गुंजल ने भी कहा और कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में कहा है। प्रह्लादजी ने एक विषय को कहा। हमने कहा कि तीन-चार कारण ऐसे रहे, जिनके आधार पर कमीशन ने भी कहा और कोर कमेटी ने भी कहा, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ओ.बी.सी. के आरक्षण को 21 प्रतिशत से 26 प्रतिशत करने की आवश्यकता है। सरकार ने एक तो यह कहा कि 1993 में जो विषय आया था, उस समय केवल ओ.बी.सी. की जातियां 54 थीं, आज ये जातियां बढ़कर 91 हुई हैं। उस समय 44.46 प्रतिशत पोपुलेशन लगभग एस्टीमेटेड थीं, अब यह पोपुलेशन बढ़कर 52 प्रतिशत हुई है। राजस्थान में उस समय सारे देश में 1993 में ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन 21 प्रतिशत दिया था, देश में आज कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो दिया, वह दिया था 27 प्रतिशत, लेकिन क्योंकि यहां पर एस.सी., एस.टी. का आरक्षण 28 प्रतिशत था, इसलिये 21 प्रतिशत दिया। आज ओ.बी.सी.की पोपुलेशन बढ़कर 52 प्रतिशत पहुंची है। इस आधार पर कहीं रहते हुए हम इसको 27 प्रतिशत तक और बढ़ा सकते हैं, इसी

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

आधार पर 27 प्रतिशत को बढ़ाने का भी आयोग ने अपना व्यू दिया और उसी आधार पर एक्ट में इस प्रावधान को भी इंगित करने का प्रयास किया गया।

अलग से कई बार आया कि इसमें किस-किस तरह के रोजगार की व्यवस्था की गयी है। जसराज चौपड़ा कमेटी ने किया और 125 गांवों में स्वयं जाकर किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे समुदाय में केवल मात्र एक आई.ए.एस. है, वह भी पंजाब कैडर में है व 13 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। कमीशन ने 70 प्रतिशत गुर्जरों को निरक्षर माना। उन्होंने और भी कहा, इनके दो उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति हुईं। उस नियुक्ति के लिये भी कमीशन ने कहा कि वह नियुक्ति इनको इनकी योग्यता या मेंटल एबिलिटी के आधार पर नहीं, क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर ठीक होता है, उस आधार पर फिजिकल टैस्ट में ठीक होने के कारण से इनकी सर्विसेज ज्यादा आयी और अलग-अलग ...(व्यवधान)...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह प्रह्लाद गुंजलजी और मानसिंहजी जो आये हैं, वह फिजिकल स्ट्रक्चर ठीक होने से आये हैं यहां पर।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मानसिक स्तर ठीक होने से आये हैं ये।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ये तो यहां सदन में जो बैठे हैं, वह किस तरह से आये हैं माननीय सदस्य अच्छी तरह बता सकते हैं, कुश्ती लड़कर कोई नहीं आता। जनता के विश्वास के आधार पर, मत के आधार पर सब पहुंचते हैं और यहां आने का क्राइटेरिया कम से कम शिक्षा तो नहीं है।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आने वाले प्रत्येक माननीय सम्मानित सदस्य लोगों का विश्वास बटोरकर आते हैं और अगर सदन में फिजिकल आधार पर आने की परम्परा कायम हो जाये तो डेमोक्रेसी बचेगी ही नहीं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, आप भी नहीं बचोगे।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): फिर आपकी भी क्या गारण्टी है? यह भी विचार कर लो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं तो अब भी मुश्किल से बचा हुआ हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 200 में तो आ ही जाऊंगा, यह गारण्टी है। 200 में तो आ ही जाऊंगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं तो अब भी मुश्किल से ही बचा हुआ हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** वह, आदरणीय, आप बिलकुल निष्फिक्र हो जाइए, आसन आपको पूरा संरक्षण प्रदान करेगा।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्राह्मण की रक्षा क्षत्रिय धर्म है, इसलिये तिवाड़ीजी को ज्यादा चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अब भी ब्राह्मण की रक्षा ही कर रहे हैं तिवाड़ीजी। मैं तो कर्तव्य की पालना कर रहा हूं।

विभिन्न आयोगों ने यह अपनी रिपोर्टें दीं। जसराज चौपड़ा जो कमेटी बनी, उन्होंने इस बात को माना उस समय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था यह बात सही थी, उस समय जो चौपड़ा कमीशन बना था, उसमें गुर्जर समाज की मांग थी कि हमें एस.टी. में आरक्षण दिया जाये और उसके परीक्षण के लिये ही चौपड़ा कमीशन बनाया था। चौपड़ा कमीशन ने माना कि उस तरह की स्थिति नहीं है कि एस.टी.कमीशन में दें लेकिन चौपड़ा कमीशन ने यह कहा कि विशेष रूप से पिछड़े वर्ग की स्थितियां इसमें विद्यमान हैं और इसी बात को लेते हुए, फिर बाद में अलग-अलग जो कमीशन बने, उन सब कमीशन ने इस बात को रिएटेरेट किया कि इनके यहां विशेष रूप से पिछड़े वर्ग की स्थितियां विद्यमान हैं, चाहे वह शिक्षा के नाते हो, सामाजिक स्थितियां हों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, उन सबको लेते हुए उन्होंने इन सबको मिलाकर करते हुए बात की। अभी भी इस हाई पावर कमेटी ने भी और ओ.बी.सी. कमीशन ने भी, दोनों ने ही इस बात को इंगित करने का काम किया है।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

आज प्रह्लादजी गुंजल ने एक विषय इसमें रखने का काम किया। एक तो 16(4)(बी) की इन्होंने बात की है। 16(4)(बी), इसमें डील केवल 16(4) होता है, Article 16(4) of the Constitution. 16(4)(बी) बैकलॉग इश्यू को लेकर है, इनीशियल स्टेज पर रिजर्वेशन के विषय को लेकर उसमें प्रावधान नहीं है, इसलिये 16(4) यहां होता है। 16(4) को एड्रेस करते हुए सारे प्रावधान करने के बाद किया। जहां आपने कहा कि इसमें आरक्षण के प्रतिशत का विषय नहीं है, मैं कहूंगा निश्चित रूप से सरकार ने इनेबलिंग प्रोविजन, लगभग हर एक्ट में इनेबलिंग प्रोविजन आते हैं और सरकार को इनेबलिंग का प्रोविजन दिया जाता है। यहां भी सरकार की मंशा को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। कोई कमीशन या जो बिल में है, उसमें एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स लिये हैं, उन एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है, इसको कमीशन ने कहा है, 21 से 26 प्रतिशत करने की बात को कहा है। "They have also recommended that these Castes should be categorized as a separate class as more Backward Classes and they should be provided 1% reservation from within the limit of 50% laid down in the Indira Sawhny's case and 4% from beyond that limit for which compelling circumstances do exist. Thus the total reservation of these Castes should be 5% and total reservation of Backward Classes as a whole should be 26%" तो इसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि 26 प्रतिशत तक ले लाने की स्थिति और सरकार को एनेबलिंग प्रोविजन का ....(व्यवधान)...

**श्री उपाध्यक्ष:** सम्मानित सदस्य, अभी स्टेज है। आपको बोलने का मैं मौका दे दूंगा। मना कहां कर रहे हैं।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): मेरा केवल एक छोटा-सा सवाल है।

**श्री उपाध्यक्ष:** उस वक्त कर लीजियेगा न। उस वक्त यह वापस जवाब दे देंगे।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): आप मानते हैं कि युक्तियुक्त है, यह न्यायसंगत विधेयक है तो इसी में क्यों नहीं उल्लेख किया आपने फिर 26 प्रतिशत का। विधेयक में ही वर्णन कर देना चाहिये था।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सरकार की इंटेंशन को एक्ट में इनेबलिंग प्रोविजन लेकर एक्सटेंड करने का प्रावधान उसमें सरकार ने दिया और साफ कहा है। जो आपने कही-कहीं कार्यपालिका को देने की बात, इसमें एक्ट में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि करने के बाद सदन के ऊपर उसको नोटिफिकेशन को रखने की बात की गयी। जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा, उसको भी सदन में रखा जाएगा। रिजर्वेशन के प्रावधान में बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है।

एक तो हनुमानजी बेनीवाल ने बिना सर्वे के रिपोर्ट की बात कही। हाई पावर कमेटी ने इसकी पूरी स्टडी की, ओ.बी.सी.कमीशन ने किया है और उसके बाद पूरी रिपोर्ट यह बनकर तैयार होने के बाद निकलकर आयी है।

मुझे लगता है कि पूरी सरकार की मंशा एक ही थी कि अलग-अलग समय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इसका आब्जर्वेशन दिया। आज की स्थिति में जो-जो इंटीग्रेटेड हैं, इस डेफिशिएंसीज को भी एक-एक को भी सरकार ने, पूरा जो कोर्ट ने किया उन डेफिशिएंसीज को पाइंट-आउट करके मीट-आउट करने की कोशिश की है और प्रयास यही है कि मोर बैकवर्ड के जो सारे आधार बने हुए हैं, उन सब आधारों पर इसको मोर वैकवर्ड गुर्जर सहित पांचों जातियों को माना है। उन आधारों को पूरी तरह से रिकार्ड पर लेने का काम कमीशन ने किया और उसी आधार पर इस एक्ट को बनाने का है। मेरा विश्वास है कि इन सब परिस्थितियों में कहीं भी यह पूरा एक्ट आज की परिस्थिति में एक पर्याप्त एक्ट है। पूरी तरह से सब वर्गों के हितों के लिये तैयार किया गया है, उन हितों को प्रोटेक्ट करने का काम पूरा यह एक्ट करेगा, ऐसा विश्वास मुझे लगता है।

मैं चाहूंगा इसको पारित कराएं।

**श्री उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खण्डश: विचार**

खण्ड 2 से 11 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 11 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 11 स्वीकार किये गये।

अनुसूची - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्रीजी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

## विधेयक का पारण

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष:** कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे? श्री मानिक चन्द सुराना।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): हम को तो बोलने दो, भई बेइमानों का राज तो बदल देना, बात तो सुनो।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन को ऑर्डर में लाने के लिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है, थोड़ा सदन को ऑर्डर में लाने की कृपा करें कृपापूर्वक ताकि मैं बात कह सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 को पारित करने का प्रस्ताव किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से जिन पांच जातियों को आरक्षण देने की बात कही गयी है, बंजारा, गाड़िया लुहार, गुर्जर, राईका, गडरिया, आरक्षण इनको देने का प्रस्ताव आज से नहीं, 2008 से है। 2008 में बिल आया और उस बिल का हश्र क्या हुआ कि जो बिल अपन लाये, उस बिल को, माननीय मंत्री महोदय, 2011 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

खारिज करते हुए जो बात कही, मैं पैरा 58 पढ़ रहा हूं, पेज 794 आर.एल.डब्ल्यू. वर्ष 2011 पार्ट-1 “However, in Indira Sawhney, the majority held that the rule of 50% laid down in Balaji was a binding rule and not a mere rule of prudence.” 50 परसेंट आरक्षण से अधिक आरक्षण न देना संविधान ने मेन्डेट किया है और यह रूल सिर्फ बुद्धिमानी का रूल नहीं है, संविधान के अनुसार 50 परसेंट से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं तीन फैसले हैं, इन्दिरा साहनी भी है, एम. नागराज भी है और एम. नागराज के साथ में एक तीसरा फैसला और है, और वो फैसला, इसी जजमेंट में उन्होंने लिखा है “It was also made clear that the State Government can make reservation upto 50% inclusive of Scheduled Castes and

Scheduled Tribes and Other Backward Classes." माननीय मंत्री महोदय, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेज को मिलाकर 50 परसेंट से अधिक रिजर्वेशन अपन नहीं दे सकते।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

मैं आपके हाथ जोड़ूं, कांग्रेस के बंधुओं, डोटासराजी, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आप सबको हाथ जोड़ रहा हूं कि कृपया दस मिनट सुनने की कृपा करेंगे तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप किस को सुना रहे हो? ये गुर्जर आरक्षण विरोधी लोग हैं जो कुएं में बैठे-बैठे नारे लगा रहे हैं। ये गुर्जर आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप किसको सुना रहे हो?

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): जब मैदान में आओगे तब पता चलेगा। यहां जो विरोध कर रहे हो न, आपकी तस्वीर छपेगी और उस तस्वीर को वहां पर बतायेंगे, जब पता लगेगा वहां पर। ...व्यवधान...

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, 2011 की रूलिंग राजस्थान हाई कोर्ट की बहुत स्पष्ट है और वो रूलिंग सिर्फ राजस्थान हाई कोर्ट की नहीं, तीन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को कोट किया है। दो मैंने अर्ज किये, इन्दिरा साहनी, दूसरा एम. नागराज और तीसरा अशोक कुमार ठाकुर, ये तीन जजमेंट्स इसमें रैफर्ड हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 2011 के बाद 2012 आ गया, फिर वो ही रिजर्वेशन 5 परसेंट गुर्जरों को। गुर्जर का मतलब अभी पांचों जातियों से समझिये, गुर्जरों को, बंजारा को, गाड़िया लुहार को, रैबारियों को। 2012 वाला खारिज हो गया, अपन ने 2015 में इस विधान सभा से कानून पास किया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे भी निवेदन है कि इनको कुछ आपका उपदेश हो जाए, आपका संवैधानिक उपदेश इनको हो जाए तो शायद ये मेरी बात सुनने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, मेरी सारी सहानुभूतियां उन पिछड़ी पांच

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जातियों के साथ हैं और उन पांच के अलावा 41-42 जातियों के साथ है जिनका रिप्रजेन्टेशन सर्विसेज में जीरो है, जीरो है या एक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब यह बात कह रहा हूं, मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं। 9 दिसम्बर, 2016 का फैसला जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया, माननीय मंत्रीजी, आप तो इन पांच को रिजर्वेशन दे रहे हैं, सिर्फ पांच को, और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा है, 82 जातियों का कम्पेरेटिव चार्ट दिया है, 82 जातियों का।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

अब मैं पहले तो आपको इन पांच जातियों की रिजर्वेशन में स्थिति है वो अर्ज करता हूं। गाड़िया लुहार-जीरो, राइका/रैबारी-सिर्फ दो, बंजारा/बालदिया/लबाना-जीरो। यह हाई कोर्ट के जजमेंट का पार्ट है, आप पेज नोट कर लें 166, और गडरिया, इनका स्थान है जीरो और गुर्जर कुल मिलाकर आठ आदमी, दो तो आई.ए.एस., एक राजस्थान लेखा सेवा में है, और कोई वाणिज्य सेवा में, और कोई नीचे की सर्विसेज में है, आठ आदमी हैं। अब आप ध्यान करें, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, 5 का तो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, अब आप देखिए, आगे आइए। मैं कह रहा हूं कि जो जातियां गिनाई गई हैं ठठेरा, कसारा, फिर 23 पर घांची, 24 पर तेली, 25 पर खारोल, 26 पर तेलिया सिंधी, 22 से 36 तक सलेक्शन जीरो है या 1-2 या 3 है। आप जहां 5 जातियों को कंसीडर कर रहे हैं, इनमें से 4 का तो करीब-करीब जीरो या 1 है और गुर्जर बंधुओं का सिर्फ 8 है। जिनका जीरो या 1-2 है, उन जातियों को आपने कैसे कंसीडर नहीं किया कि स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज में यह भी आती हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, और आगे चलिए, नोट कर लीजिए। 22 से 36 क्रम संख्या जो इस पेज में है, आगे जाइए 37 से 62, सबमें जीरो है। 1-2 में ही कोई 1 है। 3 जातियों में 1 है और बाकी सब में जीरो है। अब आगे आइए, 63 से 83 जातियों में सबमें जीरो है और 2 जातियों में 1-1 है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरी सारी सहानुभूति आप जो बिल लाए हैं उसके साथ है। लेकिन क्या मैं इस बिल में राजनीतिक पोपुलरिटी गेन करने के लिए उन बंधुओं को भूल जाऊं जिनके लिए हाई कोर्ट

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ने कहा है कि इनका भी जीरो है या 1 है। आपने 5 जातियों को स्पेशल बैकवर्ड क्लास में इस केटेगरी में किस कारण से, कौनसे मानदंडों से, कौनसी कसौटी से माना? जिन 62 जातियों में, ध्यान करें, 82 जातियों में से 62 जातियों में जीरो है या 1 है, तो आपने 5 को चूज कैसे किया? यही बात हाई कोर्ट ने इस फैसले को जब खारिज किया, इस 15 के अधिनियम को खारिज किया और उस पर जो डिटेल्ड चर्चा हुई है, उसमें हाई कोर्ट का यह जजमेंट आया है 199 पेज का और मैंने यह पेजेज उसमें से निकालकर के आपको बताए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं, मेरे गले में दम नहीं है। बंधुओं, मैं जोर से नहीं बोल सकता हूं, बंधुओं ...(व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर के परामर्श ले लेंगे। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, व्यक्तिगत रूप से मिलकर के मंत्री महोदय आपसे परामर्श ले लेंगे। आपको ये बोलने तो देंगे नहीं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): मैं सदन की जानकारी के लिए भी कह रहा हूं। मुझे मंत्री महोदय को न तो खुश करना है और न ही किसी और को खुश करने का प्रयत्न है। वह मैं समझ रहा हूं, जो आप सदाशयता से कह रहे हैं। वह मैं समझ रहा हूं लेकिन यदि हाउस के रिकार्ड पर कोई चीज नहीं आती है तो राज्य सरकार कैसे उस पर अपना माइंड एप्लाई करने पर बाध्य होगी।

62 जातियां होते हुए आपने सिर्फ 5 को जो छांटा है, मेरा निवेदन है कि उसी केटेगरी में 82 में से 62 जातियां आ रही हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, आपके बड़े मौलिक विचार हैं। हम इन विचारों से महरूम नहीं होना चाहते। आपके बड़े ही अत्यावश्यक और इंपोर्टेंट विचार हैं। आप अपने सारे पत्रादि दे दीजिए। उनका विश्लेषण कर लेंगे और आपसे मिल लेंगे।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): अब आप सुनिए, सुनिए। पेज 182, माननीय मंत्री महोदय, आपका दायित्व है, इसलिए आपको नोट कराता

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हूं। "It is otherwise without consideration for exclusion of few castes when adequate representation exists. It was expected that if one or two castes has taken major part of the reservation and, for that, other castes could not get adequate representation, then to exclude castes taken major part of reservation, so that remaining castes may get due benefit." हाई कोर्ट ने कहा कि आपने इनक्लूड तो करने की कोशिश की, जिन जातियों ने एडिक्वेट रिप्रजेंटेशन ले लिया था, उनको एक्सक्लूड करने का भी, ओबीसी कमीशन में प्रावधान है कि जिनका एडिक्वेट रिप्रजेंटेशन हो जाए उनको एक्सक्लूड किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने एक्सक्लूड करने का काम नहीं किया। सुनिए, कान खोलकर सुनिए जरा ...(व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुनने नहीं देंगे आपकी बात। माननीय सदस्य, यह सुनने नहीं देंगे आपकी बात, इसलिए आप सारे कागजात दे दीजिए हमें।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, "We find that the reservation has been provided beyond 50% having no extraordinary situation. All the five castes were getting reservation in OBC category" जिनको हम एसबीसी कह रहे हैं, "And it is not that Gurjars and others were having no representation either for admission in the educational institutions or in services. The data has not been collected आपके सुनने लायक बात है पार्लियामेन्ट्री मंत्रीजी, and out of 15478 posts were filled from OBC candidate which comes nearly 30% of the total posts whereas the reservation to the OBC category is 21%." राजस्थान में ओबीसी कैंडिडेट्स, 15478 पोस्टें भरी गई और टोटल पोस्ट का 30 परसेंट। उसके आगे हाई कोर्ट ने कहा है "If the total posts filled from four castes namely, Jat (4544), Ahir (Yadav) (933), Kumhar or Kumawat (Prajapati, Kumawt/Suara) (1267) and Mali/Saini/Bagwan (1699) are considered, then around 60 percent of the posts came in

(श्री मानिक चन्द सुराना)

their share leaving 40 percent for all other castes in OBC category." अब इस बात की गंभीरता को आप समझें कि ओबीसी की 4 जातियों को 60 परसेंट पोस्ट कंपीटिशन में मिली। 4 जातियों को हाई कोर्ट ने नामजद करके कह दिया कि इनको 60 परसेंट पोस्टें मिली हैं और 40 परसेंट रेस्ट को मिली हैं। जिनका एडिक्वेट रिप्रजेंटेशन हो गया है, मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि उन 62 जातियों के प्रति संवेदनशील हैं तो आप कम से कम इस 21 परसेंट रिजर्वेशन को 22 परसेंट कर लीजिए ताकि 50 हो जाए और 50 से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन है विवेक से, बुद्धि का एप्लीकेशन करके कि सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर्स के अंदर इस 21 परसेंट को रिवाइज कर लीजिए, जिनका एडिक्वेट रिप्रजेंटेशन हो गया उनको चाहे जो दे दीजिए, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, दस परसेंट, 21 परसेंट में से 11 परसेंट इन 60 जातियों के लिए, इन 62 जातियों के लिए जिनका रिप्रजेंटेशन नहीं है, जीरो है या वन है, टू है, आप उनको 11 परसेंट रिजर्वेशन, 21 परसेंट को तोड़कर 11 परसेंट रिजर्वेशन इन 62 जातियों के लिए करें जिनका हाई कोर्ट ने ब्यौरा दिया है कि इनका कोई रिप्रजेंटेशन नहीं है। आपकी हिम्मत है क्या? आपकी हिम्मत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यही तो डिलेमा है, उन सब पिछड़े वर्ग के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं और जिस मार्ग से ओबीसी के प्रति निष्ठा को मूर्त रूप दिया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, वह कदम हम उठाने को तैयार नहीं हैं।

मैं निवेदन करता हूं आपको कि पूरी सरकार 199 पेज के फैसले को पढ़े और पढने के बाद इस 5 परसेंट को अगर आप ला रहे हो, आप मानोगे तो नहीं, आप पास तो करेंगे, प्रवर समिति को भेजेंगे नहीं और एक फजीहत और करवाओगे हमारी हर विधान सभा की, मैं कहता हूं कि प्रवर समिति को भेज दीजिए अभी भी, वहां सारा नीर क्षीर हो जाएगा। वहां नीर क्षीर होने के बाद आप वैसा बिल लाइए कि जो राजस्थान की उन 62 ओबीसी जातियों को जिनका रिप्रजेंटेशन निल है, उनके लिए द्वार खुलें और संवैधानिक द्वार खुलें और वह संवैधानिक द्वार खुलने के साथ उनको अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल हों।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण का नारा बहुत प्रिय नारा है। पाटीदार मांग रहे हैं गुजरात में, हरियाणा में जाट मांग रहे हैं, हमारे यहां जाट बंधुओं को आरक्षण है भी पर हरियाणा वाले मांग रहे हैं जो बहुत संपन्न हैं, यूपी वाले मांग रहे हैं, पाटीदार मांग रहे हैं और संपन्न जातियां आरक्षण मांग रही हैं क्योंकि आरक्षण के बिना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भर्ती नहीं होती है और राज्य की नौकरियों में स्थान नहीं मिलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी यहां विराज रही हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ...(व्यवधान)... बंधुओं दो मिनट चुप तो हो जाओ, मेरे ऊपर कृपा तो करो आप। ...(व्यवधान)... एजुकेशनल फैसिलिटीज बिना संविधान के रेफरेंस के, वह जो प्रहलाद गुंजलजी ने कोट किया, धारा कोट की कि एक्जिक्यूटिव को संपूर्ण पावर है, आप हमको स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने की तो निर्बाध छूट दीजिए। स्कूलों में, एजुकेशनल, आपकी स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं उनको और बढ़ा दीजिए कि जो भी उसमें आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोग या दूसरे लोग जो आरक्षण लेना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ें। आपके पास सरकार है, या तो उस सरकार को मनाते....

**श्री उपाध्यक्ष:** आदरणीय सदस्य, दो मिनट विराज जाएं।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होकर बिल पास होने तक बढ़ाया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची के सम्पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

सम्माननीय सदस्य, अब आप इसको दो मिनट में कन्क्ल्यूड कर लें क्योंकि वातावरण इस प्रकार का नहीं है कि आपकी चर्चा सुनी जा सके और समझी जा सके।

# विधेयक का पारण

## राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी ही समाप्त करूंगा।

मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य घनश्यामजी तिवाड़ी ने 14 परसेंट आर्थिक आरक्षण, इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लासेज को देने की बात कही। अभी तो 50 से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, देश में एक ही नेता था जिसने कहा, सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी है गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ, और सौ में साठ यदि नरेन्द्र मोदी की सरकार करती है, डॉक्टर लोहिया का कई बार वे जिक्र करते हैं अपने भाषणों में। मैं कहना चाहता हूं कि देश के पिछड़े वर्ग को राहत देने के लिए रिजर्वेशन की सीमा संविधान संशोधन करके पचास नहीं साठ परसेंट की जाए, साठ की जाए। संविधान के प्रावधान में स्पष्ट कहा जाए कि जो पचास परसेंट के निर्णय की बात है हम उसको हम साठ परसेंट करते हैं। जो संविधान संशोधन होगा तो निश्चित रूप से आप ओबीसी की 21 परसेंट को 26 कर सकेंगे, 27 कर सकेंगे, और इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी आप आरक्षण के दायरे में लाने का काम कर सकेंगे।

मैं अर्ज करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि इस जजमेंट के जो पेजेज मैंने कोट किए है, उनका आप भी पारायण करने की कृपा करें और 62 जातियां 5 जातियों से स्नेह करके बच गईं, 57 जातियों का तिरस्कार करने की कृपा न करें, उनका तिरस्कार न करें और जिस पैमाने पर वह जीरो रिप्रजेंटेशन के आधार पर पांचों जातियों को आप ले रहे हैं, उसी पैमाने पर अन्य जातियों को लेने की कृपा करें।

मैं चाहता हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट इस बिल को निरस्त न करें और इस बिल का निरस्त होना जो पहले जजमेंट हो चुके हैं उनको देखते हुए बिलकुल तय है कि बिल पर दो, पांच, सात दिन में स्टे आएगा और आप अपनी मंशाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस निवेदन के साथ मैं आपको

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बहुत धन्यवाद देता हुआ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** चूंकि सदन का वातावरण इस प्रकार का नहीं है कि सम्माननीय सदस्यों द्वारा अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से सुना जा सके और समझा जा सके। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको इसमें कुछ और एड करना है तो करें, अन्यथा आसन इसको पारित करवाए।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा संक्षेप में अपनी बात रखूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ विधिक विवेचना इसमें की है। मैं उन पर विस्तृत नहीं जाऊंगा, मैं अपने पहले जवाब में लगभग सब चीजों को ले चुका हूं। आपने जितने भी निर्णय कोट किए हैं माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के, जितने भी ये निर्णय हैं, उन सब निर्णय की विवेचना चाहे ओबीसी कमीशन और सरकार ने उन सबको कंसीडर करते हुए भी इस पूरे बिल को ड्राफ्ट करने का काम किया है। मुझे लगता है कि इसको पास करने का हम काम करें।

केवल इतना ही नहीं, सरकार का उद्देश्य, आरक्षण एक विषय है लेकिन सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लेकर हम जो चलते हैं, आज इस आरक्षण की बात करें, जैसा मैंने कहा कि इस आरक्षण 2015 के आने के बाद, 2572 लोगों को नौकरी लगी, 1255 को जो पाइप लाइन में थे उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंटरवेंशन के साथ बचाया, जिनकी लग चुकी थी उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया है। इन नौकरियों के अलावा, इसमें डॉक्टर बन पाए, आरएएस बन पाए, इंजीनियर बन पाए, तहसीलदार सर्विस में आ पाए, अकाउंट्स सर्विस में आ पाए, केवल इस आरक्षण के प्रावधान के कारण और राजस्थान सरकार की मंशा थी कि कहीं न कहीं इन सबको इसके माध्यम से बराबरी का अधिकार देने का काम करें और उसको हम पूरा कर पाएं।

कानूनों ने बार-बार कहा है इसको कि केवल आयोगों के विवेचना का विषय है, किन स्थितियों में कैसे करते हो, करने का काम है। दूसरा उन्होंने

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

कहा कि नौकरी की भी जो फर्स्ट ग्रेड की सर्विसेज हैं केवल उनको ही हम ले सकते हैं, अब जनसंख्या का आंकड़ा और नौकरियों का आंकड़ा तो जातियों के आधार पर रखा जाए इसके बारे में प्रतिशत क्या है, आयोगों ने आंकड़ों में इसकी बात की है। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वह उपलब्ध नहीं है।

हमने केवल इतना ही नहीं, कल्याण के नाते भी आज देवनारायण योजना की शुरूआत की तो 2008 में राजस्थान की सरकार ने की है। नौकरियों में आरक्षण देकर आज गुर्जर सहित पांच जातियों के लोग बड़ी संख्या में पढ़कर मेडिकल में आने लायक स्थिति में हुए, इंजीनियरिंग में जाने की स्थिति में आए तो इस देवनारायण योजना में स्कूलों में जो उनको आरक्षण मिलता है, उसके माध्यम से हुए। छात्रावास बने, शिक्षा का वातावरण बने, आवासीय विद्यालय बने, आवासीय विद्यालयों में उनको जो सीटें मिली उसके कारण एक वातावरण बना और यह करने की बात आई। उनके विकास के लिए चाहे गुरुकुल योजना की बात हो, चाहे अनुकृति की हो, स्कूटी देने की बात हो, छात्रवृत्ति देने की बात हो, इन सबको देकर कल्याण के नाते भी कैसे इन पांचों वर्गों का विकास किया जाए, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से और इनको बराबरी पर लाएं, इसी सिद्धांत को लेकर इस बिल को लेकर आए हैं, और सरकार भी उसी सिद्धांत पर काम कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन इस बिल को पारित करे।

**श्री उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 को पारित किया गया।

राष्ट्र गान।

(श्री उपाध्यक्ष)

## राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 16.52 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)**

---------

# अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

## बानसूर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

**56. श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बानसूर में बारिश के कारण अधिकांश रास्ते एवं सड़कें जर्जर हो चुकी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे रास्तों/सड़कों का नये सिरे से निर्माण एवं मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की आलनपुर से बानसूर, बानसूर से नारायणपुर, नारायणपुर से कुशालगढ आदि मुख्य सड़कों पर गड्ढों के कारण आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में बारिश के कारण कुछ सड़कों पर पैच उत्पन्न हो गये हैं, जिनकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार माह दिसम्बर 2017 के अन्त तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त इस विधान सभा क्षेत्र की 11 सड़कों (परिशिष्ट-1 के अनुसार) के नवीनीकरण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) जी नहीं। आलनपुर से नारायणपुर वाया बानसूर सड़क पुनर्निर्माण के लिए एन.सी.आर.पी.बी. नई दिल्ली को प्रस्ताव ऋण स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके हैं, जिनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

नारायणपुर से कुशालगढ़ सड़क की कुल लम्बाई 20 किमी. है, जिसमें से 10 किमी. नेशनल हाइवे एवं 6 किमी. राज्यमार्ग का हिस्सा है। इस सड़क का पुनर्निर्माण सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बाड़मेर शहर की विचाराधीन पेयजल योजना

**57. श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर शहर एवं शहर से सटी घनी आबादी बस्तियों में पेयजल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु कोई योजना स्वीकृति हेतु सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो किस स्तर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना को शीघ्र स्वीकृत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) बाड़मेर शहर के पेयजल वितरण तंत्र में आवश्यक सुधार, प्रदूषण संभावित एवं पुरानी छोटी वितरण पाइप लाइनों को बदलने, पुराने हैडवर्क्स एवं जलाशयों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण तथा अन्य संबंधित कार्यों के प्रावधान सम्मिलित करते हुए राशि रुपये 368.96 लाख की बनाई गई संवर्धन जल योजना सक्षम स्तर पर दिनांक 16.10.2017 को प्राप्त हुई है जो तकनीकी परीक्षण कराने हेतु प्रक्रियाधीन है।

(2) उपरोक्तानुसार।

# सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

## सपोटरा में राशन डीलरों की जांच

**61. श्री रमेश** (सपोटरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में जनवरी, 2014 से अगस्त, 2017 तक कितने राशन डीलरों को किन कारणों से कब-कब निलम्बित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस राशन डीलर को कब-कब बहाल किया गया एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में जनवरी, 2014 से अगस्त, 2017 के मध्य राशन डीलरों की जांच कराई गई है? यदि हां, तो किस-किस की कब-कब एवं क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कुछ विशेष राशन डीलरों की ही बार-बार जांच कराई गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में जनवरी, 2014 से अगस्त, 2017 तक कुल 64 राशन डीलरों को निलम्बित किया गया। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट-1 में सम्मिलित है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में जनवरी, 2014 से अगस्त,2017 के मध्य कुल 22 राशन डीलरों की जांच उनके विरुद्ध प्राप्त लिखित एवं मौखिक शिकायतों के आधार पर कराई गई, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## अलवर जिले में खान सबलेट करने की शिकायतों पर कार्यवाही

**62. श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 तथा 2017 के प्रावधानों के तहत खान को सबलेट करने पर खान मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर जिले में गत 05 वर्षों में कितनी खानों की एम.एम.सी.आर. 1986 के नियम 15 के तहत सबलेट करने की कहां-कहां, कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्राप्त शिकायतों पर 30 सितम्बर, 2017 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त शेष शिकायतों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त शेष शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने के लिये अधिकारी दोषी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) खान को सबलेट करने पर खनन पट्टाधारी को तत्समय प्रभावी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 18(21) / वर्तमान में प्रभावी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 28(2)(XVII) के अन्तर्गत संविदा की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए खनन पट्टा खण्डित किये जाने का प्रावधान है। संबंधित नियमों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) अलवर जिले में गत 5 वर्षों में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 15 के तहत खान सबलेट करने की 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, खान)

| शिकायत दिनांक | खनन पट्टा संख्या | ग्राम/ तहसील | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|
| 16.04.14 | 4/2000 | गोरधनपुरा /राजगढ़ | आदेश दिनांक 22.09.15 से खनन पट्टा खण्डित किया गया। |
| 19.10.10 | 356/2008 | ओडेला मानकी/ रामगढ़ | आदेश दिनांक 25.04.13 से खनन पट्टा खण्डित किया गया। |
| 05.03.16 | 14/2006 | देवता/ किशनगढ़बास | जांच विचाराधीन है। |

खनन पट्टा संख्या 4/2000 तथा 356/2008 के खनन पट्टा खण्डित करने के आदेश परिशिष्ट-2 व 3 पर उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। शेष बची एक शिकायत पर शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी नहीं। शेष बची एक शिकायत पर कार्यवाही नहीं करने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। पूर्व में खनि अभियंता, अलवर द्वारा जांच की जा रही थी। तत्पश्चात् निदेशालय द्वारा शिकायत की जांच अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता), भरतपुर को दी गई, किन्तु अलवर जिला अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), जयपुर के क्षेत्राधिकार में होने से वर्तमान में अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), जयपुर द्वारा शिकायत में जांच की जा रही है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सचिव, कृषि उपज मण्डी प्रांगण, रायसिंहनगर के विरुद्ध अनियमितता की प्राप्त शिकायतें

**63. श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी प्रांगण रायसिंहनगर में समिति के सचिव की मिलीभगत से अवैध शराब का कारोबार होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(2) क्या सरकार उक्त सचिव के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार

(श्रीमती सोनादेवी)

रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी प्रांगण रायसिंहनगर में समिति के सचिव की मिलीभगत से अवैध शराब का कारोबार होने की कोई शिकायत इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। मण्डी प्रांगण रायसिंहनगर मे सचिव की मिलीभगत से अवैध शराब का कारोबार होने की कोई शिकायत इस विभाग को प्राप्त नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

## गोमती से ब्यावर फोर लेन सड़क के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की योजना

**64. श्री हरिसिंह रावत** (भीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा गोमती से ब्यावर तक एन.एच. 8 मार्ग पर फोर लेन के अधूरे कार्य को प्रारम्भ किया गया था? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई टेण्डर प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त फोर लेन का कार्य तय समय सीमा में कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) ब्यावर-गोमती खण्ड परियोजना की कुल लम्बाई 116 किमी. है। मैसर्स आई.टी.एन.एल. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड द्वारा अनुबन्ध के अनुसार 116 किमी. में से 102 किमी. (14 किमी. वन क्षेत्र छोड़कर) दो लेन मय पटरी का कार्य जनवरी, 2011 तक पूर्ण कर दिया गया। 14 किमी. वन क्षेत्र में 2 लेन का कार्य कर दिया गया है। अनुबन्ध

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

के अनुसार ठेकेदार ने फोर लेन का कार्य प्रारम्भ किया था। वित्तीय कारणों व भूमि के आंशिक अनुपलब्धता के कारण रियायतग्राही ने मई 2015 से कार्य बन्द कर दिया है। इस अनुबन्ध के अनुसार अक्टूबर 2019 तक कार्य पूर्ण किया जाना है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। अनुबन्ध के अनुसार फोर लेन का कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 28.10.2019, कार्य वांछित भूमि की उपलब्धता होने पर अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 28.10.2019 तक कार्य पूर्ण किया जाना है।

## चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना को पूर्ण कराने की योजना

**65. श्री घनश्याम महर** (टोडाभीम): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती के लिए जल प्रदाय परियोजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की? उक्त परियोजना के आरम्भ एवं पूर्ण किये जाने की तिथि व लाभान्वित गांवों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जलप्रदाय योजना वर्तमान में लम्बित है? यदि हां, तो उक्त परियोजना का पूर्व निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के लिये कौन-कौन दोषी हैं तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यो? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त परियोजना को अब कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती वृहद् पेयजल परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह नवम्बर, 2004 में राशि रुपये 478.91 करोड़ की जारी की गई थी। इस चरण के पैकेज प्रथम के तहत सवाईमाधोपुर शहर तक मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन, चम्बल नदी

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पर इनटेक वैल, जलकल गृह एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के सम्पादन हेतु दिनांक 23.09.2005 द्वारा राशि रुपये 269.30 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार इस पैकेज का कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 02.10.2005 एवं पूर्णता दिनांक 02.10.2008 निर्धारित थी।

उक्त परियोजना में मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के साथ-साथ सवाईमाधोपुर एवं करौली जिले के 109 ग्रामों को क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान सम्मिलित करते हुए इसकी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 567.00 करोड़ की दिनांक 19.09.2013 को जारी की गई थी। इस स्वीकृति में मुख्य ट्रांसमिशन लाइन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के साथ-साथ सवाई माधोपुर एवं करौली जिले के क्रमश: 31 एवं 78 ग्राम, कुल 109 ग्रामों को क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान भी सम्मिलित किया गया था। उक्त स्वीकृति के समस्त कार्यों को दो पैकेजों में विभक्त किया गया है जिसके अंतर्गत प्रथम पैकेज की पूर्णता दिनांक उक्तानुसार 02.10.2008 निर्धारित थी।

द्वितीय पैकेज में सम्मिलित 109 गांवों को क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा लाभान्वित करने हेतु राशि रुपये 234.90 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 23.09.2013 को जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार इस पैकेज का कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 02.10.2013 एवं पूर्णता दिनांक 02.04.2016 निर्धारित थी।

इस पैकेज अंतर्गत क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा लाभान्वित किये जाने वाले 109 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती वृहद् पेयजल परियोजना के अंतर्गत प्रावधित निर्माणाधीन इनटेक वैल का कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति, इनटेक वैल निर्माण हेतु डिजाइन स्वीकृति करने वाली एजेन्सी के निर्धारण एवं संवेदक फर्म द्वारा कार्य की प्रगति धीमी एवं विभिन्न विवाद उत्पन्न करने के कारण परियोजना कार्यों में विलम्ब हुआ।

अनुबन्ध के प्रावधानों के तहत् अनुबंधक फर्म द्वारा पैकेजों के कार्य

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

धीमी गति से करने तथा तय समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने पर अब तक प्रथम पैकेज के अंतर्गत रुपये 11.29 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि तथा द्वितीय पैकेज के अंतर्गत रुपये 9.03 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि विभाग द्वारा रोक ली गई है।

(3) परियोजना के पैकेज प्रथम एवं द्वितीय के कार्यों को अनुबंधक फर्म द्वारा धीमी गति से करने तथा तय समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने पर उक्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि विभाग द्वारा रोक ली गई है। दोनों पैकेजों का कार्य माह अगस्त, 2018 तक पूर्ण कराये जाने हेतु विभाग प्रयासरत है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## भादरा में वन भूमि का नियमन

**66. श्री संजीव कुमार** (भादरा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा के अनेक गांवों में वर्षों पुरानी आबादी की बसावट होने के उपरान्त भी उक्त ग्रामों की आबादी भूमि को बाद में वन भूमि के नाम से दर्ज कर देने के कारण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो उक्त ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भूमि का नियमन कर लोगों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जिलाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा जरिये आदेश क्रमांक 3180 दिनांक 15.03.1979 से विधान सभा क्षेत्र भादरा अन्तर्गत तहसील भादरा के विभिन्न गांवों की जोहड पायतन की भूमि एवं गौचर भूमि वन विभाग के लिये आरक्षित किये जाने पर वन विभाग के नाम अमलदरामद की गई। उक्त वन क्षेत्र की भूमि में बसी हुई आबादी से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट 'ए' अनुसार है।

(2) जी नहीं। ऐसी आवासीय बस्तियां जो कि वनभूमि पर बसी हुई हैं,

(वन मंत्री)

अतिक्रमण की श्रेणी में आती हैं। वनभूमि पर बसी हुई आवासीय बस्तियों के अतिक्रमण को नियमित किये जाने के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की मार्ग-निर्देशिका के एनेक्चर IV (जिसकी प्रति परिशिष्ट बी पर संलग्न है) में दिनांक 25.10.1980 से पूर्व के अतिक्रमणों के केवल ऐसे प्रकरणों का नियमन किए जाने का उल्लेख है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पूर्व ही निर्णय ले लिया गया था। किन्तु किन्हीं कारणोंवश इनकी पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। ऐसे अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र के नियमन के लिए यह भी आवश्यक शर्त है कि अतिक्रमियों के विरुद्ध तत्समय प्रचलित वन अधिनियम के तहत प्रथम अपराध रिपोर्ट दर्ज की गई हो। उक्त एनेक्चर IV के बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार दिनांक 24.10.1980 के पश्चात् के किसी भी अतिक्रमण के प्रकरण को नियमित नहीं किए जाने के निर्देश हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## डग में सिंचाई कार्यों के लिए आवंटित राशि

**67. श्री रामचन्द्र** (डग): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में वर्ष 2014 के पश्चात् विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य कराये गये व उक्त कार्यों के लिये कितनी राशि आवंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त कार्यों को संवेदकों द्वारा तय समय पर नहीं करने पर क्या कार्यवाही की गई तथा कौन-कौनसे कार्य वर्तमान में विलम्ब से चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के क्या-क्या कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में वर्ष 2014 के बाद कराये गये सिंचाई कार्यो में आवंटित राशि व कार्यो की प्रगति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) संवेदकों द्वारा तय समय पर कार्य नहीं करने उनके खिलाफ शास्ती के विरुद्ध रोकी गई राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) डग विधान सभा क्षेत्र के ग्राम घाटी तहसील गंगधार में घाटी लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1112.00 लाख दिनांक 24.05.17 को जारी की गई है। उक्त परियोजना से गंगधार तहसील के दो गांवों घाटी एवं डोडी की 276 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रश्न संख्या 68

**(स्थगित)**

## पाली जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लम्बित आवेदन

**69. श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने हेतु कौन-कौनसी पात्रता निर्धारित की गई है?

(2) उक्त योजना में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की अधिकतम कितनी-कितनी आबादी को सम्मिलित किया जा सकता है?

(3) उक्त योजना में पाली जिले की किस-किस पंचायत समिति, नगरपालिका एवं नगर परिषद में कितनी-कितनी आबादी को जोड़ा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना में नगर परिषद पाली क्षेत्र में किस-किस व्यक्ति ने अपने परिवार का नाम जोड़ने हेतु कब-कब आवेदन किया एवं किस-किस का नाम कब-कब जोड़ा गया?

(5) उक्त प्रकरण कितने-कितने समय से, किन-किन कारणों से लंबित है एवं इनमें से किस-किस का निस्तारण कितने-कितने समय में कर दिया जायेगा?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(6) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने हेतु की गई अपील के निस्तारण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि में व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 20.07.2017 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 53 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 69.09 प्रतिशत व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा सकता है।

(3) उक्त योजना में पाली जिले की पंचायत समिति, नगरपालिका एवं नगर परिषदवार जोड़ी गई आबादी का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) विवरण परिशिष्ट-3 में सम्मिलित है।

(6) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों का नाम पात्रता सूची में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने के संबंध में निर्धारित अपीलीय प्रक्रिया के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करने हेतु 30 दिवस की समयावधि निर्धारित की जा चुकी है। इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 24.10.2017 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में सीमेन्ट ब्लॉकों का ई-ऑक्शन

**70. डॉ. किरोड़ी लाल** (लालसोट): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से 12 जनवरी, 2015 तक प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन हेतु मंशा पत्रों की जारी स्वीकृति की जांच हेतु सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो उक्त कमेटी द्वारा सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) क्या विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा 17 अक्टूबर 2015 को उक्त खनन पट्टों के आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही हेतु खान एवं भू-विज्ञान विभाग के निदेशक को पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से 12 जनवरी, 2015 तक प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन हेतु जारी मंशा पत्रों में कुछ सीमेंट कंपनियों को सीमेंट ग्रेड के ब्लॉक भी आवंटित किये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लॉकों के आवंटन को निरस्त करके ई-ऑक्शन के माध्यम से पुन: आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त आवंटन में से वंडर सीमेंट नामक कंपनी को माननीय उच्च न्यायालय ने ब्लांक आवंटन के आदेश दिए हैं? यदि हां, तो उक्त कंपनी के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णय व सरकार द्वारा इस संबंध में न्यायालय में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में उक्त कंपनी के पक्ष में दिए गये निर्णय के विरुद्ध डी.बी. में अपील करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में उक्त कंपनी के पक्ष में दिए गये निर्णय के पश्चात् विभाग द्वारा सरकार को क्या राय दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। सरकार द्वारा दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से 12 जनवरी, 2015 तक प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन हेतु जारी मंशा पत्रों की जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा दिनांक 16.10.2015 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। प्रमुख खान सचिव द्वारा 17 अक्टूबर, 2015 को उक्त

(राज्य मंत्री, खान)

खनन पट्टों के आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही हेतु खान एवं भू-विज्ञान विभाग के निदेशक को पत्र लिखा गया है। उक्त निर्देशों की पालना में खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु जारी 551 मंशा पत्र को निरस्त किया गया।

(3) जी हां। प्रदेश में दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से 12 जनवरी, 2015 तक खनन पट्टों के आवंटन हेतु जारी मंशा पत्रों में खनिज लाईमस्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) के खनन पटटा आवंटन हेतु सीमेन्ट कंपनियों के 5 मंशा पत्र भी सम्मिलित थे। उक्त सभी मंशा पत्रों को सरकार के निर्णय दिनांक 17.10.2015 के क्रम में निरस्त किया गया। राज्य सरकार के अस्वीकृति आदेशों के विरुद्ध 03 कम्पनियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाएं वर्तमान में विचाराधीन हैं। अन्य 02 कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का सरकार द्वारा परीक्षण करवाया जा रहा है। उक्त ब्लॉकों के संबंध में निर्णय विधिक परीक्षण उपरान्त किया जायेगा।

(4) जी हां। मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लि. द्वारा प्रस्तुत याचिका संख्या 126/2017 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 23.08.2017 को निस्तारित की गई। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णय की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं। माननीय न्यायालय में सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई है।

(5) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर अपील करने अथवा नहीं करने का निर्णय विधिक परीक्षण उपरान्त किया जायेगा।

(6) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का विभाग द्वारा विधिक परीक्षण कराया जा रहा है जिसके उपरान्त ही विभागीय राय अंतिम की जा सकेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## उदयपुर संभाग में खेतों की फेन्सिंग के लिये देय अनुदान

**71. म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर, बांसवाड़ा व राजसमन्द जिलों में खेतों की फेन्सिंग के लिये सरकार द्वारा 6000 मीटर का ही अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उदयपुर के भीण्डर व मावली क्षेत्र में रोजड़ों के आतंक को देखते हुए उक्त देय अनुदान को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। कांटेदार तारबन्दी के भौतिक लक्ष्यों का आवंटन क्षेत्र विशेष में बोई जाने वाली तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है। इस प्रकार नियमानुसार कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए इन जिलों में प्रत्येक जिले को 6000 मीटर का भौतिक लक्ष्य आबंटित किया गया है।

(2) जी नहीं। सरकार के स्तर पर उदयपुर के भीण्डर व मावली क्षेत्र के लिए अनुदान बढ़ाने का कोई प्रावधान विचाराधीन नहीं है।

## एन.एच. 11 बांसखो फाटक से फूटाला मोड़ तक सड़क का चौड़ाईकरण

**72. श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) एन.एच.-11 (आगरा रोड) बांसखों फाटक से फूटाला मोड (दौसा मनोहरपुर हाइवे) तक की सड़क पर विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के कौन-कौनसे ग्राम आते हैं? ग्रामों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण ग्रामीणों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है तथा जनहानि की आशंका हमेशा बनी रहती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त दिशा में क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर ग्राम पंचायत बड़वा में एयरफोर्स स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या सरकार

(श्री जगदीश नारायण)

प्रस्तावित एयरफोर्स स्टेशन एवं क्षेत्र की जनता की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में एन.एच.-11 (आगरा रोड) बांसखो फाटक से फूटाला मोड़ दौसा मनोहरपुर हाइवे तक की सड़क का चौड़ाईकरण कर डबल लेन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) एन.एच.-11 (आगरा रोड़) बांसखों फाटक से फूटाला मोड़ (दौसा मनोहरपुर हाइवे) तक की सड़क पर विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में हुरेला, धुलारावजी, हीरापुरा, लालवास, भोण्डा खेड़ा, फूटोलाव ग्राम आते हैं।

(2) जी नहीं। सड़क पर ट्रैफिक के आवागमन के अनुसार चौड़ाई पर्याप्त है।

(3) जी नहीं। तहसील बस्सी में ग्राम बडवा एवं पडसोली की कुल 988.344 एकड् भूमि सेना की दक्षिणी-पश्चिमी कमान रक्षा विभाग (भारत सरकार) को कीमतन आवंटन प्रक्रियाधीन है। एयरफोर्स स्टेशन हेतु भूमि आवटित नहीं की गई है। एन.एच.-11 (आगरा रोड़) बांसखो फाटक से फूटाला मोड़ दौसा मनोहरपुर हाइवे तक सड़क का चौड़ाईकरण किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

## मावली में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

**73. श्री दलीचन्द डांगी** (मावली): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में कितने गांव एवं ढाणी ऐसे हैं जहां पेयजल/भूमि जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है एवं टी.डी.एस लेवल अधिक होने से पानी पीने योग्य नहीं है? गांव एवं ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्थानों पर निवास कर रही आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल योजना संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों की सूची एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दलीचन्द डांगी)

(3) क्या सरकार उक्त स्थानों पर निवास कर रही आबादी हेतु शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल योजनाओं को त्वरित रूप से क्रियान्वित कर स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र मावली के 13 मुख्य ग्राम एवं 5 ढाणियों के स्थानीय भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित पेयजल मानको से अधिक है। इनमें से 3 ढाणियां केवल फ्लोराइड की आधिक्य मात्रा से, 11 ग्राम एवं 2 ढाणियां केवल टी.डी.एस. की आधिक्य मात्रा से तथा 2 ग्राम फ्लोराइड एवं टी.डी.एस. की आधिक्य मात्रा से प्रभावित हैं।

पेयजल गुणवत्ता प्रभावित उक्त ग्राम एवं ढाणियों की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पेयजल गुणवत्ता प्रभावित उक्त ग्राम/ढाणियों हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई / प्रस्तावित है:-

(अ) फ्लोराइड के आधिक्य से प्रभावित 1 ढाणी, टी.डी.एस. के आधिक्य से प्रभावित 5 ग्राम व 1 ढाणी तथा फ्लोराइड एवं टी.डी.एस. की आधिक्य से प्रभावित 1 ग्राम, इस प्रकार कुल 6 ग्राम एवं 2 ढाणियों में विभिन्न पेयजल योजनाओं तथा स्थापित हैण्डपम्पों से निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

(ब) ग्राम पंचायत मावली के ग्राम घासा हेतु स्वीकृत योजना के अंतर्गत फ्लोराइड आधिक्य से प्रभावित 1 ढाणी को माह अक्टूबर, 2018 तक स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करना अपेक्षित है।

(स) टी.डी.एस. के आधिक्य से प्रभावित 6 ग्राम एवं 1 ढाणी तथा फ्लोराइड एवं टी.डी.एस. की आधिक्य से प्रभावित 1 ग्राम हेतु कुल 8 आर.ओ. संयंत्रों का निर्माण कार्य माह जनवरी, 2018 तक पूर्ण करना अपेक्षित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(द) फ्लोराइड आधिक्य से प्रभावित शेष 1 ढाणी में सौर ऊर्जा आधारित पम्पिंग सिस्टम मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र मावली में पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ग्राम/ढाणियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा की गई / प्रस्तावित कार्यवाही का पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार। विधान सभा क्षेत्र मावली में पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ग्राम/ढाणियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा की गई / प्रस्तावित कार्यवाही का पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जहाजपुर तहसील के गांवों में अवैध डम्पिंग वेस्ट डालने पर कार्यवाही

**74. श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विभिन्न श्रेणी की सड़कों, राजमार्गों, प्राकृतिक जलस्त्रोतों, आबादी/बस्तियों एवं धार्मिक स्थलों से कितने मीटर की दूरी पर खनन गतिविधियां एवं डम्पिंग वेस्ट डालने की अनुमति प्रदान की जाती है? नियमों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील की ग्राम पंचायत धौड़ के ग्राम बाबाजी का खेड़ा के पास, छाबड़िया में हमीर माईन्स प्रा.लि. अभयपुरा व बिलेठा के एम.एल. धारक द्वारा अपनी खनन स्वीकृतियों के विपरीत खनन क्षेत्रों से बाहर अनाधिकृत खनन गतिविधियों एवं डम्पिंग वेस्ट डाले जाने संबंधी शिकायतों की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जहाजपुर तहसील के ग्राम छाबड़िया में स्थित एम.एल. धारक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर आबादी के नजदीक सैकड़ों वर्षों पुराने प्राकृतिक जल स्त्रोत को छिन्न-भिन्न करने तथा इससे आसपास के ग्राम छाबड़िया तेजाजी, देवपुरा, भुवाना तेजाजी का बरड़ा, भूवाना

(श्री धीरज गुर्जर)

तेजाजी की झुपड़िया आदि गांवों में उत्पन्न जलसंकट संबंधी शिकायतों की जांच करवाकर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अभयपुरा एवं छाबड़िया के एम.एल.धारकों द्वारा पानी के अत्यधिक दोहन से उक्त ग्रामों व आसपास के क्षेत्रों में गिरते जलस्त्रोतों के संरक्षण हेतु विशेष प्रबन्ध करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार कोटड़ी तहसील के ग्राम रीठ, झाडोल व कोटड़ी से सवाईपुर मार्ग पर जारी गारनेट के अवैध व्यापार एवं स्टॉक के संबंध में जांच एवं कार्यवाही का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में प्रधान खनिज के खनन पट्टों में खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन्स ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 12(1)(d) तथा अप्रधान खनिज के खनन पट्टों में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 28(1)(xvi) के अनुसार जलाशय, नहर, सडक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों से क्रमश: 50 मीटर व 45 मीटर की दूरी के भीतर बिना सक्षम स्तर की अनुमति के खनन गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की सडकों/माइन्स एप्रोच रोड के मामले में 10 मीटर की दूरी के भीतर बिना सक्षम स्तर की अनुमति के खनन गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती हैं। वेस्ट डम्प अनुमोदित स्थल पर डाला जाता है। नियमों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) तहसील जहाजपुर की ग्राम पंचायत धौड के समीप ग्राम बिलेठा के प्रभावशील खनन पट्टों के पट्टाधारकों द्वारा खनन स्वीकृतियों के विपरीत खनन क्षेत्रों से बाहर जाकर अनधिकृत खनन करने एवं डम्पिंग वेस्ट डाले जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। ग्राम पचानपुरा के ग्रामवासियों द्वारा उनके यहां स्थित माईन्स संचालकों द्वारा बडी मात्रा में अवैध खनन करने व अन्य समस्याओं के संबंध में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई। उक्त शिकायत की जांच दिनांक 04.07.2017 को

(पर्यावरण मंत्री)

ग्रामवासियों की उपस्थिति में की गई। जांच में मैसर्स हमीर माईन्स प्रा.लि. द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन किया जाना पाया गया, अवैध खनन नहीं पाया गया। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत व जांच रिपोर्ट दिनांक 04.07.2017 की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) ग्राम पचानपुरा के ग्रामवासियों द्वारा उनके यहां संचालित खानों से आ रही समस्याओं के संबंध में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई। उक्त शिकायत की जांच दिनांक 04.07.2017 को ग्रामवासियों की उपस्थिति में की गई। जांच में मैसर्स हमीर माईन्स प्रा.लि. द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के पिट से निकलने वाले पानी को पास के खेतों एवं स्थानीय उपयोग हेतु पाइप लाइन डालकर समस्या का समाधान कर दिया गया है तथा आवश्यकता होने पर खान धारक द्वारा टैंकर से भी पानी की आपूर्ति कर दी जाती है। जांच में ग्रामवासियों द्वारा खनन से किसी भी प्रकार की शिकायत होना नहीं बताया गया। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत व जांच रिपोर्ट दिनांक 04.07.2017 की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) तहसील जहाजपुर के ग्राम छाबडिया के एम.एल. धारक द्वारा खनिज के खनन के दौरान निकलने वाले पानी की आपूर्ति पास के खेतों एवं स्थानीय उपयोग हेतु की जा रही है। इसी प्रकार अभयपुरा क्षेत्र में मैसर्स राजस्थान मिनरल्स एण्ड कम्पनी के खनन पट्टा क्षेत्र की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 25-10-2016 के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य से बने खनन पिटों मे वर्षा ऋतु के दौरान भरे हुए पानी की निकासी कर आसपास के ग्रामीणों द्वारा कृषि व अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार खनन पिटों से निकासित पानी का उपयोग अन्यत्र न किया जाकर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा ही किया जा रहा है।

(5) जी नहीं। तहसील कोटडी के ग्राम रीट, झाडोल व कोटडी से सवाईपुर मार्ग पर खनिज गारनेट का अवैध खनन कर व्यापार एवं स्टॉक के सम्बंध में लिखित रूप से कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है, किन्तु दूरभाष पर शिकायत प्राप्त होने तथा विभागीय स्तर पर आकस्मिक प्रभावी चैकिंग करने के दौरान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवैध निर्गमन का 01 प्रकरण, वर्ष 2016-17 में अवैध निर्गमन/भण्डारण 04 प्रकरण तथा चालू वित्तीय वर्ष

(पर्यावरण मंत्री)

2017-18 में अवैध भण्डारण के 05 प्रकरण पाये गये, जिन पर वर्ष 2015-16 में रु. 56,480/- वर्ष 2016-17 में रु. 9,46,730/- तथा चालू वित्तीय 2017-18 में रु. 7,48,027/- शास्ति के रूप में वसूल किये गये। विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## चित्तौड़गढ़ के बांधों की कच्ची नहरों को पक्का करने की योजना

**75. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'** (चित्तौड़गढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में विभिन्न सिंचाई परियोजना के तहत विभिन्न श्रेणी के किन-किन बांधों की नहरों द्वारा किन-किन ग्राम पंचायतों को नहरों के माध्यम से सिंचाई हेतु जल वितरित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की जिन नहरों द्वारा सिंचाई हेतु जल वितरित किया जा रहा है, वे नहरें कच्ची एवं जीर्ण-शीर्ण होने के कारण किसानों को समय पर पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के बांधों की कच्ची नहरों को पक्का कराने एवं उनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में विभाग द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजना के माध्यम से लाभान्वित ग्राम पंचायतों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में स्थित अधिकांश विभागीय नहरें पक्की है एवं शेष कच्ची नहरों में भी सिंचाई हेतु बांधों में जल उपलब्धतानुसार अंतिम छोर तक समय पर पानी विशेष प्रयास कर पहुंचाया जाता है।

(3) जी हां। आवश्यकतानुसार कच्ची नहरों को पक्की/मरम्मत कार्य

(जल संसाधन मंत्री)

करवाया जा रहा है/करवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## चौमूं में उज्ज्वला योजनान्तर्गत जारी गैस कनेक्शन

**76. श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क गैस वितरण की गई है? यदि हां, तो प्रदेश में उक्त योजना से कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र में भी उक्त योजना में गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं? यदि हां, तो किन-किन महिलाओं को नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिए गए? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग से प्राप्त सूचना अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत भारत सरकार के निर्देशानुसार बी.पी.एल. परिवार की महिला मुखिया को सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (SECC),2011 सर्वे की सूची के आधार पर लोन पर गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है।

उक्त योजनान्तर्गत स्थिति दिनांक 22.10.2017 के अनुसार राजस्थान में कुल 23,57,255 गैस कनेक्शनों का वितरण किया जा चुका है। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। चौमू विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (SECC),2011 सर्वे की सूची के आधार पर लगभग 7969 पात्र लाभार्थियों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके हैं। गैस कनेक्शनों की ग्रामवार, नामवार सूची (विस्तृत सूचना) तेल कम्पनियों के निम्न लिंक पर उपलब्ध है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

https://indane.co.in/ujjwalabeneficiary.php

https://myhpgas.in/myHPGas/ujjwalabeneficiary.aspx

https://ebharatgas.comàmylpgàUjjwala Beneficiary

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## उलोडी रेन्ज मकराना में अवैध खनन पर कार्यवाही

**77. श्रीराम भींचर** (मकराना): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खान सं.106/1 उलोडी रेन्ज मकराना का विभाग के अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खान के निरीक्षण के दौरान खान मालिकों द्वारा किए गए अवैध खनन पर अधिकारियों द्वारा कितनी राशि का कब-कब पंचनामा बनाया गया? क्या पंचनामें की राशि वसूल की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) खान संख्या 106/1 उलोडी रेन्ज मकराना का दिनांक 01.04.2014 के पश्चात् विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.07.2014, 17.09.2014, 20.11.2014 एवं 12.01.2017 को मौका निरीक्षण किया गया।

(2) उक्त खान का निरीक्षण दिनांक 22.07.2014 को सहायक खनि अभियन्ता, मकराना द्वारा किया जाकर 600 घनमीटर का खनिज मार्बल का अवैध खनन का पंचनामा बनाया गया। उक्त पंचनामे पर खनि अभियंता, मकराना द्वारा पत्र दिनांक 13.08.2014 से खान धारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 17.09.2014 को अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर, खनि अभियन्ता (सतर्कता) अजमेर व सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) मकराना के द्वारा क्षेत्र का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाकर 43912.5 घनमीटर खनिज मार्बल के अवैध खनन का पंचनामा बनाया गया। उक्त पंचनामों की जांच हेतु सरकार द्वारा आदेश

(राज्य मंत्री, खान)

दिनांक 13.10.2014 से अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता) जयपुर, अधीक्षण खनि अभियन्ता अजमेर, खनि अभियन्ता मकराना संयुक्त टीम गठित की गई, जिसके द्वारा दिनांक 20.11.2014 को क्षेत्र का निरीक्षण किये जाने पर उक्त खान में कोई अवैध खनन कार्य नहीं पाया गया। तत्पश्चात् संयुक्त शासन सचिव, खान की रिपोर्ट दिनांक 31.07.2015 के क्रम में सरकार द्वारा आदेश दिनांक 12.10.2015 से निदेशक, खान, उदयपुर को उनकी अध्यक्षता में एक तकनीकी कमेटी गठित करने हेतु निदेर्शित किया गया, जिस पर निदेशालय द्वारा आदेश दिनांक 20.10.2015 से कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 01.05.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिस पर परीक्षण कर निर्णय लिया जा रहा है।

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## श्रीगंगानगर जिले में किन्नू प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने की योजना

**58. श्री गुरजण्ट सिंह** (सादुलशहर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

श्री गंगानगर जिले में किन्नू व गाजर की बम्पर पैदावार होने के कारण क्या सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलवाने हेतु उक्त जिले में किन्नू प्रोसेसिंग, वैक्सीन व ग्रेडिंग प्लान्ट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अपने स्तर पर किन्नू प्रोसेसिंग, वैक्सीन व ग्रेडिंग प्लान्ट लगाने का कार्य नहीं किया जाता है। यदि कोई उद्यमी / कृषक अपने स्तर पर उक्त यूनिट्स स्थापित करता है तो आवेदन करने पर उसे राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन नीति-2015 / कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन कृषकों के द्वार योजना-2017 के अंतर्गत परिलाभ देय है।

## उदयपुर संभाग के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद

**59. श्री नवनीत लाल** (घाटोल): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में पशु चिकित्सालयों में पशुओं के इलाज के लिये दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है?

(2) उदयपुर सम्भाग के जिलों में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय संचालित किये जा रहे हैं? जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिलों में पशु चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे चिकित्सालयों में? पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) उदयपुर सम्भाग के जिलों में स्वीकृत पशु चिकित्सालयों का विवरण निम्नानुसार है:-

| जिला | बहुउददेशीय पशु चिकित्सालय | प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय | पशु चिकित्सालय | कुल |
|---|---|---|---|---|
| उदयपुर | 1 | 36 | 70 | 107 |
| बांसवाड़ा | 1 | 23 | 50 | 74 |
| डूंगरपुर | 1 | 23 | 43 | 67 |
| चित्तौड़गढ़ | 1 | 19 | 44 | 64 |
| राजसमन्द | 1 | 17 | 34 | 52 |
| प्रतापगढ़ | 1 | 12 | 20 | 33 |
| संभाग में कुल | 6 | 130 | 261 | 397 |

जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत वार पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। रिक्त पदों को मानव संसाधन उपलब्धता एवं प्राथमिकता अनुसार भरा जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रश्न संख्या 60

**(स्थगित)**

## रायसिंहनगर में नकली खाद-बीज पर नियन्त्रण की कार्ययोजना

**61. श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नकली खाद बीज की बिक्री के कारण काश्तकारों की फसलों का नुकसान हो रहा है?

(श्रीमती सोनादेवी)

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नकली खाद बीज बेचने के प्रकरणों में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितने प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कोई समिति गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। कृषकों को उच्च गुणवत्ता के कृषि आदानों (उर्वरक एवं बीज) की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग के क्रमशः 400 व 434 अधिकारियो को उर्वरक /बीज निरीक्षक की शक्तियां प्रदत्त की हुई है। इन अधिसूचित निरीक्षकों द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर स्थापित बीज / उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण कर उपलब्ध आदानों के नमूने आहरित किये जाकर राज्य की अधिसूचित प्रयोगशालाओं में विश्लेषण हेतु भिजवाये जाते हैं एवं प्राप्त परिणामो में अमानक पाए जाने पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों /नियमो /आदेशों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नकली खाद बीज बेचने का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) राज्य के कृषकों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदानों (उर्वरक एवं बीज) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि आयुक्तालय के पत्र क्रमांक 35499-658 दिनांक 19.03.2014 द्वारा राज्यस्तरीय एवं जिलास्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया हुआ है। (संलग्न परिशिष्ट-1)

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बांदीकुई में खेल स्टेडियम बनाने की योजना

**62. श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील स्तर पर खेलकूद को बढ़ावा

(श्रीमती अलका सिंह)

देने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बांदीकुई में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना ''खेलो इंडिया'' के अन्तर्गत जिला स्तर पर विभिन्न खेल मैदान बनाये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा गठित समिति की स्वीकृति के पश्चात ब्लॉक/उपखण्ड मुख्यालय पर भी खेल मैदान के लिए भी राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु स्थानीय प्रशासन, विद्यालयों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों आदि के द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाने के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लिया जाता है। योजनान्तर्गत वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार किया जाता है।

(2) खेलो इंडिया योजनान्तर्गत खेल मैदानों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार खेल मैदानों का निर्माण योजनान्तर्गत करवाया जाता है। योजना की गाइडलाइन की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु स्वीकृत राशि

63. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग एवं राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रदेश में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु योजनाएं बनाई जाती हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग व परिषद द्वारा उक्त के लिए सहायता राशि, प्रोत्साहन राशि व अन्य कई मदों में धनराशि उपलब्ध कराने

(श्री जोगाराम पटेल)

की स्वीकृतियां जारी की जाती हैं? यदि हां, तो गत 10 वर्षों में इस हेतु किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि की स्वीकृत जारी की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सहायता राशि, प्रोत्साहन राशि व अन्य राशि को स्वीकृत करने का आधार क्या रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। खेलकूद व स्पोर्ट्स के प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित योजनाएं सम्पादित कराती है:-

1. समस्त जिला मुख्यालय पर जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की हुई है। जिले के प्रचलित खेलों में प्रशिक्षक पदस्थापित कर नियमित प्रशिक्षण, खेल उपकरण, खेल मैदान आदि की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।
2. 21 दिवसीय केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान किया जाता है। नये खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक जिले में प्रतिभा खोज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ग्रीष्मकालीन अवकाश में किया जाता है।
3. खिलाड़ियों को जिला/राज्य संघों के मार्फत पंजीकृत खेल संघों में विभिन्न आयु वर्गों की प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर 300/ रु. प्रतिदिन तथा राष्ट्रीय स्तर पर 500/ रु. प्रतिदिन यात्रा एवं दैनिक भत्ता प्रदान किये जाते हैं।
4. राज्य में वर्तमान में 16 खेल अकादमियां खोली गई हैं जिसमें खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण, खेल उपकरण, आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा एवं यात्रा आदि की सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाती है।
5. राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पूर्व चयनित राज्य के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर उच्च स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा लगाया जाता है।
6. राज्य/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नियमानुसार अनुदान नियम के तहत आर्थिक सहायता

प्रदान की जाती है।

7. राज्य में प्रतिभावान खिलाड़ियों को खोज कर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान कर खेल सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
8. प्रतिभावान एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु विदेश से प्रशिक्षकों को बुलाकर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिलाया जाता है ताकि खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके।
9. समन्वित स्टेडियम एवं विकास कार्यक्रम 2015 के तहत उपखण्ड/ तहसील स्तर पर 8.00 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध होने पर एवं बजट उपलब्ध होने पर निम्नांकित खेल मैदान बनाये जाने प्रस्तावित हैं:-
    1. 200 मी. एथलेटिक्स ट्रैक
    2. बास्केटबाल
    3. वॉलीबाल
    4. खो-खो/कबड्डी मैदान
    5. कार्यालय भवन
    6. जिम्नेजियम का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाता है।
10. अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन हेतु महाराणा प्रताप एवं गुरू वशिष्ठ पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं जिनमें प्रोत्साहन स्वरूप महाराणा प्रताप एवं गुरू वशिष्ठ की प्रतिमा के साथ राशि एक एक लाख रु. दिये जाते हैं।

    इस प्रकार राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु अनेक खेल सुविधा उपलब्ध करवा रही है।

(2) जी हां। युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा खेलकूद व स्पोर्ट्स के प्रोत्साहन हेतु गत 10 वर्षों में जारी की गई स्वीकृतियों का अनुदान शाखा अभिलेखानुसार विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

(3) उक्त सहायता राशि, प्रोत्साहन राशि (अनुदान राशि) राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 1986, 2012 एवं 2016 के अनुसार देय की जाती रही है। नियमों की प्रति परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सौहांस (बाड़ी) को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना

**64. श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार धनौरा से सूरोठी जाने वाले पक्के सड़क मार्ग से राजस्व ग्राम सौहांस को जोडने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के राजस्व गांव सौहांस की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 189 है। इस सड़क को डामर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

## निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का भुगतान

**65. श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कुछ वर्षों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का पूरा भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को कब से भुगतान नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निगम के जयपुर स्थित डीलक्स डिपो में जनवरी, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक कौन-कौन से कार्मिक कब-कब सेवानिवृत्त हुए और उनको कौन-कौन से सेवानिवृत्ति (ग्रेच्यूटी, ओवरटाइम एवं राजपत्रित अवकाशों के भुगतान सहित) कितनी-कितनी राशि के दिये जाने थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) क्या सरकार उक्त सेवानिवृत्त कार्मिक को उक्त परिलाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रतिमाह नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में पेंशन का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

वर्तमान में निगम के 4200 कर्मचारियों का लगभग 300.00 करोड़ रुपये का सेवानिवृति परिलाभ (यथा ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश, पांचवें व छठे वेतनमान के एरियर) बकाया है। उक्त भुगतान निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों को माह फरवरी 2014 की सेवानिवृत्ति से ही नहीं किया गया है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जयपुर स्थित डीलक्स डिपो में जनवरी, 2017 से अब तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के नाम, सेवानिवृत्ति दिनांक व बकाया सेवानिवृत्त परिलाभों की राशि का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) निगम द्वारा सेवानिवृत कार्मिकों को पेंशन का भुगतान प्रतिमाह नियमित रूप से किया जा रहा है।

बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों (ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश, पांचवें व छठे वेतनमान के एरियर) का भुगतान निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर किया जा सकेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

**66. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में स्टेट हाइवे संख्या-8 जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-11 घोषित कर दिया गया है तथा जिसको वर्तमान में झुंझुनूं शहर में रोड नंबर-3 भी कहते हैं, उक्त राजमार्ग वर्तमान में झुंझुनूं, बगड़ शहर, खुडाना आदि स्थानों पर अत्यधिक क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं? यदि हां,

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग सं.11 के झुंझुनूं से हरियाणा सीमा तक एवं झुंझुनूं से फतेहपुर तक डी.पी.आर. बना ली गयी है? यदि हां, तो डी.पी.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त मार्ग का कार्य डी.पी.आर. बनाकर कब तक प्रारम्भ कर पूर्ण कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 04.03.2014 के गजट अधिसूचना द्वारा फतेहपुर-मण्डावा-झुन्झुनूं-चिड़ावा-सिंघाना-नारनौल-देवारी (हरियाणा) को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 घोषित किया गया। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के एस.एच. संख्या-8 के किमी. 52/300 (पीरूसिंह सर्किल, झुन्झुनूं) से किमी. 86/600 (सूरतगढ़ मोड़ चिड़ावा) का भाग सम्मिलित है। इसी भाग में झुन्झुनूं शहर की रोड नम्बर 3 पीरूसिंह सर्किल से अग्रसेन चौराहे तक शामिल है।

झुन्झुनूं, बगड शहर, खुडाना में आबादी क्षेत्र में सड़क क्षतिग्रस्त है, जिसका पैच। मरम्मत का कार्य करवा दिया गया है एवं किमी. 52/300 से किमी. 84/00 तक सुदृढ़ीकरण हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राशि रुपये 44.94 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 11.09.2017 को प्राप्त हो गई है। कार्य की निविदा आमंत्रित कर ली गई है, जो दिनांक 29.11.2017 को प्राप्त की जानी है।

(2) चिड़ावा से सिंघाना होते हुए हरियाणा सीमा तक के सड़क का कार्य राज्य बी.ओ.टी. के अन्तर्गत किया गया है, जिस कारण इस सड़क की डी.पी.आर. तैयार नहीं की जा रही है। वर्तमान में बी.ओ.टी. के अन्तर्गत टोल प्लाजा संचालित किया जा रहा है। फतेहपुर से झुन्झुनूं तक की किमी. 0/0 से 52/300 तक टू लेन मय पेव्ड शोल्डर (10 मीटर चौड़ी डामर सड़क) की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

डी.पी.आर. स्वीकृति का कार्य मोर्थ भारत सरकार के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। वित्तीय स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में अपेक्षित है।

(3) फतेहपुर से झुन्झुनूं (टू लेन मय पेव्ड शोल्डर) का कार्य दो पैकेज में करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रथम पैकेज के अन्तर्गत फतेहपुर से मण्डावा (किमी. 5/975 से 19/525) तथा मण्डावा से झुन्झुनूं (किमी. 26/500 से 41/200) तक का भाग सम्मिलित है। इस कार्य की सम्भावित लागत 117.20 करोड़ रुपये है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में मोर्थ भारत सरकार में स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, जिसके इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है। वर्तमान सड़क (कुल लम्बाई 27.85 किमी.) का कार्य द्वितीय पैकेज के अन्तर्गत फतेहपुर-मण्डावा व झन्झुनूं में बाईपास बनाने का कार्य प्रस्तावित है। उक्त बाईपास के लिए भूमि अवाप्ति का कार्य प्रगति पर है। सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.) की नियुक्ति एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3(a) के तहत भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.04.2017 को हो चुका है। 3(A) का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी (भू-अवाप्ति) व उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं व फतेहपुर के द्वारा सत्यापन का कार्य प्रगति पर है। फतेहपुर बाईपास पर एक आर.ओ.बी. का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसकी जी.ए.डी. रेलवे विभाग द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

## प्रदेश में ग्रीन टैक्स समाप्त करने की योजना

**67. श्री रमेश** (सपोटरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में ग्रीन टैक्स की वसूली की जा रही है? यदि हां, तो कब से एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जून, 2017 तक कुल कितना ग्रीन टैक्स वसूल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त टैक्स से प्राप्त राशि का कहां-कहां एवं क्या-क्या उपयोग किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश)

(4) क्या सरकार उक्त टैक्स को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों पर मार्च, 2006 से ग्रीन टैक्स की राशि वसूल की जा रही है। यह राशि RTIDF फण्ड के लिए वसूल की जाती है जिसका उपयोग स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जाता है। यह कर मोटर वाहनों से हो रहे वायु जनित प्रदूषण से आम आदमी के स्वास्थ्य पर हो रहे कुप्रभाव को कम करने एवं पुराने वाहनों के प्रयोग को निरूत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है तथा इस कर से प्राप्त राशि का प्रयोग मोटर वाहनजनित प्रदूषण पर अंकुश एवं नियंत्रण करने हेतु आधारभूत ढांचे के विकास के लिए किया जाता है।

(2) सरकार द्वारा वसूल किए गए ग्रीन टैक्स की राशि का विवरण (परिशिष्ट-1) संलग्न है।

(3) सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषणरहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात प्रबंधन हेतु राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (आरटीआइडीएफ) का गठन किया गया है।

उक्त निधि में परिवहन विभाग के माध्यम से ग्रीन टैक्स एवं सरचार्ज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि सम्मिलित होती है।

स्टॉम्प एवं पंजीयन विभाग के माध्यम से स्टॉम्प ड्यूटी पर 30 प्रतिशत सरचार्ज की राशि संग्रहित की जाती है। इस प्रकार उक्त निधि में उपलब्ध कुल राशि का उपयोग अनुदान एवं ऋण राशि उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में किया जा रहा है। उक्त निधि में वर्ष 2011-12 से 2017-18 (upto July, 2017) तक संग्रहित राशि जिसमें ग्रीन टैक्स के रूप में वसूल की गई राशि भी सम्मिलित है, में से वर्षवार एवं एजेन्सीवार उपलब्ध करवाई गई अनुदान/ऋण राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "2" पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। इस प्रकार की कोई कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## टोंक जिले में फ्लोराइडयुक्त गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

**68. श्री अजीत सिंह** (टोंक): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोंक जिले में किन-किन गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले के फ्लोराइडयुक्त गांवों को स्वच्छ व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार टोंक जिले के चार विधान सभा क्षेत्रों के 213 ग्रामों के स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है।

विधान सभा क्षेत्रवार सम्मिलित ग्रामों के संबंध में वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। टोंक जिले के 6 कस्बों एवं 1116 आबाद ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत 5 पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति जारी की गई है तथा इन परियोजनाओं से जिले के 6 कस्बों एवं 623 ग्रामों को बीसलपुर बांध आधारित जल योजनाओं से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है। जिले के शेष 493 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु 3 परियोजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा इन परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से माह मार्च, 2018 तक पूर्ण करना अपेक्षित है।

टोंक जिले में सतही जल स्रोत आधारित उक्त पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति, इन पर अब तक हुए व्यय एवं प्रगतिरत परियोजनाओं को पूर्ण करने संबंधी वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## विधान सभा नगर (धौलाई) जयपुर में स्वीकृत पेयजल योजना

**69. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'** (चित्तौड़गढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के मानसरोवर स्थित आवासीय कॉलोनी विधान सभा नगर (धौलाई) के लिये गत बजट सत्र में सरकार द्वारा पेयजल योजना स्वीकृत करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना में कितनी राशि स्वीकृत की गई व उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कॉलोनी में आमजन पेयजल की समस्या से ग्रसित है, जिसकी लिखित में शिकायत संबंधित अधिकारियों एवं सरकार को भी स्थानीय निवासियों द्वारा की गई है? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। अपितु वित्तीय वर्ष 2016-17 में जयपुर शहर के मानसरोवर स्थित आवासीय कॉलोनी विधान सभा नगर (धौलाई) हेतु पेयजल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय वित्त समिति की 703वीं बैठक दिनांक 29.04.2016 के द्वारा राशि रुपये 494.59 लाख की जारी की गई थी।

विधान सभा नगर सहित पृथ्वीराज नगर एवं आस-पास के घनी आबादी के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध आधारित बनाई गई बीसलपुर-पृथ्वीराज नगर योजना की तकनीकी समिति की 657वीं बैठक दिनांक 12.09.2017 द्वारा तकनीकी सहमति राशि रुपये 854.22 करोड़ की प्रदत्त की गई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा रुपये 60.00 करोड़ की राशि विभाग में जमा कराई गई है तथा शेष राशि के प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमोदन

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

हेतु भिजवाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। परियोजना का क्रियान्वयन आवश्यक समस्त स्वीकृतियों के उपरान्त प्रारम्भ किया जायेगा।

अत: राशि रुपये 494.59 लाख की स्वीकृत उक्त योजना का पृथक से क्रियान्वयन करना तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं रहा है।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार।

(3) विधान सभा नगर (धौलाई), पृथ्वीराज नगर में वर्तमान में निजी नलकूपों एवं टैंकरों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। पेयजल की मांग एवं आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा टैंकर परिवहन से पेयजल भी उपलब्ध कराया जाता है।

## जगतपुरा जयपुर में पेयजल योजना में अनियमितता पर कार्यवाही

**70. श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जगतपुरा जयपुर की पेयजल योजना के निर्माण कार्यो में हुए 145 करोड़ रुपये के घोटाले में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घोटाले में किन अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है? क्या उनको सरकार द्वारा बर्खास्त किया गया है?

(3) फर्म विष्णु प्रकाश को वर्कऑर्डर देने में किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी की संलिप्तता रही? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्णित पेयजल परियोजना में कथित रुपये 145.00 करोड़ के घोटाले की सूचना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। वस्तुत: जयपुर शहर के जगतपुरा, प्रताप नगर एवं महल रोड क्षेत्र को बीसलपुर बांध आधारित पेयजल योजना से लाभान्वित करने हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु विभागीय नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 द्वारा राशि रुपये 152.02 करोड़ स्वीकृत हुई थी। इसमें निर्माण कार्यों से संबंधित तीन पैकेज राशि रुपये 112.60 करोड़ एवं पैकेज

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

संख्या 4 अंतर्गत विद्युत संबंध हेतु रुपये 10.09 करोड़, इस प्रकार कुल रुपये 122.69 करोड़ के चार पैकेजों का विभाजन तकनीकी समिति की 589वीं बैठक दिनांक 03.09.2013 द्वारा किया गया।

परियोजना के निर्माण कार्यों के तीन पैकेजों में से पैकेज संख्या 1 निविदा राशि रुपये 2.60 करोड़ के अन्तर्गत कार्यादेश राशि रुपये 2.36 करोड़ (जवाहर सर्किल पम्पिंग स्टेशन पर 3 पम्पसैट्स बदलने का कार्य) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

पैकेज संख्या 2 निविदा राशि रुपये 60.00 करोड़ (मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन, राइजिंग मैन एवं परियोजना सीमा पर रिंग मैन पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने) के कार्य कराने हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

पैकेज संख्या 3 (निविदा राशि रुपये 50.00 करोड़) के अंतर्गत पम्प हाउस एवं जलाशयों के निर्माण कार्य हेतु मैसर्स विष्णु प्रकाश आर. पुंगलिया, जोधपुर को राशि रुपये 48.99 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 14.08.2014 को जारी किया जाकर इस पैकेज का कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। इस पर अब तक रुपये 7.68 करोड़ का व्यय हुआ है।

पैकेज संख्या 3 से संबंधित निविदा संख्या 3/2013-14 के संबंध में लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर में एक परिवाद दायर है तथा लोकायुक्त द्वारा पूछे गये 3 बिन्दुओं पर विभागीय टिप्पणी दिनांक 16.05.2017 को प्रेषित की जा चुकी है एवं प्रकरण लोकायुक्त कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा यह प्रकरण समस्त तथ्यों सहित वित्त विभाग को परीक्षण हेतु भी प्रेषित किया जा चुका है।

(2) माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम सं. 2, जयपुर के आदेश दिनांक 22.06.2017 के क्रम में पुलिस थाना, गांधी नगर, जयपुर (पूर्व) में अभियोग संख्या 309/2017 दर्ज किया गया है। संबंधित थानाधिकारी के पत्र दिनांक 05.07.2017 के द्वारा प्रकरण के उचित अनुसंधान हेतु चाही गई सूचना/रिकॉर्ड/दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। पुलिस अनुसंधान के पूर्ण होने पर माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) उक्त परियोजना के पैकेज-3 हेतु जारी निविदा संख्या 3/13-14 के अंतर्गत फर्म मैसर्स विष्णु प्रकाश आर.पुंगलिया लिमिटेड, जोधपुर को कार्यादेश जारी किया गया था। उक्त निविदा में भाग लेने वाले अन्य संवेदक द्वारा श्री पुंगलिया के खिलाफ की गई शिकायत पर अनुबंधक फर्म मैसर्स विष्णु प्रकाश आर.पुंगलिया लिमिटेड, जोधपुर से शिकायत के तथ्यों की पुष्टिकरण बाबत् आवश्यक सूचना एवं दस्तावेज मांगे गये थे। तत्समय फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन हेतु कुछ अन्य दस्तावेज एवं सूचनाएं पुन: मांगी गई थीं। विभाग द्वारा अनुबंधक फर्म को बार-बार लिखे जाने के उपरांत भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने तथा संतोषजनक प्रति उत्तर नहीं दिये जाने के कारण वित्त समिति की बैठक संख्या 690 दिनांक 08.10.2015 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में अनुबंधक फर्म को जारी उक्त कार्यादेश दिनांक 12.10.2015 को निरस्त किया गया।

प्रकरण में माननीय एकल पीठ, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में अनुबंधक फर्म मैसर्स विष्णु प्रकाश आर.पुंगलिया लिमिटेड, जोधपुर द्वारा पंजीकरण एवं ठेका निरस्त करने बाबत्, वाद दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.04.2016 से कार्यादेश निरस्तीकरण आदेश दिनांक 12.10.2015 को अपास्त कर दिया गया।

उक्त फैसले के खिलाफ विभाग द्वारा माननीय खण्डपीठ, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में अपील दायर की गई। माननीय खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 25.04.2016 द्वारा विभाग को अनुबंधक फर्म को पुन: कारण बताओ नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा प्राप्त प्रति-उत्तर पर समुचित निर्णय लेकर स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिये। विभाग द्वारा अनुबंधक फर्म को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में संवेदक फर्म द्वारा प्रति उत्तर एवं आवश्यक दस्तावेज दिनांक 18.08.2016 के द्वारा विभाग में प्रस्तुत किये गये।

फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रति उत्तर/दस्तावेजों एवं पूर्ण प्रकरण की विस्तृत विवेचना विभाग की वित्त समिति की 713वीं बैठक दिनांक 21.12.2016 में की गई एवं समिति ने फर्म को दिये गये कार्यादेश दिनांक 14.08.2014 को

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

प्रभावी करने का निर्णय लिया। समिति के निर्णयों के सार की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पीलीबंगा के गांवों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

**71. श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में वर्तमान में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में फ्लोराइडयुक्त पानी की आपूर्ति की जा रही है? गांवों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा पूर्व में कालीबंगा-बडोपल आदि गांवों के धरातल के पानी की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो पानी में फ्लोराइड कितनी मात्रा में पाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। प्रदेश में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु लघुकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है।

(क) लघुकालिक उपायों के अंतर्गत प्रदेश में आर.ओ. संयंत्र एवं सौर ऊर्जा आधारित पेयजल पम्पिंग सिस्टम मय डि-फ्लोरिडेशन इकाई के निर्माण एवं स्थापना का कार्य किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) तीन चरणों में 3152 आर.ओ. संयंत्र के निर्माण एवं स्थापना कार्य की जारी स्वीकृति के विरुद्ध 1919 आर.ओ. संयंत्र अब तक स्थापित किये गये हैं। 1171 संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य मार्च, 2018 तक पूर्ण करना अपेक्षित है। शेष 62 संयंत्रों के स्थापना कार्य हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(ब) सौर ऊर्जा आधारित 1520 पेयजल पम्पिंग सिस्टम मय डि-फ्लोरिडेशन इकाई के निर्माण एवं स्थापना कार्य के विरुद्ध 879 पेयजल पम्पिंग सिस्टम मय डि-फ्लोरिडेशन इकाई की स्थापना का कार्य अब तक पूर्ण किया गया है। शेष 641 का कार्य माह जनवरी, 2018 तक पूर्ण करना अपेक्षित है।

(ख) दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत सतही जल स्रोतों आधारित वृहद् पेयजल परियोजनाओं से प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अब तक 118 वृहद् पेयजल परियोजनाएं अनुमानित राशि रुपये 32932.19 करोड़ की स्वीकृत की गई हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं से 103 शहर, 15749 ग्राम एवं 12276 ढाणियों को लाभान्वित करने के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध माह सितम्बर, 2017 तक 62 शहर, 5993 ग्राम एवं 5243 ढाणियों को लाभान्वित किया गया है।

उक्त परियोजनाओं में से 60 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा शेष परियोजनाओं के विभिन्न पैकेजों का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा ये परियोजनाएं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार पूर्ण की जानी अप्रेक्षित हैं।

(2) भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 01.01.2017 की स्थिति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में फ्लोराइड एवं अन्य अशुद्धियों से कोई ग्राम प्रभावित नहीं है।

क्षेत्र में विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित 567 ग्रामों में पेयजल गुणवत्ता के निर्धारित मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, पीलीबंगा की क्षेत्रीय जल योजना, 46 एस.एस.डब्ल्यू. के मुख्य जल स्रोत ग्राम कालीबंगा (46 एस.एस.डब्ल्यू.) में निर्मित नलकूपों से, ग्राम कालीबंगा (46 एस.एस.डब्ल्यू.) एवं ग्राम 47 एस.एस.डब्ल्यू. में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। नलकूपों से उक्त दोनों ग्रामों में उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा 1.47 मिलीग्राम प्रति लीटर है जो निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा में है। रासायनिक जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त क्षेत्र के ग्राम बडोपल बारानी सहित कुल 6 ग्रामों में क्षेत्रीय जल योजना, 18 एस.पी.डी.-ए से वर्तमान में स्वच्छ नहरी पेयजल उपलब्ध कराया

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम बडोपल बारानी में 4 हैण्डपम्पों से भी पेयजल उपलब्ध हो रहा है। ग्राम में क्षेत्रीय जल योजना अंतर्गत नहर एवं हैण्डपम्पों से उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा में है। हैण्डपम्पों से उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा के संबंध में रासायनिक जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सीकर जिले में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कार्ययोजना

**72. श्री रतन लाल जलधारी** (सीकर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर जिले में सरकार द्वारा वर्ष 2014 से अगस्त, 2017 के मध्य पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्या-क्या योजना बनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त अवधि के दौरान कितने हैण्डपम्प, सिंगल फेज, थ्री फेज व टंकियों की स्वीकृतियां जारी की गईं? विधान सभावार, क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले की पेयजल समस्या के समाधान के लिए कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सीकर जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु वर्ष 2014 से माह अगस्त, 2017 की अवधि में पेयजल संबंधी स्वीकृत योजनाएं एवं अन्य विभिन्न कार्य तथा इनके विरुद्ध पूर्ण की गई योजनाओं / कार्यों संबंधी पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2014 से माह अगस्त, 2017 की अवधि में सीकर जिले की उक्त स्वीकृत योजनाओं/कार्यों में से विधान सभा क्षेत्र, सीकर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 66 हैण्डपम्प, सौर ऊर्जा आधारित 10 पम्पिंग सिस्टम, सौर ऊर्जा आधारित 1 पम्पिंग सिस्टम मय डि-फ्लोरिडेशन यूनिट, 37 थ्री-

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

फेज नलकूप मय पाइप लाइन तथा 3 संवर्धन / पुनर्गठित जल योजनाओं अंतर्गत 3 उच्च जलाशय, 1 स्वच्छ जलाशय एवं 2 भू-तल जलाशयों के निर्माण की स्वीकृति जारी हुई। इसके अतिरिक्त 4 आर.ओ.संयंत्र के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गई है।

उक्त स्वीकृत योजनाओं / कार्यों तथा इनकी वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल आधारित एकीकृत तारानगर-झुन्झुनूं-सीकर-खेतड़ी वृहद् पेयजल परियोजना अंतर्गत सीकर जिले के शेष 6 कस्बों (सीकर, नीमकाथाना, खण्डेला, श्रीमाधोपुर, लोसल एवं रींगस), 865 ग्राम एवं इनकी ढाणियों तथा झुन्झुनूं जिले के शेष 5 कस्बे, 269 ग्राम एवं इनकी ढाणियों में पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान हेतु सतही जल स्रोत (नहरी पानी) उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कार्य व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु राशि रुपये 453.63 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17.01.2017 को जारी की गई है। सर्वे एवं डी.पी.आर. के कार्य हेतु सलाहकार फर्म मैसर्स पीडीकोर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दरों के अनुमोदन संबंधी कार्यवाही सक्षम स्तर पर प्रक्रियाधीन है। सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त कार्यादेश जारी कर उक्त कार्य करवाया जाएगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को टोरडी सागर बांध में डालने की योजना

**73. श्री कन्हैयालाल** (मालपुरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को टोरडी सागर बांध में डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बीसलपुर बांध के नीचे आने-जाने के लिए पुलिया बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। बीसलपुर बांध से ओवरफ्लो होने वाले पानी का उपयोग स्वीकृत ईसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजन की जल आवक गणना में सम्मिलित किया होने से, टोरडी सागर बांध में डाला जाना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। बांध से संबंधित उपयोग हेतु पुलिया की आवश्यकता नहीं होने से, पुलिया निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

## मेजा फीडर (भीलवाडा) में कराये गये कार्यो में अनियमितता की जांच

**74. श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश क्रमांक जिपभी/पंचायत/2015/434 दिनांक 24 जून, 2015 के अनुसार विभाग द्वारा मेजा फीडर पर कराये गये कार्य में अनियमितताओं के संबंध में गठित जांच कमेटी का जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर को प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सहित उस पर की गई कार्यवाही (Action Taken Report) का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जांच प्रतिवेदन के पैरा तीन (3) टैण्डर प्रक्रिया में सात आक्षेप लगाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त प्रत्येक आक्षेप पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें

(3) क्या यह भी सही है कि जांच प्रतिवेदन के पैरा चार(4) रनिंग बिल में A,B,C,D,E बिन्दुओं में अनियमितताओं को उजागर किया गया है? यदि हां, तो उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जांच प्रतिवेदन के पैरा 5 से 16 (यथा 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16) में गंभीर आक्षेप लगाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त आक्षेपों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में भी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए उन पर कार्यवाही की सिफारिश की गई है? यदि हां, तो उक्त सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जांच रिपोर्ट के परीक्षण उपरान्त दोषी पाये जाने पर अधिकारियों/ कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जाकर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

(3) जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जाकर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

(4) जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जाकर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

(5) जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जाकर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बीसलपुर बांध को ब्राह्मणी नदी से जोड़ने की योजना

**75. श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बीसलपुर बांध को ब्राह्मणी नदी से जोड़ने की कोई योजना बनायी गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में कितनी राशि व्यय होने एवं कार्य कब तक पूरा होना निर्धारित था? क्या सरकार अब उक्त योजना को शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। बीसलपुर बांध को ब्राह्मणी नदी से जोड़ने हेतु डी.पी.आर. तैयार कर दिनांक 06.10.2016 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को तकनीकी एवं वित्तीय उपादेयता परीक्षण हेतु भिजवाई गई है।

(2) परियोजना की अनुमानित लागत राशि रुपये 5803 करोड़ है।

(जल संसाधन मंत्री)

योजना के पूर्ण होने के वर्ष का निर्धारण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संसाधन उपलब्धतानुसार, स्वीकृति उपरांत किया जाना प्रस्तावित है।

## प्रदेश में जल संरक्षण हेतु कार्ययोजना

**76. श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में जल संरक्षण हेतु संवेदनशील है? यदि हां, तो इस हेतु प्रदेश स्तर पर क्या कार्य योजना बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जल संरक्षण हेतु विभागीय स्तर पर कौन-कौन से प्रोजेक्ट की डी.पी.आर. तैयार की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। प्रदेश में जल संरक्षण हेतु सरकार द्वारा फोर वाटर कन्सेप्ट (FWC), मुख्य मंत्री जल स्वालम्बन योजना (MJSA), डब्ल्यू एच एस योजना के तहत सूक्ष्म/लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण एवं परम्परागत जल स्त्रोतों एवं पूर्व निर्मित संरचनाओं का पुनरूद्वार/ जीर्णोद्धार के कार्य करवाये जा रहे हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जल संसाधन विभाग द्वारा जल संरक्षण हेतु तैयार की गई डी.पी.आर. के अंतर्गत कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जल संरक्षण कार्यों हेतु प्रस्तावित कार्यों की सूची।

| क्र. सं. | कार्य का नाम | मद | डीपीआर की राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | Repair and restoration of Guda diversion bund & stregthening of Meli feeder | ERM | 196.38 |
| 2 | Repair and restotation of Meli bund & canal | ERM | 38.30 |
| 3 | Construction of Micro storage Tank of pipla nala kundal | WHS | 79.10 |

## हनुमानगढ़ जिले में सरकारी कार्यालयों के लिए भवन निर्माण की योजना

**77. श्री संजीव कुमार** (भादरा): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिले में अनेक सरकारी कार्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं? यदि हां, तो कब से व वर्तमान में प्रत्येक कार्यालय द्वारा कितनी-कितनी राशि किराये के रूप में प्रतिवर्ष दी जा रही है? कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में किराये के भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालयों की विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भवनविहीन कार्यालयों हेतु बजट आवंटित कर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। यह सही है कि जिले में कई सरकारी कार्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं:-

| क्र.सं. | नाम कार्यालय | कब से संचालित है | प्रतिवर्ष किराये के रूप में दी जा रही राशि का विवरण (वर्ष 2016-17) |
|---|---|---|---|
| 1 | चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ई.एस.आई डिस्पेंसरी हनुमानगढ़ | वर्ष 1987 से | 14,112 |
| 2 | प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल संगरिया | 1 अप्रैल 2009 से | 1,12,800 |
| 3 | बाल विकास परियोजना अधिकारी, संगरिया | जून 2010 से | 1,20,000 |
| 4 | प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल हनुमानगढ़ | 20 जून 2016 से | 1,14,000 |

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Asstt. Central Intelligence officer I.B. (MHA) Govt. of India, Hanumangarh | 1994 से | 84,000 |
| 6 | बाल विकास परियोजना अधिकारी समेकित बाल विकास सेवाएं पीलीबंगा | अप्रैल 2010 से | 92,670 |
| 7 | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राजकीय छात्रावास नोहर | 05.07.2001 से | 1,76,220 |
| 8 | सावित्री बाई फूले कन्या राजकीय छात्रावास, रावतसर | 06.01.2007 से | 1,41,600 (जनवरी 2017 से राजकीय भवन में स्थानांतरित |
| 9 | कार्यालय अभियोजन अधिकारी एसीजेएम कोर्ट, नोहर | 1997 से | 39,144 |
| 10 | बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं भादरा | अगस्त 2011 से | 64,980 |
| 11 | office of SE, PIU, Hanumangarh for execution of work under phase III | आदिनांक तक किराये का भवन नहीं लिया गया है | आदिनांक तक किराये का भवन नहीं लिया गया है |
| 12 | वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत ए हनुमानगढ़ | 1969 से | रु. 104400 |

(2) वर्ष 2016-17 में निम्न कार्यालयों को भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं:-

| **क्र.सं.** | **नाम कार्यालय** |
|---|---|
| **विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़** | |
| 1 | चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ई.एस.आई डिस्पेंसरी हनुमानगढ़ |
| 2 | प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल हनुमानगढ़ |

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

| क्र.सं. | नाम कार्यालय |
|---|---|
| 3 | Asstt. Central Intelligence officer I.B. (MHA) Govt. of India, Hanumangarh |
| 4 | Office of SE, PIU, Hanumangarh for execution of Work under Phase III |
| 5 | वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत ए हनुमानगढ़ |
| **विधान सभा क्षेत्र संगरिया** | |
| 1 | प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल संगरिया |
| 2 | बाल विकास परियोजना अधिकारी, संगरिया |
| **विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा** | |
| 1 | बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं पीलीबंगा |
| 2 | सावित्री बाई फूले कन्या राजकीय छात्रावास, रावतसर |
| **विधान सभा क्षेत्र नोहर** | |
| 1 | डॉ.बी.आर. अम्बेडकर राजकीय छात्रावास नोहर |
| 2 | कार्यालय अभियोजन अधिकारी एसीजेएम कोर्ट, नोहर |
| **विधान सभा क्षेत्र भादरा** | |
| 1 | बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं भादरा |

(3) उक्त विभागों हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## कोटा शहर में पाइपलाइन से गैस आपूर्ति की योजना

**78. श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा कोटा शहर के उपभोक्ताओं के लिये घर-घर में गैस पाइपलाइन द्वारा गैस उपलब्ध करवाने की योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त योजना के तहत अब तक कोटा शहर के कितने उपभोक्ताओं को गैस पाइपलाइन द्वारा गैस उपलब्ध करवाई गई?

(3) क्या सरकार शेष उपभोक्ताओं को पाइप लाइन द्वारा शीघ्र गैस उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी हां। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस रेग्युलेटरी बोर्ड, केन्द्र सरकार द्वारा कोटा शहर के उपभोक्ताओं को घर-घर गैस पाइप लाइन से उपलब्ध कराने हेतु गेल गैस लिमिटेड को अधिकृत किया गया, जिसके फलस्वरूप हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाइन से कोटा शहर को जोड़कर तीन सी.एन.जी. स्टेशन विकसित किये गये हैं। कोटा शहरी गैस वितरण नेटवर्क को बिजनस ट्रांसफर एग्रीमेंट दिनांक 18.04.2017 के अनुसरण में राज्य सरकार एवं गेल गैस लिमिटेड की जे.वी. कम्पनी राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा।

(2) इस योजना के तहत अब तक कोटा शहर में 241 घरेलू उपभोक्ताओं एवं 17 औद्योगिक उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के माध्यम से गैस उपलब्ध कराई गई तथा लगभग 6421 वाहनों में सीएनजी स्टेशनों से गैस भराई गई।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने जे.वी. कम्पनी राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के माध्यम से शेष उपभोक्ताओं को चरणबद्ध तरीके से पाइप लाइन द्वारा गैस उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

प्रथम चरण (अप्रैल, 2018 तक)- कुल 3000 घरेलू कनेक्शन, 24 औद्योगिक कनेक्शन एवं 9 वाणिज्यिक कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित।

दूसरे चरण (वित्त वर्ष 2018-19) - कुल 9000 घरेलू कनेक्शन, 27 औद्योगिक कनेक्शन एवं 21 वाणिज्यिक कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित।

तृतीय चरण (वित्त वर्ष 2019 से 2022 तक) - कुल 20000 घरेलू कनेक्शन, 43 औद्योगिक कनेक्शन एवं 34 वाणिज्यिक कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित।

## सिकराय में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्य सामग्री का वितरण

**79. श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती गीता वर्मा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना से ऐसे नामों को पृथक कर दिया गया है जो कि वास्तविकता में पात्र हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र सिकराय में उक्त योजना के पात्र लोगों को समय पर खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है? यदि हां, तो किन मानदण्डों के अनुसार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में डीलरों को समय पर खाद्य सामग्री वितरण के लिये दी जाती है? यदि हां, तो जनवरी, 2015 से सितम्बर, 2017 तक के रोस्टर या दी जाने वाली सामग्री का ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में से वास्तविक पात्र परिवारों/लाभार्थियों के नामों को पृथक नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्डों के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 20.07.2017 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार एवं अन्य चयनित पात्र लाभार्थियों को 05 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिकराय में डीलरों को जनवरी, 2015 से सितम्बर, 2017 तक उपलब्ध कराई गई खाद्य सामग्री का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## गंगा मंदिर, भरतपुर के किरायेदारों के नामान्तरण के आवेदन

**80. श्री अमृतलाल** (सलूम्बर): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गंगा मंदिर, भरतपुर के अधीन कितनी दुकानें हैं तथा उक्त दुकानें

(श्री अमृतलाल)

किस-किस व्यक्ति को कब-कब किराये पर दी गयी? नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दुकानों पर काबिज किरायेदारों के उत्तराधिकारियों द्वारा किरायेदारी नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस दुकान की किरायेदारी नामान्तरण हेतु कब-कब आवेदन प्राप्त हुए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गंगा मंदिर भरतपुर में स्थित दुकान नंबर 51 से 58 तक का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) देवस्थान विभाग के गंगा मंदिर भरतपुर की कुल 139 दुकानें हैं। उक्त दुकानें किस-किस व्यक्ति को कब-कब किराये पर दी गयी, का नाम पता सहित विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) जी हां। 14 प्रकरणों में किरायेदारों के उत्तराधिकारियों द्वारा किरायेदारी नामान्तरण हेतु आवेदन किया। किस-किस दुकान के किरायेदारी नामान्तरण हेतु कब-कब आवेदन विभाग को प्राप्त हुये तथा उन पर विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट- 2 संलग्न है।

(3) गंगा मंदिर, भरतपुर में स्थित दुकान नम्बर 51 से 58 का पूर्ण विवरण परिशिष्ट- 3 संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## करौली के राजकीय मंदिरों में अवैध निर्माण पर कार्यवाही

**81. श्री दर्शन सिंह** (करौली): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माह जनवरी, 2017 से 31 अगस्त, 2017 तक करौली शहर में स्थित विभाग के मंदिरों के पुजारियों द्वारा विभाग की सम्पत्तियों पर बिना विभाग की स्वीकृति/अनुमति के निर्माण कार्य करवाये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब व किस-किसके द्वारा तथा किन-किन मंदिरों की? मंदिर व शिकायतकर्ता के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री दर्शन सिंह)

(2) क्या उक्त मंदिरों के पुजारियों द्वारा मंदिर की सम्पत्ति पर बिना स्वीकृति के कोई नवीन निर्माण कार्य करवाया जा सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि मंदिर श्री राधा दामोदर जी, बड़ा बाजार, करौली की पार्क/खाली जमीन पर मंदिर के पुजारी द्वारा हरे पेड़ों को कटवाकर अवैध रूप से मकान व दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है? यदि हां, तो किसके आदेश से व किन नियमों के तहत तथा क्या इस संबंध में विभाग को कोई शिकायत भी प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को रुकवाकर निर्माणकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। देवस्थान विभाग के अंतर्गत विद्यमान मंदिर श्री राधा दामोदर जी, बड़ा बाजार करौली के संबंध में दूरभाष पर मौखिक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा नाम नहीं बताया गया। इसके अतिरिक्त देवस्थान विभाग के अन्तर्गत विद्यमान करौली जिला विशेष के किसी मंदिर के सम्बन्ध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में 14वीं विधान सभा के आठवें सत्र (अंत:कालीन सत्र) में प्रश्न संख्या 8418 (1-47) उठाया गया है।

(2) देवस्थान विभाग के मंदिर के पुजारियों द्वारा मंदिर की सम्पत्ति पर विभाग की बिना स्वीकृति के कोई नवीन निर्माण कार्य नहीं करवाया जा सकता है। अलग-अलग श्रेणी के मंदिरों के लिए अलग-अलग प्रावधान है। प्रत्यक्ष प्रभार व आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिर हेतु विभाग के विकास कार्य की मांग अनुरूप विभाग द्वारा विचार कर राशि स्वीकृत की जाती है। सुपुर्दगी श्रेणी के मंदिरों के सम्बन्ध में सुपुर्दगार से तहरीर कराये जाने वाले अनुबन्ध पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

(3) मंदिर श्री राधा दामोदर जी, बड़ा बाजार करौली की खाली जमीन पर मंदिर के पुजारी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध निर्माण करवाया जा रहा था। इस संबंध में विभाग को कोई अभिलिखित शिकायत जनवरी 2017 के 31 जुलाई 2017 के मध्य प्राप्त नहीं हुई। दूरभाष पर इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर निरीक्षक, देवस्थान विभाग, करौली से शिकायत की जांच करवाई गई। दिनांक 19.7.2017 को मौके पर निर्माण कार्य निरीक्षक द्वारा बन्द करवाया गया एवं पुजारी को तलब कर निर्माण कार्य नहीं करने के निर्देश दिये गये। पुजारी द्वारा पुन: निर्माण कार्य आरंभ करने पर उनके विरुद्ध पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 0367/2017 दर्ज करायी गयी। (परिशिष्ट-2)

(4) मंदिर श्री राधा दामोदर जी, बड़ा बाजार करौली में अवैध निर्माण करने की सूचना मिलने के कारण निर्माणकर्ता पुजारी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए एफआईआर सं. 0367/2017 दर्ज कराई गयी तथा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## मावली के महिला स्वयं सहायता समूहों को राशि का आवंटन

**82. श्री दलीचन्द डांगी** (मावली): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली के कुल कितने राजस्व ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं व किन-किन राजस्व ग्रामों में स्वीकृत नहीं है तथा कितने नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव सरकार को गत दो वर्षों में प्राप्त हुए हैं?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं? यदि हां, तो उक्त समूहों पर सरकार द्वारा गत दो वर्षों में कितनी राशि समूह संचालन के लिए जारी की गई? पंचायतवार समूह का आय-व्यय प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली के अन्तर्गत तीन परियोजनाएं क्रमश: मावली, गिर्वा एवं बडगांव संचालित हैं, जिनमें राजस्व ग्रामों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति निम्नानुसार है:-

| **क्र.सं.** | **परियोजना का नाम** | **राजस्व गांव में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र** | **आंगनबाड़ी केन्द्र विहीन राजस्व गांव की संख्या** |
|---|---|---|---|
| 1 | मावली | 182 | 41 |
| 2 | गिर्वा | 38 | 04 |
| 3 | बडगांव | 26 | 02 |
| **कुल** | | **246** | **47** |

विभाग में मावली विधान सभा क्षेत्र के गत दो वर्षों में 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 06 प्रस्ताव निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर 06 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये। शेष 09 प्रस्ताव मापदण्ड पूर्ण नहीं करने पर निरस्त कर दिये गये।

(2) विभाग द्वारा मांग पर आधारित आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र एवं नोर्म्स के अनुसार प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मावली के अन्तर्गत परियोजना मावली में 226, परियोजना गिर्वा में 46 एवं परियोजना बडगांव में 26 महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को संचालन के लिए राज्य सरकार से कोई राशि आवंटित नहीं की जाती है।

## आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चों को देय छात्रवृत्ति

**83. श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्य कर्ताओं के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है? यदि हां, तो इसके क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(2) गत तीन वर्षों में कितने बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार छात्रवृत्ति वितरण नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

## नागौर जिले में बड़ा सीमेन्ट प्लान्ट लगाने के लंबित आवेदन

**84. श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

नागौर जिले में बड़ा सीमेंट प्लांट लगाने के लिए अम्बूजा सीमेंट के अलावा कितनी कम्पनियों के प्रार्थना पत्र कब से लंबित हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

नागौर जिले में सीमेन्ट प्लांट स्थापित करने की अन्डरटेकिंग के आधार पर मै. रिलाइंस सीमेन्ट कम्पनी प्रा. लि. का एक खनन पट्टा आवेदन पत्र दिनांक 13.12.2016 से लंबित है। कम्पनी द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र (पी.एल.) के तहत क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य कर खनन पट्टा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदित क्षेत्र का आंशिक भाग पी.एल. क्षेत्र के बाहर गिरने के कारण आवेदक द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया गया। क्षेत्र का सीमाकंन करवाया जा रहा हैं।

## किशनगंज-शाहबाद में अवैध खनन पर रोक की कार्ययोजना

**85. श्री ललित कुमार** (किशनगंज): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा बारां जिले में एक ही तहसील में भिन्न-भिन्न कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? यदि हां, तो किस

(श्री ललित कुमार)

तहसील में व कहां-कहां किस आदेश के तहत? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गत 2 वर्षों में बारां जिले में खनन पट्टों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है? यदि हां, तो किस-किस फर्म के द्वारा आवेदन किये गये व किस-किस फर्म को पट्टे जारी किये गये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा बारां जिले में एक ही तहसील में भिन्न-भिन्न कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई है। बारां जिले की तहसील बारां, अटरू, छबडा, छीपा-बड़ोद, अंता, मांगरोल, किशनगंज तथा शाहाबाद के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर अधिक अधिशुल्क वसूली ठेकों हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। गत तीन वर्षों में आमंत्रित की गई निविदाओं की सूची परिशिष्ट-1 पर तथा निविदा विज्ञप्ति की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में लोगों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। खनिज मेसनरी स्टोन तथा बजरी के छुट-पुट अवैध खनन/निर्गमन की शिकायतें प्राप्त होने पर अथवा चैंकिग के दौरान अवैध खनन/निर्गमन पाये जाने पर सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-3 व 4 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। विगत दो वर्षों में बारां जिले में खनन पट्टों के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**